पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 ई0 (पौष 02, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–51

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	903–913	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	523–600	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	669	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–5

'कार्यालय–ज्ञाप'

22 सितम्बर, 2023 ई0

संख्या 1542/XX(5)/23-03(32)2022–उत्तराखण्ड राज्य में समान नागरिक संहिता के परीक्षण एंव क्रियान्वयन हेतु मा0 न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में अधिसूचना संख्याः 452, दिनांक 27.05.2022 द्वारा गठित 'विशेषज्ञ समिति' के कार्यकाल में शासनादेश संख्याः 827/XX(5)/23-03(32)2022, दिनांक 09.05.2023 द्वारा दिनांक 27.05.2023 से आगामी 04 माह की वृद्धि करते हुए उक्त समिति की संस्तुति मा0 मुख्यमंत्री जी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त् विशेषज्ञ समिति के वर्तमान कार्यों की प्रगति, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण किये जाने हेतु उक्त समिति का कार्यकाल दिनांक 27.09.2023 से आगामी 04 माह के लिये विस्तारित करते हुए अपेक्षा की जाती है कि समिति यथाशीघ्र अपनी संस्तुति मा0 मुख्यमंत्री, जी को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

राधा रतूडी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–3

विज्ञप्ति
प्रोन्नति/तैनाती

26 सितम्बर, 2023 ई0

संख्या I/157202/XX-3/2023-01(04)2023–एतद्द्वारा श्री केशर सिंह चौहान, संयुक्त निदेशक (विधि) (वेतनमान 78800–209200, लेवल–12, ग्रेड पे 7600) को नियमित चयनोपरान्त अपर निदेशक (विधि) (वेतनमान 123100–215900, लेवल–13, ग्रेड पे 8700) के रिक्त पद पर अभियोजन निदेशालय, देहरादून में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिकारी उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के नियम–3(1) के अन्तर्गत निर्धारित 15 दिन की अवधि के अन्दर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

आज्ञा से,
राधा रतूडी,
अपर मुख्य सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2023 ई0

संख्या 628/XVIII(3)/2023-12(02)/2011–राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन होंगे:–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	कुल भूमि (है0)
नैनीताल	रामनगर	भावर चिल्किया	नया लालढांग	135.846 है0

आज्ञा से,

सचिन कुर्वे,

सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No.628/XVIII(3)/2023-12(02)/2011 Dated- October 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

October 18, 2023

No.628/XVIII(3)/2023-12(02)/2011--In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P.Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the state of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette:-

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Total Land (In Hectare)
1	2	3	4	5
Nainital	Ramnagar	Bhawar Chilkia	New Laldhang	135.846 ha.

By Order,

SACHIN KURVE,

Secretary, Revenue.

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

27 अक्टूबर, 2023 ई0

पत्रांक 4799/तीन–101/चक0सं0/2017–18–उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–3, देहरादून के शा0सं0–636/XVIII(3)/2023–03(10)/2016, दिनांक 18 अक्टूबर 2023 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–6 की उपधारा–(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या–83/31–A–813–1954–Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून जनपद हरिद्वार, तहसील रूड़की के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा–4 (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या–65/48–83(591), दिनांक 25.10.1985 में आंशिक संशोधन करते हुये तहसील रूड़की के निम्नलिखित ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये ग्राम की विज्ञप्ति को एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1–	साहपुर	रूड़की	मंगलौर	हरिद्वार

चन्द्रेश कुमार,
आयुक्त एवं सचिव/
संचालक, चकबन्दी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2023 ई0

संख्या 368/XX-1-2023-7(14)2006–उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित 2018) के प्राविधानानुसार श्री के0डी0 भट्ट, जिला जज (सेवानिवृत्त) को तत्काल प्रभाव से जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
अतर सिंह,
अपर सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–3

21 जुलाई, 2023 ई0

संख्या 147829/IV(3)/2023–11(01 निर्वा0)/2023–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) की धारा–32 की उपधारा 1 एवं 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर निगम श्रीनगर, जनपद–पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है:–

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर निगम क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में उल्लिखित किया गया है।

नगर निगम श्रीनगर के कक्षों का परिसीमन का विवरण–

.स.	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मिलित मोहल्लों के नाम	वार्ड की कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5
1	हैडी मय डुंगरीपंथ	पूर्व में–अलकनंदा नदी पश्चिम में– जंगल सीमा वन विभाग उत्तर में–वार्ड संख्या–02 की दक्षिण सीमा दक्षिण में–बद्रीनाथ मार्ग	हैडी, कलियासौड़, ढ़ामक, चोपड़ा, बगवान लगा चोपड़ा, पंत लगा डुगरीपंथ, डुंगरीपंथ, ।	966
2	फरासू मय कोटेश्वर	पूर्व में–अलकनंदा नदी पश्चिम में–फरासू जंगल एन0एच0 से ऊपर उत्तर में–खलगड़ गदेरा दक्षिण में–चमदार गदेरे का अंतिम छोर	फरासू, सेम, चोपड़ा लगा स्वीत, कोटेश्वर गूठ, मूलगांव, कोटेश्वर (जी0वी0के0 कॉलोनी)	986
3	स्वीत मय गहड़	पूर्व में–भटोली गदरा पश्चिम में–मेडिकल कॉलेज मोर्चरी उत्तर में–अलकनंदा नदी दक्षिण में–जूनियर हाईस्कूल गहड़	स्वीत (ऊपरी तरफ), स्वीत (निचली तरफ), तल्ली बसोल्यूं, मल्ली बसोल्यूं, धेबड़ा खील, गहड़।	1459
4	मेडिकल कॉलेज कॉरीडोर रोड़	पूर्व में–स्वीत गदेरा पश्चिम में–वार्ड सं0–5 की प्रारम्भिक सीमा उत्तर में–राष्ट्रीय राजमार्ग दक्षिण में– वन क्षेत्र लगा गहड़	मेडिकल कॉलेज मोहल्ला, डुंगरियों।	1289

5	बेस हॉस्पिटल	पर्व में– मेडिकल कॉलेज रास्ता पश्चिम में–वार्ड संख्या–06 की प्रारम्भिक सीमा उत्तर में–राष्ट्रीय राजमार्ग दक्षिण में–वन क्षेत्र लगा गहड़	मेडिकल कॉलेज कॉरिडोर रोड (ऊपरी तरफ) डुंगरियों ऊपरी, बेस हॉस्पिटल कॉलोनी।	1047
6	लिंगवाल मार्केट मय तोल्यूसैंण	पूर्व में– हॉस्पिटल गेट पश्चिम में– बंगाली स्वीट शॉप गली उत्तर में– राष्ट्रीय राजमार्ग दक्षिण में–वन क्षेत्र	लिंगवाल गली, मुख्य बाजार श्रीकोट, तोल्यूं।	1328
7	शिवालय मय कृष्ण मन्दिर	पूर्व में–स्वीत पुल पश्चिम में– विद्या मन्दिर मार्ग उत्तर में– अलकनंदा नदी दक्षिण में– राष्ट्रीय राजमार्ग	मारूति शोरूम गली, शिवालय मोहल्ला, नागराजा मोहल्ला, पशुचिकित्सा वाली गली।	1274
8	नागराजा सैंण	पूर्व में– वार्ड संख्या–07 की अंन्तिम सीमा पश्चिम में– गैस गोदाम रास्ता उत्तर में– अलकनंदा नदी दक्षिण में– राष्ट्रीय राजमार्ग	विद्या मन्दिर गली, स्व0 बिपिन रावत स्टेडियम, पुराना गांव श्रीकोट, गैस गोदाम।	984
9	तोल्यूसैंण मय काण्डई	पूर्व में–वार्ड सं0 6 का पश्चिमी भाग पश्चिम में–मौसमी गदेरा एवं प्रारम्भिक सीमा वार्ड सं0–10 की उत्तर में– अलकनंदा नदी दक्षिण में–वन क्षेत्र	तोल्यूसैंण, टीचर कॉलोनी मोहल्ला, काण्डई।	733
10	रेवड़ी घसियामहोदव,	पूर्व में– चौरास पुल वाला रास्ता पश्चिम में–डैम कॉलोनी की रौली उत्तर में– अलकनंदा नदी दक्षिण में–वन क्षेत्र	रेवड़ी (राष्ट्रीय राजमार्ग से ऊपर), रेवड़ी (राष्ट्रीय राजमार्ग से नीचे), घसियामहोदव, मूल गांव रेवडी।	826
11	डैम कॉलानी मय कोठड़	पूर्व में–डैम कॉलोनी की रौली पश्चिम में–डाक बंगला रोड उत्तर में– राष्ट्रीय राजमार्ग दक्षिण में– खोला गावं की सीमा	डैम कॉलोनी, कोठड़, इन्टर कॉलेज रोड।	1340

12	एजेन्सी मोहल्ला मय केवट मोहल्ला	पूर्व में–डैम कॉलोनी की रौली पश्चिम में–हनुमान मन्दिर उत्तर में– अलकनंदा नदी दक्षिण में– राष्ट्रीय राजमार्ग	जल निगम कॉलोनी, एजेन्सी मोहल्ला, केवट मोहल्ला, शारदानाथ घाट	1189
13	बांसवाड़ा मय ब्राहमण मोहल्ला	पूर्व में– कोठड़ रौली पश्चिम में–रेनबो स्कूल रोड उत्तर में– अलकनंदा नदी दक्षिण में–राष्ट्रीय राजमार्ग	ब्राहमण मोहल्ला, नागेश्वर गली, बांसवाड़ा, हनुमान मन्दिर रोड।	1209
14	अपर बाजार	पूर्व में– हनुमान मन्दिर पश्चिम में– गोला पार्क उत्तर में– जी0जी0आई0सी0 स्कूल दक्षिण में–नंदा पाती मन्दिर गली	हनुमान मन्दिर रोड, अपर बाजार, गुरूद्वारा रोड।	921
15	थाना मार्ग मय अलकनन्दा विहार	पूर्व में– शारदानाथ घाट पश्चिम में– थाना रोड उत्तर में– अलकनंदा नदी दक्षिण में– जी0जी0आई0सी0 रोड	जैन मन्दिर, अलकनंदा विहार कंसमर्दनी मार्ग, थाना रोड ।	874
16	प्रगति विहार –01	पूर्व में–कंसमर्दनी मार्ग पश्चिम में– नर्सरी रोड उत्तर में– अलकनंदा नदी दक्षिण में– बहुगुणा मार्ग	प्रगति विहार, नर्सरी रोड, कंसमर्दनी मार्ग, बहुगुणा मार्ग का निचला मार्ग, संत निरंकारी भवन मार्ग।	1030
17	प्रगति विहार–02	पूर्व में– संत निरंकारी मार्ग एवं बंधन टैण्ट हाउस पश्चिम में– नर्सरी रोड उत्तर में–अलकनंदा नदी दक्षिण में–लेन न0–02, नर्सरी रोड, वार्ड सं0–16 की सीमा	प्रगति विहार, नर्सरी रोड लेन नं0–1.2.3	794
18	गणेश बाजार मय रामलीला मैदान	पूर्व में– रामलीला मैदान की अंतिम सीमा एवं मस्जिद गली की प्रारम्भिक सीमा पश्चिम में–नर्सरी रोड उत्तर में–बहुगुणा मार्ग दक्षिण में–उत्तराखण्ड परिवहन निगम बस स्टेशन।	गणेश बाजार, रामलीला गली, पाण्डेय गली, रामलीला मैदान गली, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली मार्ग की सीमा, आढ़त बाजार, नगर निगम कार्यालय।	882

19	भागीरथीपुरम्	पूर्व मे– थाना मार्ग पश्चिम में–रामलीला मैदान मार्ग उत्तर में– कंसमर्दनी चौराहा दक्षिण में–मस्जिद गली मार्ग	भागीरथीपुरम्	978
20	कल्याणेश्वर मन्दिर मय सब्जी मण्डी	पूर्व में– जी0जी0आई0सी0 मार्ग से ऊपर बाजार रोड पश्चिम में– वार्ड सं0–18 का पूर्व भाग उत्तर में– वार्ड सं0–19 का पश्चिमी भाग एवं रामलीला मार्ग दक्षिण में– राष्ट्रीय राजमार्ग	कल्याणेश्वर मन्दिर, मस्जिद गली, सब्जी मण्डी, वी0च0सिं0 गढ़वाली मार्ग, जय सिंह गली, जिला पंचायत कॉम्पलैक्स।	988
21	निरंजनी बाग मय डाक बंगला	पूर्व में–सम्राट गली मय जी0जी0आई0सी0 मार्ग पश्चिम में– काला रोड मय पी0एन0बी0 रोड उत्तर में– गुरूद्वारा मार्ग दक्षिण में– ग्लास हाउस ग्राम खोला की सीमा	गुरूद्वारा रोड, नंदा देवी मोहल्ला, निरंजनी बाग, ग्लास हाउस, बद्रीनाथ मार्ग।	1203
22	मिस्त्री मोहल्ला	पूर्व में–काला रोड पश्चिम में–हॉस्पिटल गेट (राष्ट्रीय राजमार्ग) उत्तर में–गणेश बाजार दक्षिण में–हॉईडिल कॉलोनी	मिस्त्री मोहल्ला, रोडबेज बस स्टेशन, काष्ट कला मार्ग, बद्रीनाथ मार्ग।	752
23	बजीरो का बाग मय हाईडिल कॉलोनी	पूर्व में–पैट्रोल पम्प पश्चिम में–आशीष विहार उत्तर में– राष्ट्रीय राजमार्ग दक्षिण में–ग्लास हाउस	बजीरों का बाग, हाईडिल कॉलोनी, बद्रीनाथ मार्ग	703
24	ट्रेजरी रोड मय तिवाड़ी मोहल्ला	पूर्व में–नर्सरी रोड पश्चिम में–यूनिवर्सटी गेट से होते हुए कमलेश्वर मार्ग उत्तर में–अलकनंदा नदी दक्षिण में– राष्ट्रीय राजमार्ग	ट्रेजरी मोहल्ला, तिवाड़ी मोहल्ला, जी0आई0एण्ड टी0आई0 यूनिवर्सटी कॉलोनी	722
25	ग्लास हाउस मय विश्वविद्यालय	पूर्व में–हाईडिल ऑफिस पश्चिम में–यूनिवर्सटी गेट से होते हुए बुधाणी मार्ग उत्तर में– राष्ट्रीय राजमार्ग दक्षिण में–वन क्षेत्र	हाईडिल ऑफिस, आशीष विहार हॉस्पिटल कॉलोनी, सकुल्डू मोहल्ला, विश्वविद्यालय कर्मचारी आवास, ग्लास हाउस।	723

26	कमलेश्वर बागवान	पूर्व में– एस0एन0बी0 प्रशासनिक भवन पश्चिम में– केदार मोहल्ला रोड उत्तर में–अलकनंदा नदी दक्षिण में– राष्ट्रीय राजमार्ग	कमलेश्वर बगवान, न्यू कमलेश्वर, केशोरायमठ मन्दिर मार्ग, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय।	901
27	केदार मोहल्ला मय केन्द्रीय विद्यालय	पूर्व में–केदार मोहल्ला मार्ग पश्चिम में– खादी ग्राम उद्योग से एन0एच0 होते हुये कै0 विजय मार्ग उत्तर में–अलकनंदा नदी दक्षिण में–एन0एच0एवं पौड़ी मोटर मार्ग	केदार मोहल्ला, खादी ग्राम उद्योग, बी0एस0एन0एल0 कॉलोनी, बागवान, डीलक्स गली, कै0विजय मार्ग।	1150
28	रगड़ा बागवान मय आम्रकुंज	पूर्व में–यूनिवर्सटी गेट से टीचर्स कॉलोनी पश्चिम में–पौड़ी चूंगी से डांग जाने वाला रास्ता उत्तर में–राष्ट्रीय राजमार्ग दक्षिण में–डांग की सीमा	टीचर्स कॉलोनी आम्रकुंज, पुराना एल0आई0सी0 ऑफिस, रगड़ा बगवान, बद्रीनाथ मार्ग।	893
29	अपर भक्तियाना मय शीतलामाता	पूर्व में– कै0विजय मार्ग से पौड़ी रोड तक पश्चिम में–शीतलामाता रोड़ से सकलानी गली उत्तर में–राष्ट्रीय राजमार्ग दक्षिण में–पौड़ी रोड	कै0 विजय मार्ग, अपर भक्तियाना, शीतलामाता मन्दिर, बद्रीनाथ मार्ग।	1091
30	शक्ति विहार मय पॉलीटेक्निक	पूर्व में– एस0एस0बी0की सीमा, शंकरमठ मार्ग पश्चिम में–एन0एच0हथकट्आ नाला से अलकनंदा नदी तक उत्तर में–अलकनंदा नदी दक्षिण में–एन0एच0 नाले से शंकरमठ तक	शक्ति विहार, एन0आई0टी0, रेशम विभाग, पॉलीटेक्निक, बद्रीनाथ मार्ग।	768
31	चौहान मोहल्ला मय फतेहपुर रेती	पूर्व में–वार्ड सं0–30 की पश्चिमी सीमा एवं शीतलामाता मंदिर पश्चिम में–सिंचाई विभाग कॉलोनी की रौली उत्तर में–अलकनंदा नदी दक्षिण में–पौड़ी रोड से आंचल डेयरी का निचला भाग	चौहान मोहल्ला, शीतलामाता मंदिर, तहसील रोड, पुरानी आई0टी0आई0 कॉलोनी, सिंचाई विभाग कॉलोनी, गैस गोदाम	818

32	ऐठाणा डांग–1	पूर्व में–वार्ड सं0–33 की सीमा पश्चिम में–पराग रौली उत्तर में–पौड़ी श्रीनगर मार्ग दक्षिण में–डांग से पराग रोड	गोविन्द बल्लभ पंत, डांग ऐठाणा रोड से नीचे।	648
33	ऐठाणा डांग–2	पूर्व में– वार्ड सं0–34 की सीमा पश्चिम में– वार्ड सं0–32 की अंतिम सीमा उत्तर में–पौड़ी श्रीनगर मार्ग दक्षिण में–आंचल डेयरी जाने वाला रास्ता	पुराना गांव, डांग ऐठाणा मार्ग से नीचे की तरफ।	688
34	ऐठाणा डांग–3	पूर्व में– ग्लास हाउस पश्चिम में– आंचल डेयरी को जाने वाला रास्ता एवं कालाजी की दुकान उत्तर में– एच0एन0बी0गेट को जाने वाला रास्ता दक्षिण में –वन क्षेत्र	खोबल्या, मूल गांव ऐठाणा डांग, आंशिक भाग डांग ऐठाणा रोड ऊपरी भाग।	881
35	ऐठाणा डांग–4	पूर्व में–बुधाणी रोड पश्चिम में – आंचल डेयरी रास्ता एवं आंकाक्षा भवन उत्तर में– पौड़ी श्रीनगर मार्ग दक्षिण में–डांग ऐठाणा	डांग ऐठाणा प्राथमिक विद्यालय, डांग ऐठाणा मोटर मार्ग से नीचली तरफ।	724
36	ऐठाणा डांग–05	पूर्व में–कालाजी की दुकान के बगल से वन क्षेत्र का रास्ता पश्चिम में–वन क्षेत्र उत्तर में–आंचल डेयरी जाने का रास्ता दक्षिण में–जी0एस0टी0ऑफिस एवं पौड़ी सीमा से डांग रोड तक	डांग ऐठाणा, आंचल डेयरी मार्ग का ऊपरी भाग।	705
37	आंचल डेयरी मय सिंचाई विभाग	पूर्व में–धोबीघाट गदेरे से फतेहपुरी रौली पश्चिम में–वार्ड सं0–38 की पूर्व सीमा उत्तर में–पौड़ी रोड से ऊपरी वन क्षेत्र दक्षिण में–एन0एच0फतेहपुरी रौली तक	आंचल डेयरी, सिंचाई विभाग कार्यालय, खाद्य गोदाम, पराग डेयरी का निचला हिस्सा।	867

38	उफल्डा ऊपरी भाग	पूर्व में– सिंचाई विभाग गेट से जिला पंचायत रोड से ऊपर वन क्षेत्र पश्चिम में–क्रेशर रोड गंगा दर्शन तक उत्तर में–राष्ट्रीय राजमार्ग दक्षिण में– वन क्षेत्र से नागराजा मन्दिर तक	जिला पंचायत रोड, गंगा दर्शन, उफल्डा गांव ऊपर हिस्सा।	781
39	उफल्डा–2	पूर्व में–फतेहपुरी रौली से अलकनंदा नदी पश्चिम में– बिल्केदार पुल से धौना लगा उत्तर में– अलकनंदा नदी दक्षिण में– एन0एस0 से क्रेशर रोड गंगा दर्शन तक	उफल्डा का निचला हिस्सा, धौना लगा, वैद्यगांव।	966
40	वैद्यगांव मय नकोट	पूर्व में– बिल्केदार गदेरा पश्चिम में–दिगोली रौली उत्तर में–अलकनंदा नदी दक्षिण में–चन्द्रवाडी सीमा देहलचौरी रोड	नकोट, धनचड़ा, चन्द्रवाड़ी, पुण्डोरी, दिगोली।	830
			कुल जनसंख्या	37911

आज्ञा से,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/497–भाग 1–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 ई0 (पौष 02, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November 22, 2023

No. 373/XIV/a-33/Admin.A/2017--Ms. Minakshi Dubey, Civil Judge (Jr. Div.), Doiwala, District Dehradun is hereby sanctioned:

1.	Child care leave for 10 days w.e.f. 29.08.2023 to 07.09.2023
2.	Earned leave for 19 days w.e.f. 15.09.2023 to 03.10.2023

NOTIFICATION

November 22, 2023

No. 374/XIV/a-35/Admin.A/2018--Ms. Karishma Dangwal, Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 08 days w.e.f. 25.09.2023 to 02.10.2023.

NOTIFICATION

October 22, 2023

No. 375/XIV-a-38/Admin.A/2016--Ms. Krishtika Gunjiyal, Civil Judge (Jr. Div.), Tharali, District Chamoli is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 02.03.2023 to 28.08.2023.

NOTIFICATION

November 22, 2023

No. 376/XIV-a-26/Admin.A/2016--Shri Sachin Kumar, 9th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 01.09.2023 to 10.09.2023.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

December 01, 2023

No. 378/UHC/Admin.A-2/2023-- Judge, Family Court, Laksar, District Haridwar is given additional charge of the Court of Additional District & Sessions Judge, Laksar, District Haridwar, until regular posting of Presiding Officer in the said Court or till further orders, whichever is earlier.

Above order will come into force with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
Sd/-
KAUSHAL KISHORE SHUKLA
Registrar (Vigilance)
For Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November 02, 2023

No. 379/XIV-a-33/Admin.A/2019--Ms. Anjali Noliyal, 7th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 04.09.2023 to 10.09.2023.

NOTIFICATION

November / December 02, 2023

No. 380/XIV-a-33/Admin.A/2020--Shri Prateek Mathela, Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 06.10.2023 to 09.10.2023.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar General.

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

16 अगस्त, 2023 ई0

उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन केन्द्रों से विद्युत् आपूर्ति के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) विनियम, 2023

सं० F-9(34)/RG/UERC/2023/543: विद्युत् अधिनियम 2023 की धारा 181 (zd) व (zp) के साथ पठित धारा 61(h),86(1)(e) के अधीन प्रदत शक्तियों व इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व पूर्व प्रकाशन के उपरांत उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:

अध्याय -1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का नाम उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन केन्द्रों से विद्युत् आपूर्ति के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) विनियम, 2023 होगा।

(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे तथा जब तक कि समीक्षा पहले न कर ली जाये अथवा आयोग द्वारा इनकी अवधि बढ़ाई न जाये, प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रवृत्त रहेंगे।

(यह विनियम दिनांक 26.08.2023 के अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

2. लागू होने की परिधि और विस्तार

(1) ये विनियम उन सभी मामलों में लागू होंगे जहाँ इन विनियमों के प्रभावी होने के पश्चात कमीशंड हुए नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादन केन्द्रों से उत्तराखंड राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञापियों और ग्रामीण ग्रिड को विद्युत् आपूर्ति की जा रही है।

पवन, लघु जल परियोजनाओं, रैंकाईन चक्र पर आधारित बायोमास ऊर्जा, गैर जीवाश्म आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं, सौर पीवी, नहर के किनारे और नहर के ऊपर लगने वाले सौर पीवी, सौर ताप विद्युत् परियोजनाओं, ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप और छोटे सौर पीवी संयंत्रों, बायोमास गैसीफायर और बायोगैस, नगरीय ठोस अपशिष्ट व उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं पर ये नियम इन विनियमों के विनियम 4 में विनिर्दिष्ट योग्यता मापदंड पूर्ण हो जाने पर ही लागू होंगे;

परन्तु आगे यह कि अध्याय 4 व 5 के विनियम (इन विनियमों के विनियम 27 के उप-विनियम (1) के खंड (बी) व (सी) को छोड़ कर) उन उत्पादन केन्द्रों पर लागू नहीं होंगे जो इन विनियमों के लागू होने से पहले से कार्यरत हैं तथा उनके वर्तमान टैरिफ ही लागू रहेंगे।

परन्तु यह भी कि विनियम 11 के उप-विनियम (3) के खंड (डी), विनियम 15 के उप-विनियम 7 के दूसरे व तीसरे परंतुक उन केन्द्रों पर लागू होंगे जो इन विनियमों के प्रभावी होने से पहले लगाये गए हैं;

परन्तु टैरिफ संगणना के मानक उन केन्द्रों की कमीशनिंग के वर्ष के दौरान प्रचलित विनियमों के अनुसार होंगे;

परन्तु यह भी कि ऐसे केंद्र जो इन विनियमों के प्रभावी होने से पहले कमीशंड हुए हैं उन पर, विनियम 16(1) (सी) में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार सौर ताप / पी/वी उत्पादन केंद्रों के लिए जेनेरिक टैरिफ के अतिरिक्त 12 पैसे/यूनिट तथा लघु जल संयंत्रों पर जेनेरिक टैरिफ के अतिरिक्त 5 पैसा / यूनिट सामान्यीकृत सम टैरिफ भी लागू होगा।

परन्तु यह भी कि अध्याय 4 और 5 के विनियमों को छोड़ कर अन्य विनियम उत्तराखंड राज्य में स्थित उन अन्य उत्पादन केन्द्रों पर लागू होंगे जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित हैं, जिनमें गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन सम्मिलित है और जो राज्य पारेषण और/या वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाले राज्य के वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी व्यक्ति को विद्युत् पारेषित और/या आपूर्ति करते हों।

(2) वर्तमान परियोजनाएं जो इस समय तृतीय पक्ष को विद्युत् की आपूर्ति कर रही हैं, उन के पास यह विकल्प होगा कि वे स्थानीय ग्रिड को अथवा इन विनियमों के विनियम 7 के उपबंधों के अधीन वितरण अनुज्ञापी को आपूर्ति आरम्भ कर सकते हैं। यह आपूर्ति उसी सामान्य टैरिफ पर की जाएगी जो उनकी परियोजना प्रारंभ होने के समय लागू था, अथवा वे आयोग से परियोजना विशिष्ट टैरिफ भी अवधारित करवा सकते हैं। यह विकल्प परियोजना के शेष जीवन काल के लिए होगा तथा एक बार आरंभ हो जाने पर इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

(3) इन विनियमों के अधीन पवन, सौर पीवी और सौर ताप ऊर्जा हेतु विनिर्दिष्ट सामान्य टैरिफ अधिकतम टैरिफ होगा तथा वितरण अनुज्ञापी/उरेडा, इन उत्पादकों/विकासकर्ताओं से ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली आमंत्रित करेंगे। वितरण अनुज्ञापी न्यूनतम बोली लगाने वाले उत्पादकों/ विकासकर्ताओं के साथ ऊर्जा क्रय करार करेंगे।

परन्तु योग्य सरकारी संगठनों द्वारा नहर के किनारे या नहर के ऊपर लगाये जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्यान्वयन टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। ऐसे मामलों में इन संयंत्रों से ऊर्जा के विक्रय हेतु ऊर्जा क्रय करार (पीपीए) उस टैरिफ पर हस्ताक्षारित किया जायेगा जो L-1 बोलीदाता द्वारा उद्धृत टैरिफ से 8% अधिक होगी, तथापि, टैरिफ और 8% का मार्जिन जोड़ने पर यह कमीशनिंग के वर्ष हेतु आयोग द्वारा अवधारित सामान्य टैरिफ से अधिक नहीं होना चाहिए।

परन्तु आगे यह कि वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा के क्रय हेतु किया जाने वाला ऊर्जा क्रय करार किसी भी दशा में विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ सीमा से अधिक पर निष्पादित नहीं किया जायेगा।

(4) इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले उत्पादन केन्द्रों को एक उत्पादक कंपनी का उत्पादन केंद्र माना जायेगा तथा विद्युत् अधिनियम, 2003 के अधीन ऐसी उत्पादक कम्पनी को सौंपे गए सभी कृत्य, दायित्व इन उत्पादक केन्द्रों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक प्रकरण में कोई अन्य तरह की आवश्यकता न हो, इन नियमों में प्रयोग किये गये शब्दों का अर्थ निम्नवत् होगा:

(i). **"अधिनियम"** से विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ii). **"सहायक ऊर्जा उपभोग"** से एक उत्पादन केंद्र के मामले में एक अवधि के सम्बन्ध में उत्पादक केंद्र के सहायक उपकरणों द्वारा उपभोग की गई मात्रा और उत्पादक केंद्र के भीतर ट्रांसफार्मर हानियाँ अभिप्रेत हैं, जिसे उत्पादक केंद्र की सभी ईकाईयों के उत्पादक टर्मिनल्स पर उत्पादित कुल ऊर्जा के योग प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है;

(iii). **"बैंकिंग"** से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके अधीन एक सीमित उत्पादन केंद्र ग्रिड को ऊर्जा की आपूर्ति किसी तृतीय पक्ष या एक अनुज्ञापी को विक्रय के आशय से न कर अपने स्वयं के लिए ग्रिड से ऊर्जा वापस लेने की अपनी योग्यता को प्रयोग करने के आशय से करता है;

(iv). **"बिलिंग चक्र अथवा बिलिंग अवधि"** से एक माह की वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए अनुज्ञापी द्वारा प्रत्येक योग्य उपभोक्ता/प्रोसुमर हेतु विद्युत् बिल तैयार किये जायेंगे;

(v). **"बायोमास"** से कृषि और वानिकी प्रचालनों के दौरान उत्पन्न रद्दी (जैसे पुआल, डंठल, चीड़ की पत्तियां और लैंटाना) या कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के दौरान सह-उत्पाद के रूप में उत्पन्न कोई उत्पाद (जैसे भूसा छिलके, खली आदि); ऊर्जा हेतु किये गए वृक्षारोपण से उत्पादित अथवा झाड़ियों/ खरपतवार से प्राप्त काष्ठ; और कुछ औद्योगिक प्रचालनों में उत्पन्न रद्दी काष्ठ अभिप्रेत है;

(vi). **"बायोमास गैसिफ़िकेशन"** से बायोमास के अधूरे दहन की वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके फलस्वरूप दहनशील गैसेस का उत्पादन होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ), हाइड्रोजन (H2) का मिश्रण और कुछ अंश मीथेन (CH4) का होता है जिसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है;

(vii). **"बायोगैस"** से वह गैस अभिप्रेत है जो जैविक पदार्थों जैसे फसलों के अवशेष, मल, खाद आदि के ऑक्सीजन -मुक्त वातावरण में किण्वन होने पर सृजित होती है;

(viii). **"कैनाल बैंक सौर पीवी संयंत्र"** से नहर के किनारे पर संस्थापित सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है;

(ix). **"कैनाल टॉप सौर पीवी संयंत्र"** से नहर के ऊपर संस्थापित सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है;

(x). **"क्षमता उपयोग कारक"** से वह कुल ऊर्जा अभिप्रेत होगी जो उस अवधि में मानकीय अनुषंगी उपभोग द्वारा घट कर संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में व्यक्त अवधि के दौरान प्रेषित की गई है।

$$CUF = \frac{ESO \times 10^7}{IC \times (100 - AUX) \times H}\%$$

जहाँ,

ESO – एक्स-बस ऊर्जा अर्थात उस अवधि में एमयू में अंत:संयोजन बिंदु पर बाहर भेजी गई ऊर्जा.
IC – संस्थापित क्षमता MW में,
AUX - % मानकीय अनुषंगी उपभोग
H – अवधि में घंटों की संख्या

(xi). **"पूंजीगत लागत"** से इन विनियमों के विनियम 15 (1) के अधीन परिभाषित रूप में पूंजीगत लागत अभिप्रेत है।

(xii). **"कैप्टिव उत्पादन संयंत्र"** से ऐसा ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति द्वारा मूलतः अपने स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत् के उत्पादन के लिए लगाया गया है, इसमें ऐसा ऊर्जा संयंत्र सम्मिलित है जो किसी सहकारी समिति अथवा व्यक्तियों के संघ के सदस्यों द्वारा मूलतः अपने सदस्यों के उपयोग हेतु विद्युत् उत्पादन के लिए लगाया है. यह समिति या संघ ऐसा होना चाहिए जिसका न्यूनतम 26% स्वामित्व सीमित उपयोगकर्ता(ओं) के पास हो तथा इस संयंत्र में वार्षिक रूप से अवधारित कुल उत्पादित विद्युत् का न्यूनतम 51% उपयोग कैप्टिव ऊपयोग हेतु उपभोग किया जाता हो। "कैप्टिव उपयोगकर्ता" से मूलतः अपने स्वयं के उपयोग हेतु एक कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र में उत्पादित विद्युत् का अंतिम उपयोगकर्ता अभिप्रेत है। "कैप्टिव उपयोग" से अभिप्राय तदनुसार होगा।

(xiii). **"चैक मीटर"** से ऐसा मीटर अभिप्रेत है जो करेंट ट्रांसफार्मर (सीटी) और वोल्टेज ट्रांसफार्मर (वीटी) के उसी कोर से संयोजित होगा जिससे आरई जेनेरेटर का मीटर संयोजित है और इसका उपयोग मेन मीटर के विफल हो जाने पर विद्युत् की एकाउंटिंग और बिलिंग हेतु किया जायेगा।

(xiv). **"आयोग"** से उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(xv). **"नियंत्रण अवधि अथवा समीक्षा अवधि"** से वह अवधि अभिप्रेत है जिसमें इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शुल्क के अवधारण हेतु प्रतिमानक मान्य रहेंगे।

(xvi). **"वाणिज्यिक प्रचालन अथवा कमीशनिंग की तिथि" (सीओडी)** से एक यूनिट के सन्दर्भ में एक सफल परीक्षण के द्वारा अधिकतम सतत रेटिंग प्राप्त कर लेने पर घोषित तिथि तथा एक उत्पादन केंद्र के सन्दर्भ में उत्पादन केंद्र की अंतिम यूनिट अथवा ब्लॉक के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अभिप्रेत है तथा 'कमीशनिंग' शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।

परन्तु लघु जल-विद्युत् संयंत्रों के मामले में कमीशनिंग की तिथि अधिकतम सतत रेटिंग की प्राप्ति से नहीं जोड़ी जाएगी लेकिन उत्पादकर्ता को कमीशनिंग के तीन वर्ष के भीतर इसे प्रदर्शित करना होगा।

सौर पीवी संयंत्र की कमीशनिंग की तिथि वह तिथि मानी जाएगी जिस दिन सभी तरह से परियोजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापी के ग्रिड में सर्वप्रथम ऊर्जा पहुंचेगी, इससे पहले निम्नलिखित तीन पूर्वापेक्षाओं का अनुपालन करना होगा, अर्थात;

(i) वितरण अनुज्ञापी के सम्बंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रमाणित ऊर्जा मीटर का संस्थापन;

(ii) उरेडा द्वारा सत्यापित परियोजना पूर्णता रिपोर्ट और

(iii) विद्युत् निरीक्षक द्वारा अनुमति प्रमाणपत्र जारी करना

परन्तु 75% कार्य निष्पादन अनुपात जो किलोवाट या मेगावाट में, आकलित संस्थापन क्षमता पर आधारित हो, उपरोक्त तीन पूर्वापेक्षाओं के अनुपालन पर अनुज्ञापी के ग्रिड में प्रथम अंतःस्थापन की तिथि से तीन माह के भीतर प्रदर्शित किया जाये।

परन्तु आगे यह कि यदि उपरोक्त तीन पूर्वपेक्षाओं के अनुपालन पर अनुज्ञापी के ग्रिड में प्रथम अंतःस्थापन की तिथि से तीन माह के भीतर कार्य निष्पादन अनुपात की विनिर्दिष्ट सीमा प्राप्त नहीं की जाती है तो किलोवाट या मेगावाट में, आकलित संस्थापन क्षमता पर आधारित न्यूनतम 75% कार्य निष्पादन अनुपात के प्रदर्शन की वास्तविक तिथि को सौर पीवी संयंत्र की कमीशनिंग की तिथि माना जायेगा।

(xvii). **"मानित उत्पादन"** से वह ऊर्जा अभिप्रेत जिसे उत्पादित करने में उत्पादन केंद्र सक्षम था किन्तु ग्रिड ऊर्जा प्रणाली की ऐसी स्थितियां जो उत्पादन केंद्र के नियंत्रण के बाहर थीं और इसके फलस्वरूप हुए नवीकरणीय स्रोतों के स्पिलेज के कारण उत्पादित नहीं कर पाया।

(xviii). **"डिजाईन ऊर्जा"** से ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जिसे जल-विद्युत् केंद्र की 90% संस्थापित क्षमता के साथ एक 95% निर्भरता योग्य वर्ष में उत्पादित किया जा सकता है।

(xix). **"वितरण कोड"** से विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 181 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट उविनिआ (वितरण संहिता) विनियम, 2018 तथा समय-समय पर संशोधित वितरण और खुदरा आपूर्ति लाइसेंस का खंड 18 अभिप्रेत है।

(xx). **"योग्य उपभोक्ता"** से वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत् का ऐसा उपभोक्ता अभिप्रेत है जिसके पास अपनी आंशिक अथवा समस्त विद्युत् आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने परिसर में रूफ टॉप या लघु सौर प्रणाली विद्यमान है।

(xxi). **"योग्य सरकारी संगठन"** से भारत सरकार अथवा राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम का संगठन अभिप्रेत है।

(xxii). **"उपगत व्यय"** से निधि अभिप्रेत है चाहे वह इक्विटी हो अथवा ऋण या दोनों और जिसका एक उपयोगी परिसम्पत्ति के सृजन अथवा अर्जन हेतु वास्तव में कैश या कैश के समकक्ष भुगतान किया गया हो, इसमें ऐसी वचनबद्धतायें या देनदारियां सम्मिलित नहीं हैं जिनके लिए कोई भुगतान जारी नहीं किया गया है।

(xxiii). **"फीड -इन-टैरिफ"** से इन विनियमों के अधीन नियत सिद्धांतों के अनुसार सकल मीटरिंग हेतु सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से उत्पादन हेतु आयोग द्वारा अवधारित सामान्य शुल्क अभिप्रेत है।

(xxiv). **"अपरिहार्य घटनाएँ"** से किसी पक्ष के सन्दर्भ में ऐसी घटना अथवा परिस्थिति अभिप्रेत है, जिस पर उसका कोई युक्तियुक्त नियंत्रण नहीं है, या उस पक्ष द्वारा पूरी सावधानी बरतने और परिश्रम करने पर भी उसे रोक पाना संभव नहीं है, इसमें पूर्वगामी की व्यापकता को सीमित किये बिना निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i). प्राकृतिक कृत्य जैसे वज्रपात, भूस्खलन/तूफ़ान, मौसम की मार, भूकंप, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं या मौसम की असाधारण विपरीत परिस्थितियां;

(ii). भीड़ द्वारा शत्रुतावाश किया गया कोई कृत्य, युद्ध (घोषित अथवा अघोषित), नाकाबंदी, अधिरोध, सशस्त्र विद्रोह, दंगे, क्रांति, तोड़फोड़, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई, जानबूझ कर हानि पहुँचाना तथ नागरिक उपद्रव;

(iii). ऐसी दुर्घटना जिसे टाला न जा सके, जैसे – आग, विस्फोट, रेडियोएक्टिव संदूषण तथा विषैले खतरनाक रसायनों से संदूषण;

(iv). ग्रिड की कोई ऐसी बन्दी या व्यवधान जो राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा या आयोग अथवा लोड डिस्पैच केंद्र द्वारा अपेक्षित अथवा निर्देशित हो; या कोई बंदी या व्यवधान जो संयंत्र या उपकरण की विफलता के आसन्न खतरे को टालने के लिए आवश्यक हो।

(xxv). **"हरित ऊर्जा"** से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत् ऊर्जा अभिप्रेत है, इसमें हाइड्रो और स्टोरेज (यदि स्टोरेज नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता हो) या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रौद्योगिकी सम्मिलित है. तथा साथ ही इसमें ऐसा कोई तंत्र भी सम्मिलित होगा जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग न कर हरित ऊर्जा उपयोग में लाता हो. इसमें हरित हाइड्रोजन अथवा हरित अमोनिया या केंद्र सरकार द्वारा अवधारित किसी अन्य स्रोत का उत्पादन शामिल है।

(xxvi). **"ग्रिड से जुड़े छत पर लगने वाले सौर पीवी संयंत्र (जीआरपीवी) / छत पर लगने वाले लघु सौर पीवी संयंत्र (जीएसपीवी)"** से एक भवन की छत पर संस्थापित सौर पीवी संयंत्र अभिप्रेत है। इसमें परिसर के भीतर खुली संस्पर्शी भूमि पर संस्थापित ऐसे संयंत्र भी सम्मिलित हैं जो इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम क्षमता के साथ मीटरिंग व्यवस्था के अधीन ग्रिड से संयोजित हों।

(xxvii). **"ग्रुप नेट मीटरिंग"** से ऐसी व्यवस्था अभिप्रेत है जिसके द्वारा एक नेट मीटर के माध्यम से एक सौर ऊर्जा संयंत्र से अधिशेष ऊर्जा उत्पादित और अंत:स्थापित की जाती है और इस निर्यात अधिशेष ऊर्जा को उसी वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर स्थित उसी अथवा भिन्न परिसर पर उसी उपभोक्ता के एक से अधिक सर्विस कनेक्शंस पर समायोजित किया जायेगा;

(xxviii). **"कुल उष्मीय मान"** या **"जीसीवी"** से उत्पादन केंद्र में उपयोग किये गए ईंधन के सन्दर्भ में, यथास्थिति, एक किलोग्राम ठोस ईंधन या एक लीटर तरल ईंधन या एक मानक घन मीटर के गैसीय ईंधन के पूर्ण दहन होने पर kCal में उत्पन्न ऊष्मा अभिप्रेत है;

(xxix). "**सकल मीटरिंग**" से ऐसा तंत्र अभिप्रेत है जिसके द्वारा एक प्रोस्युमर के जीआरपीवी / जीएसपीवी से उत्पादित कुल सौर ऊर्जा और प्रोस्युमर द्वारा उपभोग की गई कुल ऊर्जा का मीटरिंग व्यवस्था के द्वारा पृथक रूप से हिसाब रखा जाता है तथा बिलिंग के लिए प्रोस्युमर द्वारा उपभोग की गई कुल ऊर्जा का हिसाब, लागू खुदरा टैरिफ पर किया जाता है, उत्पादित कुल सौर ऊर्जा का हिसाब आयोग द्वारा अवधारित फीड-इन टैरिफ पर किया जाता है;

(xxx). "**केंद्र की सकल ऊष्मा दर**" या "**जीएसएचआर**" से एक ताप उत्पादन केंद्र के उत्पादक टर्मिनल्स पर विद्युत् ऊर्जा के एक kWh उत्पादित करने के लिए आवश्यक kCal में सौर ऊष्मा की ऊर्जा अभिप्रेत है;

(xxxi). "**हाइब्रिड सौर ताप ऊर्जा संयंत्र**" से ऐसा सौर ताप ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है जो विद्युत् उत्पादन के लिए सौर ताप ऊर्जा के साथ-साथ ऊर्जा स्रोतों के अन्य स्वरूपों का भी उपयोग करता है, और जहाँ न्यूनतम 75% विद्युत् सौर ऊर्जा घटक द्वारा उत्पादित होती है;

(xxxii). "**हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा संयंत्र**" से ऐसा हाइब्रिड संयंत्र अभिप्रेत है जिसमें सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) श्रृंखला को पवन टरबाइन से जोड़ा गया हो, तथा ग्रिड संयोजन के उसी बिंदु पर प्रचालन हेतु स्थापित किया गया हो;

(xxxiii). "**भारतीय विद्युत् ग्रिड संहिता (आईईजीसी)**" से अधिनियम की धारा 79 उप-धारा (1) के खंड (एच) के अधीन केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता अभिप्रेत है।

(xxxiv). "**अशक ऊर्जा**" से एक उत्पादन केंद्र की किसी यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व किये जाने वाले परिक्षण के दौरान उत्पादित विद्युत् अभिप्रेत है;

(xxxv). "**संस्थापित क्षमता**" या "**आईसी**" से उत्पादन केंद्र में यूनिट की नेम प्लेट क्षमताओं या उत्पादन केंद्र की क्षमता (उत्पादक टर्मिनल्स पर गणना की गई) का योग अभिप्रेत है;

(xxxvi). "**अंत:संयोजन बिंदु**" से सिवाय जीआरपीवी / जीएसपीवी के सभी आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों के सन्दर्भ में पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली के साथ नवीकरणीय उत्पादन सुविधा के स्विचिंग यार्ड में उत्पादन ट्रांसफार्मर के एच वी साइड पर निर्गत स्थान फीडर पर लाईन आइसोलेटर का इंटरफेस अभिप्रेत होगा;
परन्तु जीआरपीवी/जीएसपीवी के संदर्भ में अंत: संयोजन बिंदु से अनुज्ञापी के नेटवर्क के साथ नेट मीटरिंग व्यवस्था के अधीन सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का इंटरफ़ेस अभिप्रेत होगा तथा सामान्यतया यह वो बिंदु होगा जहाँ अनुज्ञापी और योग्य उपभोक्ता/प्रोस्युमर के मध्य ऊर्जा अंतरण को नापने के लिए निर्गत/आगत मीटर संस्थापित किया गया है।

(xxxvii). "**एमएनआरई**" से भारत सरकार का नवीन एवं "नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अभिप्रेत है।

(xxxviii). "**नगरीय ठोस अपशिष्ट**" से नगरीय अथवा अधिसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न व्यवसायिक और आवासीय अपशिष्ट, चाहे वह ठोस रूप में हो अथवा अर्ध-ठोस अवस्था में, अभिप्रेत है व इसमें

सम्मिलित है, इसमें औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट सम्मिलित नहीं है किन्तु परिशोधित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट सम्मिलित हैं।

(xxxix). **"नेट मीटरिंग"** से ऐसा तंत्र अभिप्रेत है जिसके द्वारा शुद्ध आगत अथवा निर्गत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए प्रोस्युमर के जीआरपीवी/जीएसपीवी द्वारा निर्गत सौर ऊर्जा को यूनिट्स (kwh) में ग्रिड से आगत ऊर्जा को घटाया जाता है तथा नेट ऊर्जा आगत या निर्गत की वितरण अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति के बिंदु पर नेट मीटरिंग हेतु एक सिंगल द्विदिश ऊर्जा मीटर का उपयोग कर लागू रिटेल टैरिफ के आधार पर बिलिंग की जाती है अथवा इसे क्रेडिट किया जाता है या अग्रेनीत किया जाता है।

(xl). **"नेट मीटर"** से एक उपयुक्त द्विदिश ऊर्जा मीटर अभिप्रेत है जो ग्रिड से आगत और सौर परियोजना द्वारा विद्युत् का ग्रिड को निर्गत, दोनों रिकार्ड करने में सक्षम हो।

(xli). **"गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन"** से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें बायोमास का उपयोग कर ऊर्जा के एक से अधिक रूपों (जैसे भाप और विद्युत्) का क्रमबद्ध तरीके से उत्पादन किया जाता हो, परन्तु यदि परियोजना विनियम 4(2)(ई) में विनिर्दिष्ट योग्यता मापदंडों को पूरा करती है तभी वह एक सह-उत्पादन केंद्र के रूप में अर्ह होगी।

(xlii). **"नॉन-पीक आवर्स"** से समय-समय पर आयोग द्वारा तय किये गए पीक आवर्स से अन्यथा अन्य घंटे।

(xliii). **"उन्मुक्त अभिगमन"** उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार उत्पादन में संलग्न किसी व्यक्ति या किसी अनुज्ञापी या उपभोक्ता द्वारा पारेषण लाईन्स या वितरण प्रणाली या ऐसी लाईनों या प्रणाली के साथ सम्बद्ध सुविधाओं के उपयोग हेतु भेदभाव रहित उपबंध अभिप्रेत है।

(xliv). **"उन्मुक्त अभिगमन विनियम"** से समय-समय पर संशोधित उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 अभिप्रेत है.

(xlv). **"प्रचालन और अनुरक्षण व्यय"** या **"ओएंडएम व्यय"** से उत्पादन केंद्र या उसके किसी भाग के प्रचालन और अनुरक्षण में हुआ व्यय अभिप्रेत है, जिसमें जनशक्ति, मरम्मत, पुर्जे, उपभोज्य वस्तुएं, बीमा और ऊपरी खर्च सम्मिलित हैं।

(xlvi). **"समानांतर प्रचालन प्रभार"** से आयोग द्वारा अवधारित वे प्रभार अभिप्रेत हैं जिन्हें समानांतर प्रचालन का उपयोग करने के लिए, यथास्थिति, वितरण अनुज्ञापी और/या पारेषण अनुज्ञापी के सम्बंधित उपभोक्ता से समानांतर प्रचालन की व्यवस्था की लागत हेतु वसूल किया जाना है।

(xlvii). **"पीक आवर्स /ऑफ पीक आवर्स"** से समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित, दिन के कुछ विशेष घंटे अभिप्रेत हैं।

(xlviii). **"कार्य निष्पादन अनुपात" (पीआर)** से नापे गये विकिरण के सम्बन्ध में किसी समय पर संयंत्र का उत्पादन बनाम संस्थापित संयंत्र क्षमता अभिप्रेत है।

$$\text{पीआर} = \frac{\text{उत्पादन की किलोवाट में माप}}{\text{संस्थापित संयंत्र क्षमता किलोवाट में}} \times \frac{1000\ w/m^2}{\text{विकिरण की तीव्रता की माप } w/m^2 \text{ में}}$$

(xlix). **"ऊर्जा क्रय करार" या "पीपीए"** से इसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु एक उत्पादक कंपनी और एक वितरण अनुज्ञापी के मध्य एक दीर्घावधि करार अभिप्रेत है, जिसमें यह उपबंध होगा कि ऊर्जा के विक्रय हेतु टैरिफ समय-समय पर आयोग द्वारा अवधारित किये गए अनुसार होगा।

(l). **"परिसर"** से योग्य उपभोक्ता के स्वामित्व वाली भूमि, भवन या संरचना या उसका कोई भाग अथवा संयोजन अभिप्रेत है, जिसमें उसकी छत या/और उन्नयित क्षेत्र सम्मिलित है।

(li). **"परियोजना/संयंत्र"** से यथास्थिति एक उत्पादन केंद्र और अंत:संयोजन बिंदु तक निष्क्रमण प्रणाली अभिप्रेत है और एक लघु जल विद्युत् उत्पादन केंद्र के मामले में इसमें ऊर्जा उत्पादन में विभाजित उत्पादन सुविधा के सभी घटक जैसे बाँध, इन्टेक वाटर कंडक्टर प्रणाली, ऊर्जा उत्पादक केंद्र, योजना की उत्पादक ईकाईयाँ सम्मिलित हैं।

(lii). **"प्रोस्युमर"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ग्रिड से विद्युत् का उपभोग करता हो और आपूर्ति के उसी बिंदु का उपयोग करते हुए वितरण अनुज्ञापी के ग्रिड में विद्युत् अंत:स्थापित भी कर सकता हो।

(liii). **"उच्छिष्ट से प्राप्त ऊर्जा"** या आरडीएफ से ठोस अपशिष्ट से अलग किये हुए ज्वलनशील अंश अभिप्रेत हैं, इनमें सुखाने, डीस्टोनिंग करने, छोटे-छोटे टुकड़े करने, निर्जलीकरण करने के दौरान छोटी गोलियों या रोओं के रूप में क्लोरीन युक्त प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट दहनशील घटकों का मिश्रण जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जा सके, सम्मिलित नहीं है।

(liv). **"नवीकरणीय ऊर्जा"** से नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित ग्रिड क्वालिटी विद्युत् अभिप्रेत है।

(lv). **"नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केंद्र और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन केंद्र"** से नवीकरणीय ऊर्जा से ग्रिड क्वालिटी विद्युत् उत्पादित करने वाले परंपरागत उत्पादन केंद्र से अन्यथा अन्य ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत हैं।

(lvi). **"नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत"** से लघु जल विद्युत्, पवन, सौर जिसमें संयुक्त चक्र बायोमास के साथ संयोजन सम्मिलित है, जैविक ईंधन सह-उत्पादन, शहरी या नगरीय अपशिष्ट और एमएनआरई द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य स्रोत जैसे नवीकरणीय स्रोत अभिप्रेत है।

(lvii). **"लघु जल विद्युत् संयंत्र"** से 25 मेगा वाट तक की केंद्र क्षमता/संस्थापित क्षमता वाले जल विद्युत् ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत हैं।

(lviii). **"सौर पीवी संयंत्र (एसपीवी)"** से वितरण अनुज्ञापी के सम्पूर्ण सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु डिजाईन की गई परियोजना अभिप्रेत है इसमें नेट-मीटरिंग व्यवस्था के अधीन संस्थापित सौर पीवी संयंत्र सम्मिलित नहीं हैं।

(lix). **"सौर ताप ऊर्जा परियोजना"** से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जिसमें लाईन फोकस अथवा पॉइंट फोकस के सिद्धांत के आधार पर संकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हेतु सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है।

(lx). **"विक्रय योग्य ऊर्जा"** से गृह राज्य को नि:शुल्क ऊर्जा, यदि कोई है, अनुज्ञात करने के पश्चात विक्रय (एक्स-बस) हेतु उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है।

(lxi). **"राज्य ग्रिड कोड"** से अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (एच) के अधीन उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 अभिप्रेत है।

(lxii). **"टैरिफ अवधि"** से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए टैरिफ का अवधारण इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर आयोग द्वारा किया जाना है।

(lxiii). **"तृतीय पक्ष स्वामी"** से एक ऐसा विकासकर्ता अभिप्रेत है जो योग्य उपभोक्ता के परिसर में स्थापित अपने संयंत्र से सौर ऊर्जा उत्पादित करता है और जिसने ऐसे योग्य उपभोक्ता के साथ लीज /वाणिज्यिक अनुबंध किया हुआ है।

(lxiv). **"उपयोगी जीवन"** से एक उत्पादन केंद्र, जिसमें निष्क्रमण प्रणाली सम्मिलित है, की एक यूनिट के सन्दर्भ में ऐसी सुविधा के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तिथि से निम्नलिखित अवधि अभिप्रेत होगी:

(i). पवन ऊर्जा परियोजना	25 वर्ष
(ii). रैंकाइन चक्र प्रौद्योगिकी के साथ बायोमास ऊर्जा परियोजना जिसमें नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएस डब्ल्यू)और उच्छिष्ट पदार्थों से प्राप्त ईंधन (आरडीएफ़) आधारित परियोजनाएं सम्मिलित हैं।	25 वर्ष
(iii). गैर जीवाश्म ईंधन सह-उत्पादन परियोजनाएं	25 वर्ष
(iv). लघु जल विद्युत् संयंत्र	40 वर्ष
(v). सौर पीवी/सौर ताप/जीआरवीपी/जीएसवीपी/कैनाल बैंक/कैनाल टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र	25 वर्ष
(vi). बायोमास गैसिफायर आधारित ऊर्जा परियोजनाएं	25 वर्ष
(vii). बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजनाएं	25 वर्ष

परन्तु जहाँ किसी संयंत्र का प्रचालन किसी अपरिहार्य घटना के कारण रोक दिया गया था वहां संयंत्र का जीवन काल ऐसी रोक की अवधि के बराबर बढ़ा दिया जायेगा और तदनुसार पीपीए को भी बढ़ा दिया जायेगा।

(lxv). "वर्चुअल नेट मीटरिंग" से एक ऐसी व्यवथा अभिप्रेत है जिसके द्वारा उपभोक्ता के परिसर अथवा किसी अन्य अवस्थिति पर संस्थापित सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र से उत्पादित समस्त ऊर्जा सौर ऊर्जा मीटर के द्वारा अंत:स्थापित की जाती है तथा निर्गत ऊर्जा को उसी वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर अवस्थित सहभागी उपभोक्ता(ओं) के एक या एक से अधिक विद्युत् सेवा संयोजनों में समायोजित किया जाता है।

(lxvi). "वर्ष" से एक वित्त वर्ष अभिप्रेत है।

(2) यथा उपरोक्त के सिवाय और जब तक कि सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो अथवा विषय-वस्तु हेतु अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु विद्युत् अधिनियम, 2003 या उविनिआ (राज्य ग्रिड कोड) विनियम या टैरिफ के अवधारण पर आयोग के विनियमों में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमश: अधिनियम या राज्य ग्रिड कोड या टैरिफ के अवधारण पर समय-समय पर संशोधित आयोग के विनियमों में दिया गया है।

अध्याय 2

सामान्य शर्तें

4. गैर परंपरागत /नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित उत्पादन केंद्र के रूप में अर्ह होने के लिए योग्यता मापदंड

(1) इन विनियमों के उद्देश्य से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन पर विचार किया जायेगा और ऐसे उत्पादन केन्द्रों को सामूहिक रूप से आरई आधारित उत्पादन केंद्र माना जायेगा और सह-उत्पादन केंद्र के रूप में संदर्भित किया जायेगा।

(2) वर्तमान में, निम्नलिखित स्रोतों और प्रौद्योगिकियों से उत्पादन इन विनियमों के अधीन आने के लिए अर्ह होगा:

(क) लघु जल-विद्युत परियोजना – इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रचलित नीतियों के अनुसार विकसित किये जा रहे उत्पादन केंद्र जो एक एकल अवस्थिति में 25 मेगा वाट के बराबर अथवा उससे कम क्षमता के साथ नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग कररहे हों।

(ख) पवन ऊर्जा परियोजना - जो पवन स्थल पर अवस्थित हों और जिनका 50 मीटर की हब ऊंचाई पर मापा गया न्यूनतम वार्षिक मीन 200 वाट/एम^2 पवन ऊर्जा घनत्व हो और जो नए एवन टरबाइन जनरेटर्स का उपयोग करते हों।

(ग) सौर पीवी, कैनाल बैंक व कैनाल टॉप सौर ऊर्जा पीवी, सौर ताप, एग्रोवोल्टिक और जीआरपीवी / जीएसपीवी – जो एमएनआरई द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकियों पर आधारित हों।

(घ) बायोमास / बायोगैस ऊर्जा संयंत्र – रैंकाईन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग कर रही बायोमास ऊर्जा परियोजनाएं जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग किये बिना बायोमास ईंधन स्रोत का इस्तेमाल कर रही हों।

(ङ) गैर जीवाश्म आधारित सह-उत्पादक केंद्र – कोई परियोजना गैर जीवाश्म आधारित सह-उत्पादक केंद्र कहलाने के लिए तभी अर्ह होगी यदि वह नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग कर रही हो और इसकी परिभाषा के अनुसार कार्यरत हो तथा निम्नलिखित अर्हता अपेक्षाओं को पूरा करती हो:

सह-उत्पादन का टॉपिंग चक्र माध्यम – कोई ऐसी सुविधा जिसमें ऊर्जा उत्पादन हेतु गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है तथा साथ-साथ अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोगी ऊष्मा हेतु उत्पादित ताप ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जाता है।

परन्तु टॉपिंग चक्र माध्यम के अधीन सह उत्पादन सुविधा के अर्ह होने के लिए उपयोगी ऊर्जा आउटपुट और उपयोगी ताप के आधे का योग, सीजन के दौरान इस सुविधा के ऊर्जा उपयोग के 45% से अधिक होगा।

स्पष्टीकरण – इस खंड के उद्देश्य हेतु,

(i). 'उपयोगी ऊर्जा उत्पादन, उत्पादक का सकल विद्युत् उत्पादन है. सह-उत्पादन केंद्र संयंत्र में ही एक सहायक उपभोग होगा (जैसे बायलर फीड पंप, और एफडी/आईडी फैन्स) शुद्ध ऊर्जा के संगणन हेतु यह आवश्यक होगा कि सहायक उपभोग को सकल उत्पादन में से घटाया जाये. परिकलन की सरलता के लिए उपयोगी ऊर्जा उत्पादन को जेनरेटर से सकल विद्युत् (kwh) उत्पादन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(ii). 'उपयोगी ताप उत्पादन' वह उपयोगी ऊष्मा (भाप) है जिसे उत्पादन सुविधा द्वारा प्रक्रिया को उपलब्ध कराया जाता है।

(iii). सुविधा का 'ऊर्जा उपभोग' वह ऊपयोगी ऊर्जा उत्पादन आगत है जिसकी ईंधन (सामान्यतया खोई अथवा ऐसे अन्य बायोमास ईंधन) द्वारा आपूर्ति की जाती है।

(iv). 'टॉपिंग चक्र' से ऐसी सह-उत्पादन प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें ताप ऊर्जा विद्युत् उत्पादित करती है उसके पश्चात् औद्योगिक गतिविधियों में ताप उपयोगी ऊष्मा प्रयोग में लाई जाती है।

(च) बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा परियोजना – एक परियोजना बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिए तभी अर्ह होगी जब वह नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हो और जिसके पास ग्रिड से जुड़ी ऐसी प्रणाली हो जिसमें 100% प्रोड्यूसर गैस इंजन के साथ एमएनआरई द्वारा अनुमोदित गैसीफायर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता हो।

(छ) बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजना — एक परियोजना बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिए तभी अर्ह होगी जब वह नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हो और जिसके पास ग्रिड से जुड़ी ऐसी प्रणाली हो जिसमें 100% बायोगैस फायर्ड इंजन के साथ एमएनआरई द्वारा अनुमोदित कृषि के अवशेष, खाद व अन्य जैविक अपशिष्ट के सह-पाचन हेतु बायोगैस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता हो।

(ज) नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाएं – एक परियोजना नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिए तभी अर्ह होगी जब वह रैंकाईन चक्र प्रौद्योगिकी आधारित नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हो और ईंधन स्रोतों के रूप में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग करती हो।

(झ) उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजना – एक योजना उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिए तभी अर्ह होगी जब वह रैंकाईन चक्र प्रौद्योगिकी आधारित नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हो और ईंधन स्रोतों के रूप में उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन का उपयोग करती हो।

(ञ) हाइब्रिड पवन-सौर ऊर्जा संयंत्र – एक परियोजना हाइब्रिड पवन-सौर ऊर्जा संयंत्र कहलाने के लिए तभी अर्ह होगी जब सोलर फोटो वोल्टाईक (पीवी) इस प्रकार संयोजित हों कि वे एक पवन टरबाइन से मिले हुए हों और ग्रिड संयोजन के उसी बिंदु पर प्रचालन हेतु जोड़े गए हों।

(3) कोई नया स्रोत या प्रौद्योगिकी एमएनआरई या केन्द्रीय मंत्रालय के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रौद्योगिकी के अनुमोदन के पश्चात् ही 'नवीकरणीय ऊर्जा' के रूप में अर्ह होगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रालय के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रौद्योगिकी के अनुमोदन के पश्चात आयोग प्रत्येक प्रौद्योगिकी हेतु टैरिफ पृथक रूप से अवधारित करेगा।

5. पर्यावरणीय और अन्य अनुमतियाँ

(1) आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र संघ/राज्य सरकार द्वारा तय किये गए उत्सर्जन मानकों/पर्यावरणीय मानकों का पालन करेंगे और जहाँ कहीं लागू हो वहां इसके लिए वे केंद्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारी से सभी आवश्यक पर्यावरणीय और प्रदूषण अनुमतियाँ प्राप्त करेंगे।

(2) आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र जहाँ कहीं आवश्यक हो वहां राज्य सरकार/उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूरेडा) से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करेंगे।

6. उत्पादन केंद्र के दायित्व और कर्तव्य

(1) आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (डीपीआर) में अपने उत्पादन संयंत्र की क्षमता की जानकारी प्रदान करेंगे, इसमें ऐसे स्रोत से उपलब्ध

विद्युत् उत्पादन की कार्यक्षमता और उसके उपयुक्तम उपयोग का ध्यान रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त इन्हें डीपीआर, निर्माण की प्रगति और उत्पादन संयंत्र की कमीशनिंग से सम्बंधित विवरण तथा आयोग द्वारा अपेक्षित प्रपत्र में व अपेक्षित तरीके से इससे सम्बंधित कोई अन्य सूचना भी आयोग को प्रदान करनी होगी।

(2) आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र:

(क) यह सुनिश्चित करेंगे कि इनके द्वारा सभीं सरकारी और संविधिक देयों का भुगतान नियत अवधि के भीतर किये जाएँ।

(ख) लागत और दक्षता से सम्बंधित अध्ययन कराये जाने के लिए प्राधिकारी/आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में उत्पादन और/या पारेषण से सम्बंधित तकनीकी विवरण जमा करेंगे।

(ग) उत्पादन, पूरी की गई मांग, उपलब्ध क्षमता, क्षमता उपयोगिता कारक, सहायक उपभोग, विशिष्ट ऊष्मा दर और विशिष्ट तेल उपभोग या कोई अन्य मापदंड इत्यादि से सम्बंधित सूचना वार्षिक आधार पर या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्देशित रूप में जमा करेंगे।

(घ) वार्षिक रूप से दाखिल आयकर विवरणी की प्रति के साथ संपरीक्षित वार्षिक लेखे आयोग के पास जमा करेंगे।

परन्तु यदि उत्पादक के पास एक से अधिक उत्पादन केंद्र प्रचालन में हैं तो वह वार्षिक आधार पर संपरीक्षित लेखों के साथ ओ एंड एम व्ययों का संयंत्रवार विवरण रखेगा और जमा करेगा।

(ङ) राज्य भार प्रेषण केंद्र के साथ संचार और डाटा अंतरण प्रणाली स्थापित करेंगे और निम्नलिखित के सम्बन्ध में राज्य भार प्रेषण केंद्र व क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे:

(i). अनुसूचीकरण।
(ii). ग्रिड द्वारा पारेषित विद्युत् की मात्रा के डाटा का विनिमय।
(iii). आईईजीसी और राज्य भार प्रेषण केंद्र के अनुसार विद्युत् का वास्तविक समय ग्रिड प्रचालन और प्रेषण।

(3) आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र ग्रिड अनुशासन का पालन करेंगे और प्रणाली व मानव जीवन की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपकरण संस्थापित करेंगे। ग्रिड के विफल होने पर या ग्रिड में किसी घटना के होने के कारण संयंत्र या इसके सम्बद्ध उप-

केंद्र और पारेषण लाईन में किसी व्यवधान अथवा हानि होने की स्थिति में यह किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(4) आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन कैंद्र यदि लाईन स्थापित करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं तो वे उत्पादन कैंद्र, सम्बद्ध उप-कैंद्र और प्रतिबद्ध पारेषण लाईनों की स्थापना, उनका प्रचालन और अनुरक्षण करेंगे, ये निम्नानुसार होंगे:

(क) विद्युत् संयंत्रों, विद्युत् लाईनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजन हेतु तकनीकी मानक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में। (विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 73(बी))

(ख) विद्युत् संयंत्रों और विद्युत् लाईनों के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु सुरक्षा आवश्यकताएं प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में। (विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 73(सी))

(ग) पारेषण लाईनों के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु ग्रिड मानक केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण या राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में। (विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 73(डी))

(घ) (घ) विद्युत् की आपूर्ति हेतु मीटर के संस्थापन हेतु शर्तें प्राधिकारी या राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में। ((विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 73(ई))

(5) आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन कैंद्र 'आईईजीसी' समय-समय पर संशोधित राज्य ग्रिड कोड और वितरण कोड का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन कैंद्र आयोग द्वारा जारी सामान्य और विशिष्ट निर्देशों तथा उत्पादन कंपनियों के लिए निर्मित विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि पर विद्यमान उत्पादन केन्द्रों द्वारा हस्ताक्षरित सभी ऊर्जा करार (PPAs), यदि वे इन विनियमों से असंगत हैं तो उन्हें इन विनियमों के अनुसार संशोधित किया जायेगा, और ऐसे संशोधित ऊर्जा करार आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन केन्द्रों के समस्त जीवनकाल हेतु मान्य रहेंगे।

(8) आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन कैंद्र अधिनियम के अधीन उपबंधित किये गए अनुसार राज्यान्तर्गत पारेषण / वितरण प्रणाली से सम्बंधित नियोजन और समन्वय के उद्देश्य से राज्य पारेषण यूटिलिटी और वितरण अनुज्ञापी के साथ समन्वय करेंगे।

(9) आरई आधारित उत्पादन कैंद्र और सह-उत्पादन कैंद्र को राज्य भार प्रेषण कैंद्र द्वारा उनको जारी निर्देशों का पालन करना होगा, ऐसा न करने पर संयंत्र, विद्युत् अधिनियम, 2003 के अधीन उपयुक्त कार्रवाई हेतु जिम्मेदार होगा।

(10) आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र, समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट या निर्देशित किया गए अनुसार फीस और प्रभारों का भुगतान राज्य भार प्रेषण केंद्र को करेंगे।

(11) विद्युत् की गुणवत्ता या ग्रिड के सुरक्षित व समेकित प्रचालन के सन्दर्भ में या राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा जारी किसी निर्देश के सम्बन्ध में कोई विवाद होने की स्थिति में उस मामले को न्यायनिर्णयन हेतु आयोग को संदर्भित किया जायेगा।

7. ऊर्जा का विक्रय

(1) सभी आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों और सह-उत्पादन केन्द्रों को अपने स्वयं के उपयोग हेतु आवश्यक क्षमता से अधिक की ऊर्जा को वितरण अनुज्ञापी को विक्रय करने की अनुमति होगी बशर्ते कि वितरण अनुज्ञापी इसके लिए ऊर्जा क्रय करार करने का इच्छुक हो, या उसे स्थानीय लोकल ग्रिड्स को आयोग द्वारा अवधारित दरों पर या परस्पर सहमत दरों पर राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर किसी व्यक्ति/उपभोक्ता को भी ऐसी ऊर्जा के विक्रय करने की अनुमति होगी। (परन्तु ऐसे उपभोक्ता को उन्मुक्त अभिगमन विनियमों के अधीन खुली पहुँच की अनुमति होना आवश्यक है)

(2) वितरण अनुज्ञापी, आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र से ऐसा प्रस्ताव मिलने पर इन विनियमों और अन्य विनियमों तथा अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के साथ अनुरूपता में ऊर्जा क्रय करार कर सकता है, तथापि, यदि वितरण अनुज्ञापी ऐसे उत्पादक से ऊर्जा क्रय करना चाहता है तो वह उत्पादन कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव से दो माह के भीतर ऊर्जा क्रय करार हस्ताक्षरित करेगा। अन्यथा यदि वितरण अनुज्ञापी ऐसे उत्पादक से ऊर्जा क्रय नहीं करना चाहता है तो वह उसके द्वारा प्रस्ताव किये जाने के एक माह के भीतर उत्पादक कंपनी को इसकी सूचना देगा।

परन्तु जहाँ परिसर में एक तृतीय पक्ष द्वारा जीआरपीवी/जीएसपीवी संयंत्र संस्थापित किया गया है जो वितरण अनुज्ञापी को शुद्ध ऊर्जा (अर्थात परिसर के स्वामी के समस्त उपभोग के समायोजन के पश्चात्) विक्रय करना चाहता है तो तृतीय पक्ष, योग्य उपभोक्ता और ऐसे वितरण अनुज्ञापी के मध्य एक त्रिपक्षीय करार करना होगा।

(3) वितरण अनुज्ञापी, पीपीए हस्ताक्षरित करने के एक माह के भीतर, इन विनियमों और समय-समय पर संशोधित उविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 में विनिर्दिष्ट

प्रपत्र में और उनमें बताये तरीके से उत्पादक कंपनी के साथ ऊर्जा क्रय करार करने के अनुमोदन हेतु आवेदन करेगा।

परन्तु पीपीए के अनुमोदन हेतु आवेदन के साथ एक बिना शर्त तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट और पारेषण/वितरण अनुज्ञापी के साथ हस्ताक्षरित संयोजन अनुबंध संलग्न करना होगा, जो पीपीए का भाग होगा।

8. हरित ऊर्जा (वितरण अनुज्ञापी से हरित उर्जा की अधिप्राप्ति)

(1) कोई भी उपभोक्ता या तो उपभोग के एक निश्चित प्रतिशत तक या अपने सम्पूर्ण उपभोग के 100% के इसके समकक्ष तक हरित ऊर्जा क्रय करने का विकल्प चुन सकता है और इसके लिए वह वितरण अनुज्ञापी के पास मांग रखेगा, जो हरित उर्जा की इस मात्रा को अधिप्राप्त कर इसकी आपूर्ति करेगा और उपभोक्ता के पास इन विनियमों के अध्याय-3 में विनिर्दिष्ट श्रेणियों हेतु पृथक मांग रखने की सुविधा होगी।

(2) उपभोक्ता जितनी मात्रा के लिए बाध्य है उससे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्वैच्छिक आधार पर क्रय कर सकता है और कार्यान्वयन की सुविधा हेतु यह पच्चीस प्रतिशत से लेकर सौ प्रतिशत तक हो सकता है।

(3) हरित ऊर्जा पर टैरिफ, वितरण अनुज्ञापी के टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत पूल की गई ऊर्जा विक्रय लागत, प्रति-सहायिकी, यदि कोई है, तथा हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वितरण अनुज्ञापी की विवेकपूर्ण लागत सम्मिलित करते हुए सेवा प्रभारों का समावेश होगा।

(4) वितरण अनुज्ञापी से हरित ऊर्जा की कोई मांग न्यूनतम एक वर्ष के लिए होगी।

(5) वितरण अनुज्ञापी अथवा वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी नवीकरणीय स्रोत से क्रय की गई हरित ऊर्जा जो बाध्य कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता से अधिक हो, उसकी गणना वितरण अनुज्ञापी की नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता अनुपालन में की जाएगी।

(6) वितरण स्तर पर आपूर्ति की गई नवीकरणीय ऊर्जा का लेखा मासिक आधार पर रखा जायेगा।

9. उन्मुक्त अभिगमन

(1) राज्य पारेषण/ वितरण प्रणाली में आबद्ध उपयोग हेतु बिना भेदभाव उन्मुक्त अभिगमन सभी आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों और सह-उत्पादन केन्द्रों को और उनको अनुमन्य होगा जो विनियम 7(1) के अधीन आते हैं, यह उन्मुक्त अभिगमन विनियमों के उपबंधों के अधीन होगा।

परन्तु 'उन्मुक्त अभिगमन' राज्य पारेषण/वितरण प्रणाली में अधिशेष क्षमता की उपलब्धता के अधीन अनुमन्य होगा।

परन्तु आबद्ध उर्जा संयंत्रों को वितरण अनुज्ञापी/पारेषण अनुज्ञापी से ग्रिड समर्थन के इस्तेमाल हेतु यथास्थिति, वितरण अनुज्ञापी/पारेषण अनुज्ञापी को समानांतर प्रचालन प्रभारों का भुगतान करना होगा।

परन्तु आबद्ध परियोजनाओं पर उन्मुक्त अभिगमन प्रभार की लेवी, अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी नीतियों के द्वारा शासित होगा।

(2) ऐसा उन्मुक्त अभिगमन इन विनियमों के विनियम 41 के अनुसार अवधारित पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों के भुगतान और औसत पारेषण/वितरण हानियों के प्रकार में समायोजन के अधीन होगा।

(3) यदि राज्य पारेषण प्रणाली या राज्य वितरण प्रणाली में अधिशेष क्षमता की उपलब्धता को लेकर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस मामले का न्यायनिर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय 3

नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ)

10. **'गैर जीवाश्म आधारित सह-उत्पादन से वितरण अनुज्ञापी द्वारा क्रय की जाने वाली विद्युत् और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत् के उत्पादन की न्यूनतम मात्रा'**

(1) अधिनियम के उपबंधों, राष्ट्रीय विद्युत् नीति, ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परम्परागत स्रोतों के विकास की प्रोन्नति हेतु टैरिफ नीति के अनुरूप सभी वर्तमान और भविष्य के वितरण अनुज्ञापी, बंदी उपयोगकर्ता और उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, जिन्हें इसमें इसके आगे 'बाध्य कंपनी' कहा गया है, वे राज्य में विनियम 4 में परिभाषित रूप में योग्य नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से, नीचे दिए गए अनुसार अपने स्वयं के उपभोग हेतु अपनी कुल विद्युत् आवश्यकता के न्यूनतम प्रतिशत की अधिप्राप्ति हेतु बाध्य होंगे। इसे बाध्य कंपनियों की नवीकरणीय क्रय बाध्यता (अर्पीओ) कहा जायेगा।

वर्ष	पवन आरपीओ	जल-विद्युत् क्रय बाध्यता (एचपीओ)	अन्य आरपीओ		
			सौर आरपीओ	सौर से अन्यथा	अन्य आरपीओ का योग
2023-24	1.60%	0.66%	5.00%	19.81%	24.81 %
2024-25	2.46%	1.08%	5.31%	21.06%	26.37%
2025-26	3.36%	1.48%	5.68%	22.49 %	28.17%
2026-27	4.29%	1.80%	6.02%	23.84%	29.86%
2027-28	5.23%	2.15%	6.33%	25.10%	31.43%
2028-29	6.16%	2.51%	6.59%	26.10%	32.69%
2029-30	6.94%	2.82%	6.77%	26.80%	33.57%

(क) पवन आरपीओ 31 मार्च 2022 के पश्चात कमीशंड पवन ऊर्जा परियोजनाओं (WPPs) से उत्पादित ऊर्जा द्वारा ही पूरा किया जायेगा।

(ख) एचपीओ 8 मार्च 2019 के पश्चात कमीशंड HHPs (जिसमें PSPs और लघु जल विद्युत् परियोजनाएं (SHPs)समिलित हैं) से क्रय की गई ऊर्जा द्वारा पूरा किया जायेगा।

(ग) अन्य आरपीओ को किसी ऐसी आरई ऊर्जा परियोजना जो ऊपर (क) व (ख) में उल्लिखित नहीं हैं, से उत्पादित ऊर्जा द्वारा पूरा किया जायेगा।

ऊपर अनुबंधित प्रतिशत आरपीओ, स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान बाध्य कंपनी द्वारा सभी स्रोतों से क्रय की गई/उत्पादित कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत् के गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन और उत्पादन से क्रय की न्यूनतम मात्रा प्रकट करता है।

जहाँ, भिन्न-भिन्न बाध्य कंपनियों के लिए क्रय की गई कुल ऊर्जा निम्नानुसार होगी:

(क) डिस्कॉम्स के लिए स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से क्रय की गई कुल ऊर्जा; और

(ख) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के लिए, उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से क्रय की गई कुल ऊर्जा, स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान निकासी/उपभोग बिंदु पर रिकॉर्ड किया गया मीटर्ड उपभोग होगी।

(ग) आबद्ध उपयोगकर्ताओं के लिए उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से क्रय की गई कुल ऊर्जा स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान निकासी/उपभोग बिंदु पर रिकॉर्ड किया गया मीटर्ड उपभोग होगी।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी की एचपीओ बाध्यता, उस समय पर करार के अनुसार 8 मार्च 2019 के पश्चात् कमीशंड HPPs (जिसमें PSPs और SHPs सम्मिलित हैं) से राज्य को प्रदान की जा रही नि:शुल्क ऊर्जा) में से भी पूरी की जा सकेगी, यदि यह डिस्कॉम के भीतर उपभोग में लाई जाती है. इसमें एलएडीएफ हेतु योगदान सम्मिलित नहीं है। नि:शुल्क ऊर्जा (वह नहीं जिसका स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु योगदान किया गया है) एचपीओ लाभ के लिए योग्य होगी।

परन्तु किसी वर्ष विशेष में सौर आरपीओ श्रेणी के पूरा होने में रह गई किसी कमी को 'एचपीओ' से आगे 8 मार्च 2019 के पश्चात (जिसमें PSPs और SHPs सम्मिलित हैं) उस वर्ष हेतु उपभोग की गई अतिरिक्त उर्जा से या उस वर्ष हेतु अन्य आरपीओ की श्रेणी के अधीन योग्य 'सौर आरपीओ से अन्यथा' से उपभोग की गई अधिक ऊर्जा से भी पूरा किया जा सकता है।

परन्तु आगे यह कि किसी वर्ष विशेष में 'अन्य आरपीओ' श्रेणी के अधीन 'सौर आरपीओ से अन्यथा' के पूरा होने में रह गई किसी कमी को उस वर्ष हेतु 'पवन आरपीओ' से आगे 31 मार्च 2022 के पश्चात कमीशंड पवन ऊर्जा संयंत्रों से उपभोग की अधिक ऊर्जा से या उस वर्ष हेतु 'एचपीओ' से आगे 8 मार्च 2019 के पश्चात कमीशंड योग्य एचपीपी से उपभोग की गई अधिक ऊर्जा से या उस वर्ष हेतु 'सौर पीआरओ' से आगे सौर संयंत्र से उपभोग की गई अधिक ऊर्जा से या आंशिक रूप से उपरोक्त तीनों श्रेणियों से पूरा किया जा सकता है।

परन्तु आगे यह कि किसी वर्ष विशेष में 'पवन आरपीओ के पूरा होने में रह किसी कमी को जल ऊर्जा संयंत्रों, से उपभोग की गई अधिक ऊर्जा जो उस वर्ष हेतु 'एचपीओ' से अधिक है, से और इसके विपरीत क्रम में से पूरा किया जा सकता है।

(2) इस आरपीओ संरचना के प्रयोजन से, प्रत्येक बाध्य कंपनी हेतु स्वयं के उपभोग से अभिप्राय है - आपूर्ति के उसके क्षेत्र के भीतर अपने उपभोक्ताओं को आपूर्ति के उद्देश्य से अपने स्वयं के उपभोग हेतु बाध्य कंपनी द्वारा सभी स्रोतों से उपभोग या क्रय की गई सकल ऊर्जा, इसमें अनुज्ञापियों या बाहर के उपभोक्ताओं के मध्य विद्युत् का परस्पर विक्रय सम्मिलित नहीं है।

(3) वितरण अनुज्ञापी अपने 'सौर आरपीओ' अनुपालन को पूरा करने के लिए अबाध्य कंपनियों के जीआरपीवी/जीएसपीवी से उत्पादित सकल सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए योग्य होगा। यह जीआरपीवी/जीएसपीवी की सकल ऊर्जा उत्पादित मीटर रीडिंग पर आधारित होगी।

(4) उपभोग की गई कुल ऊर्जा का निम्नलिखित प्रतिशत स्टोरेज के साथ/माध्यम से सौर/पवन ऊर्जा होगी।

वित्त वर्ष	स्टोरेज (ऊर्जा आधार पर)
2023- 24	1.0%
2024-25	1.5%
2025-26	2.0%
2026-27	2.5%
2027-28	3.0%
2028-29	3.5%
2029-30	4.0%

(5) ऊर्जा स्टोरेज बाध्यता का परिकलन विद्युत् के कुल उपभोग के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा रूप में किया जायेगा और इसे पूरा कर लिया गया तभी माना जायेगा जब वार्षिक आधार पर ऊर्जा स्टोरेज प्रणाली (ईएसएस) में कुल ऊर्जा स्टोरेज का न्यूनतम 85% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिप्राप्त कर लिया जायेगा।

(6) आरई स्रोतों से स्टोर की गई ऊर्जा की सीमा तक ऊर्जा स्टोरेज बाध्यता को इस विनियम के उप-विनियम (1) के अधीन उल्लिखित रूप में कुल आरपीओ का आंशिक रूप से पूरा किया गया माना जायेगा।

(7) उरेडा, आरपीओ बाध्यता के अनुपालन से सम्बंधित डाटा का रखरखाव करेगा।

अध्याय 4

टैरिफ – सामान्य सिद्धांत

11. टैरिफ

(1) इन विनियमों के अधीन टैरिफ का अवधारण केवल वितरण अनुज्ञापी और स्थानीय ग्रामीण ग्रिड्स को विद्युत् के विक्रय हेतु लागू होगा। आयोग, जहाँ तक संभव हो, सीईआरसी, राष्ट्रीय विद्युत् नीति और टैरिफ नीति द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांतों और कार्यविधियाँ, यदि कोई हैं, द्वारा दिशा-निर्देशित होगा।

(2) आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र, सिवाय उनके जो विनियम 2 के उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन उल्लिखित हैं, विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर अवधारित सामान्य टैरिफ का विकल्प ले सकता है या आयोग के समक्ष "परियोजना विशिष्ट टैरिफ" हेतु ताचिका दायर कर सकता है। इस प्रयोजन हेतु आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र, परियोजना की कमीशनिंग या अनेक यूनिट्स के मामले में प्रथम यूनिट की कमीशनिंग की तिथि न्यूनतम तीन माह पहले वितरण अनुज्ञापी को अपना विकल्प देंगे. एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लेने पर पीपीए की वैध अवधि के दौरान इसमें किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

परन्तु निम्नलिखित को परियोजना विशिष्ट टैरिफ की मांग का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा:

(i). किसी प्रकार का सौर ऊर्जा संयंत्र,

(ii). पवन ऊर्जा संयंत्र, और

(iii). 1 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली अन्य आरई आधारित ऊर्जा परियोजनाएं।

परन्तु आगे यह कि यदि उत्पादन कंपनी उपरोक्त अनुबंधित समय के भीतर वितरण अनुज्ञापी को अपना विकल्प नहीं देती है तो परियोजना की कमीशनिंग या अनेक यूनिट्स के मामले में प्रथम यूनिट की कमीशनिंग की तिथि पर आधारित सामान्य टैरिफ लागू होंगे।

(3) परियोजना विशिष्ट टैरिफ, प्रत्येक मामले में अलग-अलग आधार पर निम्नलिखित मामलों में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा:

(क) उन परियोजनाएं के लिए जो ऊपर विनियम 11(2) के प्रथम उपबंध के अधीन अध्याय 5 में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए विनिर्दिष्ट मानकीय पूंजीगत लागत के स्थान पर वास्तविक पूंजीगत लागत के आधार पर अपने टैरिफ अवधारित करने का विकल्प देती हैं, स्थिर प्रभारों की वसूली हेतु सीयूएफ (उत्पादन), अनुमोदित

डीपीआर में परिकल्पित या सुसंगत प्रौद्योगिकी हेतु अध्याय 5 के अधीन विनिर्दिष्ट मानकीय सीयूएफ़, दोनों में जो अधिक हो, ली जाएगी;

(ख) अन्य हाइब्रिड परियोजनाओं में नवीकरणीय-नवीकरणीय या नवीकरणीय-परंपरागत स्रोत, जिनके लिए एमएनआरई द्वारा नवीकरणीय प्रौद्योगिकी अनुमोदित है सम्मिलित हैं;

(ग) ऐसी परियोजनाएं जिनके संयंत्र और मशीनरी या उपकरण पुराने हैं।

(घ) आरई कम्पनी अपने आरई आधारित ऊर्जा संयंत्र के उपयोगी जीवन काल से आगे के जीवन के विस्तार के उद्देश्य से नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उच्चीकरण (आरएमयू) पर व्यय को पूरा करने के लिए आयोग के समक्ष एक डीपीआर के साथ प्रस्ताव के सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु आवेदन करेगा जिसमें पूर्ण विषय-क्षेत्र, लागत लाभ विश्लेषण, सन्दर्भ तिथि से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्ययों के चरण, पूर्णता की अनुसूची और आयोग द्वारा अपेक्षित अन्य विवरण प्रदान करना होगा तथा उनका टैरिफ तय करते समय आयोग आरएमयू गतिविधियों और आयोग द्वारा सुसंगत समझे गए ऐसे अन्य कारकों के पूर्ण हो जाने के पश्चात वास्तविक पूँजी लागत पर आधारित विनियम में विनिर्दिष्ट टैरिफ मानकों द्वारा दिशा-निर्देशित होगा।

(ङ) एमएनआरई द्वारा अनुमोदित कोई अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी।

परन्तु परियोजना विशिष्ट टैरिफ अवधारित करते समय आयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों के लिए इन विनियमों के अध्याय 4 व 5 के उपबंधों द्वारा दिशा-निर्देशित होगा।

12. नियंत्रण अवधि अथवा समीक्षा अवधि

(1) इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि अथवा समीक्षा अवधि पांच वर्षों की होगी, जिनमें से प्रथम वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 होगा।

परन्तु सौर पीवी, कैनाल बैंक व कैनाल टॉप सौर पीवी, सौर तापीय, नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाएं, उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाएं और ग्रिड इंटरैक्टिव रूफ टॉप और लघु सौर पीवी परियोजनाओं की बेंचमार्क पूंजीगत लागत की आयोग द्वारा वार्षिक रूप से समीक्षा की जा सकेगी।

परन्तु आगे यह कि नियंत्रण अवधि के दौरान कमीशंड आरई परियोजनाओं के लिए इन विनियमों के अनुसार अवधारित टैरिफ सम्पूर्ण टैरिफ अवधि के लिए लागू होना जारी रहेगा।

13. टैरिफ और पीपीए अवधि

(1) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ अवधि, इन विनियमों के विनियम 3(1)(lxiii) में विनिर्दिष्ट परियोजना के उपयोगी जीवन के बराबर होगी।

(2) इन विनियमों के अधीन टैरिफ अवधि नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के वाणिज्यिक प्रचालन अथवा उसकी कमीशनिंग की तिथि से मानी जाएगी।

(3) पीपीए, वितरण अनुज्ञापी के साथ सम्पूर्ण टैरिफ अवधि हेतु निष्पादित करना होगा।

14. परियोजना विशिष्ट टैरिफ के अवधारण हेतु याचिका और कार्यवाहियां

(1) आरई आधारित उत्पादन केंद्र और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन केंद्र ऐसे प्रारूप में और ऐसे जानकारी, जो आयोग द्वारा अपेक्षित हो, के साथ आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों और सह-उत्पादक केन्द्रों की पूर्ण की गई यूनिट्स के सम्बन्ध में वास्तविक पूंजीगत लागत पर आधारित परियोजना विशिष्ट टैरिफ तय किये जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

परन्तु परियोजना विशिष्ट टैरिफ अवधारण हेतु आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र अपनी याचिका के साथ डीपीआर और पूंजीगत लागत मदों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(2) अंतिम टैरिफ तय हो जाने तक आरई आधारित उत्पादन केंद्र और सह-उत्पादन केंद्र या तो सामान्य टैरिफ को अस्थायी टैरिफ के रूप में स्वीकार करेंगे या आवेदन करने की तिथि अथवा आवेदन करने से पहले की किसी तिथि तक उपगत पूंजीगत व्यय, जो सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित और संपरीक्षित हों, पर आधारित परियोजना के पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि के पहले अस्थायी टैरिफ के अवधारण हेतु आवेदन करेंगे। आयोग द्वारा अवधारित अस्थायी टैरिफ उत्पादन केंद्र की सम्बंधित यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (CoD) से प्रभारित किये जा सकेंगे।

परन्तु आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों और सह-उत्पादन केन्द्रों को प्रचालन की वास्तविक तिथि से 18 माह के भीतर तक उपगत हुए वास्तविक पूंजीगत व्यय के आधार पर अंतिम टैरिफ के अवधारण हेतु नया आवेदन करना होगा।

(3) परियोजना विशिष्ट टैरिफ के अवधारण हेतु याचिका के साथ समय-समय पर संशोधित उविनिआ (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 में विनिर्दिष्ट ऐसी फीस के साथ निम्नलिखित संलग्न करना होगा:

(क) इन विनियमों में परिशिष्टित रूप में, यथास्थिति, प्रपत्र 1.1, 1.2, 2.1, और 2.2 में जानकारी;

(ख) तकनीकी और प्रचालक विवरण, स्थल विशिष्ट पहलू, पूंजीगत लागत और वित्तीय नियोजन इत्यादि हेतु परिसर का विवरण प्रदान करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;

(ग) वह अवधि, जिस के लिए टैरिफ का अवधारण किया जाना है, उस के लिए लागू सभी निबंधन और शर्तें तथा अपेक्षित व्ययों का विवरण।

(घ) प्राप्त की गई किसी सहायिकी या प्राप्य अथवा केंद्र सरकार और/या राज्य सरकार से प्राप्य होने के लिए अभिगृहीत किसी सहायिकी और प्रोत्साहन के परिकलन सहित पूर्ण विवरण. इस विवरण में सहायिकी और प्रोत्साहन का विचार कर और उसके बिना परिकलित प्रस्तावित टैरिफ भी पृथक रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

(ङ) लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें आईडीसी व आईईडीसी और परियोजना लागत पर उपगत वर्षवार और घटक/आस्तिवार व्यय दर्शाए गए हों, इसके साथ सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा वार्षिक लेखों की संपरीक्षित और प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न हों।

(च) ऋणों का विवरण जिसमें प्रथम निकासी की तिथी से वित्तीय संस्थानों के विवरण सम्मिलित हैं, और ऋण दाता(ओं) से यह प्रमाणपत्र कि परियोजना को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, और यदि परियोजना को एनपीए के रूप में परियोजना विशिष्ट टैरिफ के लिए इन्कार कर दिया जायेगा।

(छ) कोई अन्य जानकारी जो आयोग द्वारा याचिकाकर्ता से प्रस्तुत करने के लिए कहा जाये।

(4) शुल्क के अवधारण हेतु कार्यवाहियां उविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 के अनुसार होंगी।

15. टैरिफ संरचना

(1) नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए टैरिफ एकल भाग टैरिफ (रु./kWh) में और एक्स बस, अर्थात विनियम 3(1)(xxxiv) में परिभाषित अंत:संयोजन बिंदु पर सहायक उपभोग और ट्रांसफार्मर हानियों के पश्चात होगा।

परन्तु ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां जिनके ईंधन लागत घटक हों, जैसे बायोमास/बायोगैस/बायोमास गैसीफायर ऊर्जा परियोजनाएं, उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन, उन के लिए टैरिफ दो घटकों यथा, स्थिर लागत घटक और ईंधन लागत घटक के साथ अवधारित किया जायेगा।

(2) टैरिफ में निम्नलिखित स्थिर लागत घटकों का समावेश होगा:

(क) इक्विटी पर प्रतिफल;

(ख) ऋण पूँजी पर ब्याज

(ग) अवक्षय

(घ) कार्यकारी पूँजी पर ब्याज;

(ङ) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय

(3) प्रत्येक प्रकार के नवीकरणीय स्रोत और प्रत्येक प्रकार की नवीकरणीय प्रौद्योगिकी जिनके लिए मानक इन विनियमों में अवधारित किये गए हैं उन के लिए सामान्य टैरिफ पृथक रूप से अवधारित किया जा रहा है।

(4) सामान्य टैरिफ, प्रत्येक प्रकार के स्रोत और संयंत्र की कमीशनिंग के वर्ष हेतु इन विनयमों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार मानकीय मापदंडों पर आधारित है। इन विनियमों के अधीन, आरई आधारित उत्पादन कन्द्रों और सह-उत्पादन केन्द्रों के सम्बन्ध में टैरिफ सभी उत्पादन केन्द्रों के लिए लागू होगा।

परन्तु विभिन्न नियंत्रण अवधियों के चलते कमीशंड हुई एक से अधिक यूनिट्स वाले संयंत्र से विद्युत् की आपूर्ति हेतु सामान्य टैरिफ, संयंत्र की कुल क्षमता हेतु विभिन्न विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट टैरिफ की भारित औसत पर आधारित होगा।

(5) परियोजना के उपयोगी जीवनकाल हेतु स्तरीकृत टैरिफ आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों और सह-उत्पादन केन्द्रों के लिए विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

परन्तु ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां जिनका दो घटकों के साथ टैरिफ (रु./kWh में) है उन के लिए टैरिफ का अवधारण स्थिर लागत घटक हेतु परियोजना की कमीशनिंग के वर्ष को ध्यान में रखते हुए स्तरीकृत आधार पर किया जायेगा जबकि ईंधन लागत घटक प्रचालन के वर्ष के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) स्तरीकृत टैरिफ की संगणना के उद्देश्य से पूंजी की भारित औसत लागत के समकक्ष छूट कारक लिया जायेगा। पूंजी की भारित औसत लागत के अवधारण हेतु, लागू दरों पर कर इक्विटी पर कर-पूर्व प्रतिफल का समायोजन किया जायेगा।

(7) इन विनियमों के अधीन टैरिफ के स्तरीकृत किये जाने पर कार्य निष्पादन अथवा किसी अन्य कारण से कमी अथवा प्राप्ति को उत्पादन केन्द्रों या सह-उत्पादन केन्द्रों द्वारा वहन किया/रखा जायेगा. सामान्य टैरिफ के विकल्प की इच्छुक अथवा परियोजना विशिष्ट टैरिफ के विकल्प की इच्छुक परियोजनाओं के लिए टैरिफ की विधिमान्यता के दौरान किसी भी कारण से किन्ही मापदंडों, जिसमें अतिरिक्त पूंजीकरण सम्मिलित है, का कोई सहीकरण नहीं किया जायेगा. यूनिट के तुल्यकालन (synchronisation) और कमीशनिंग की अवधि के मध्य विद्युत् की आपूर्ति हेतु टैरिफ (अशक्त ऊर्जा) परियोजना के उपयोगी

जीवनकाल हेतु स्तरीकृत सामान्य टैरिफ के स्थिर लागत घटक के 50% के बराबर होगा. तथापि, ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां जिनके ईंधन लागत घटक हों, जैसे बायोमास/बायोगैस/बायोमास गैसीफायर ऊर्जा परियोजनाएं, उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन, वे स्तरीकृत सामान्य टैरिफ के 50% के अतरिक्त उस वर्ष हेतु टैरिफ के ईंधन लागत घटक पाने के भी हकदार होंगे:

परन्तु जहाँ परियोजना विशिष्ट टैरिफ अवधारित किया जा रहा है वहां अशक्त ऊर्जा से उत्पन्न राजस्व का उपयोग, जहाँ कहीं लागू हो, उपभोग किये गए ईंधन की लागत हेतु क्रेडिट प्रदान किये जाने के पश्चात परियोजना की पूँजी लागत को घटा कर किया जायेगा;

परन्तु पूंजीगत प्रकृति का कोई अतरिक्त व्यय जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के कारण (किन्तु उत्पादक कंपनी की लापरवाही के कारण पॉवर हाउस की फ्लडिंग होने पर नहीं) केवल बहाली कार्य हेतु आवश्यक हो जाये तो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के पश्चात् इन विनियमों के अधीन आये सभी उत्पादन केन्द्रों के लिए किसी बीमा योजना से प्राप्तियों के विधिवत समायोजन के पश्चात अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुमन्य होगा। उपरोक्त रूप में स्वीकृत अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु टैरिफ में उपयुक्त समयोजन, विनियमों के अध्याय 4 व 5 में दिए गए मानकों के आधार पर उस परियोजना के शेष जीवन हेतु अनुमन्य होगा;

परन्तु यह अतिरिक्त पूंजीकरण केवल तभी अनुमन्य होगा जब उपरोक्त प्राकृतिक आपदाओं के होने के समय उपयुक्त और पर्याप्त बीमा कवर उपलब्ध था। किसी ऐसी अपरिहार्य घटना जिस के फलस्वरूप संयंत्र बंद करना पड़े, हो जाने पर उत्पादन केंद्र इस घटना के सात दिन के भीतर आयोग और वितरण अनुज्ञापी को इसकी सूचना देगा। ऐसे मामले में आयोग वितरण अनुज्ञापी और राज्य नोडल एजेंसी को क्षतिग्रस्त संयंत्र का दौरा करने, और उत्पादक व विकासकर्ता के साथ समन्वय कर नुकसान की प्रकृति और प्रकार व आवश्यक बहाली कार्य का निर्धारण करने का निर्देश दे सकता है।

16. वित्तीय सिद्धांत

(1) पूंजीगत लागत

(क) अध्याय 5 में प्रौद्योगिकी विशिष्ट उपबंधों में विनिर्दिष्ट पूंजीगत लागत हेतु मानकों में, उपगत हुए अथवा उपगत होने के लिए दर्शाए गए व्यय, प्रारंभिक स्पयेर्स, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और वित्त-पोषण प्रभार, निर्माण के दौरान कोई आकस्मिक व्यय (आईईडीसी), विवेकपूर्ण जांच के पश्चात आयोग द्वारा स्वीकृत रूप में परियोजना के प्रचालन या कमीशनिंग की तिथि तक नीचे उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट तरीके से ज्ञात ऋणों पर निर्माण के दौरान विदेशी विनिमय जोखिम परिवर्तन के कारण कोई प्राप्ति या हानि सम्मिलित होंगे। पूंजीगत लागत में

अंत:संयोजन के बिंदु तक स्विचयार्ड इत्यादि पर उपगत या उपगत होने के लिए दर्शाए गए व्यय भी सम्मिलित होंगे (अर्थात इसमें उस पारेषण या वितरण अनुज्ञापी जिस के उत्पादन केंद्र से यह जुड़ा हुआ है, के समीपस्थ उप-केंद्र तक अंत:संयोजन के बिंदु से प्रतिबद्ध लाईन और सम्बद्ध उपकरण की लागत सम्मिलित नहीं है।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि प्राप्ति में विलम्ब के फलस्वरूप आईडीसी, वित्तीय प्रभार और आईईडीसी की अतिरिक्त लागत होने के मामले में उत्पादन कम्पनी को ऐसे विलम्ब, जिसमें विलम्ब के दौरान आईडीसी, वित्तीय प्रभार और आईईडीसी तथा विलम्ब के तदनुरूप वसूल की गई या वसूली योग्य परिनिर्धारित नुकसानी का विवरण सम्मिलित है, के लिए समर्थक दस्तावेजों के साथ विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना होगा:

परन्तु यदि विलम्ब उत्पादक कम्पनी के कारण नहीं हुआ है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण हुआ है तो ऐसे व्ययों को विवेकपूर्ण जांच के पश्चात अनुमन्य किया जा सकेगा।

परन्तु आगे यह कि जहाँ विलम्ब उत्पादक कंपनी के साथ संलग्न किसी एजेंसी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता के द्वारा हुआ है वहां ऐसी एजेंसी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से वसूली गई परिनिर्धारित नुकसानी को पूंजीगत लागत का संगणन करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

(ग) यदि कोई एक उत्पादक कंपनी अंत:संयोजन के बिंदु से पारेषण या वितरण अनुज्ञापी के समीपस्थ ऐसे उप-केंद्र, जिस के साथ उत्पादन केंद्र जुड़ा हुआ है तक निष्क्रमण अवस्थापना स्वयं की लागत पर निर्माण करना चाहती है तो उसे अंत:संयोजन के बिंदु पर अवधारित सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त 7 पैसे/यूनिट मानकीय स्तरीकृत टैरिफ अनुमन्य होगा। लेकिन एक सौर उत्पादक कंपनी के मामले में, अंत:संयोजन बिंदु पर अवधारित सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त 14 पैसे /यूनिट मानकीय स्तरीकृत टैरिफ अनुमन्य होगा। निष्क्रमण अवस्थापना हेतु उक्त मानकीय टैरिफ उविनिआ (विद्युत् आपूर्ति कोड नए संयोजनों का जारी करना और सम्बंधित मामले) विनियम 2020 के अधीन विनिर्दिष्ट लाईन और उपकरण की लागत पर विचार करते हुए तय किये गए हैं, जो कि नीचे दी गई मानकीय लागत के अनुसार हैं:

(i). 3 MW, 11 kVS/C तक - रु. 8.00 लाख/किमी

(ii). 3 MW से अधिक और 13 MW, 33kV S/C - रु. 12.50 लाख/किमी

(iii).13 MW से अधिक और 25MW, 33kV 2xS/C या D/C - रु. 25.00 लाख/किमी

परन्तु यदि एक से अधिक उत्पादन केंद्र, अपने उत्पादन की ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु इन विनियमों के विनियम 43 के अनुसार अपनी स्वयं की लागत पर एक साझा निष्क्रमण अवस्थापना का निर्माण करते हैं, जिसमें पूलिंग स्विचिंग स्टेशन भी सम्मिलित है तो उपरोक्त मानकीय स्तरीकृत टैरिफ को सभी ऐसे उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित क्षमता के आधार पर उनके मध्य विभाजित किया जायेगा।

परन्तु आगे यह भी कि जहाँ पारेषण लाईन का निर्माण अंत:संयोजन बिंदु से समीपस्थ उप-केंद्र तक आंशिक रूप से वितरण अनुज्ञापी द्वारा और आंशिक रूप से उत्पादन कम्पनी द्वारा किया गया है वहां यथास्थिति, 7 पैसे/kWh या 14 पैसे kWh का मानकीय स्तरीकृत टैरिफ, लाईन की सम्पूर्ण लम्बाई, अर्थात अंत:संयोजन बिंदु से वितरण/पारेषण अनुज्ञापी के उप-केंद्र तक की लम्बाई के अनुपात में उत्पादन कंपनी द्वारा निर्मित लाईन के अनुसार होगा।

(घ) वितरण अनुज्ञापी को उत्पादक कंपनी(यों) को ऊपर विनिर्दिष्ट अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा, बशर्ते कि ऐसी लाईनों का स्वामित्व ऐसी उत्पादक कम्पनी(यों) के पास बना रहे. तथापि, वितरण अनुज्ञापी को प्रथम विकल्प या तो उक्त कम्पनी(यों) के नवीनतम संपरीक्षित लेखों में इंगित अवक्षयित लागत पर उत्पादक कम्पनी(यों) की निष्क्रमण अवस्थापना को खरीदने के लिए दिया जायेगा या उसे इन विनियमों के अधीन अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी को उत्पादन केंद्र (केन्द्रों) की कमीशनिंग की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग करना होगा।

(2) **ऋण-इक्विटी अनुपात**

(1) सामान्य और परियोजना विशिष्ट टैरिफ हेतु ऋण-इक्विटी अनुपात निम्नानुसार होगा:

(क) सामान्य टैरिफ हेतु ऋण-इक्विटी अनुपात 70:30 होगा।

(ख) परियोजना विशिष्ट टैरिफ हेतु निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे।

यदि वास्तव में परिनियोजित इक्विटी पूँजीगत लागत की 30% है तो 30% से अधिक की इक्विटी को मानकीय ऋण माना जायेगा:

परन्तु जहाँ वास्तव में परिनियोजित इक्विटी पूंजीगत लागत की 30% से कम है वहां टैरिफ के निर्धारण हेतु वास्तविक इक्विटी विचारित की जाएगी।

परन्तु आगे यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित की गई इक्विटी को प्रत्येक निवेश की तिथि पर भारतीय रुपये में अभिहित किया जायेगा।

(2) एमएनआरई से उपलब्ध सहायिकी को विनियम 25 के अधीन विनिर्दिष्ट सहायिकी की सीमा तक ऋण के समय-पूर्व भुगतान हेतु उपयोग में लाया गया माना जायेगा और शेष ऋण व 30% इक्विटी टैरिफ के अवधारण हेतु विचारित की जाएगी:

परन्तु आगे यह कि यह समझा जायेगा कि इस भुगतान से मूल भुगतान चुकौती प्रभावित नहीं होगी।

(3) सहायिकी की राशि पर एमएनआरई की लागू नीति के अनुसार प्रत्येक नवीकरणीय स्रोत हेतु विचार किया जायेगा. यदि एमएनआरई द्वारा सहायिकी की राशि बढाई या घटाई जाती है तो आयोग द्वारा आवश्यक सुधार किये जायेंगे, बशर्ते कि सहायिकी की राशि में कमी उत्पादक कम्पनी की अदक्षता के कारण न हो।

17. ऋण पूँजी पर ब्याज

(1) विनियम 16 (2) में इंगित तरीके से ज्ञात ऋणों को ऋण पर ब्याज के परिकलन हेतु कुल मानकीय ऋण के रूप में माना जायेगा। प्रत्येक वर्ष की प्रथम तिथि को शेष बकाया मानकीय ऋण, कुल मानकीय ऋण में से पिछले वर्ष की 31 मार्च तक संचयी चुकौती को घटा कर ज्ञात किये जायेंगे।

(2) सामान्य टैरिफ के संगणन के उद्देश्य से मानकीय ब्याज दर को, पिछले उपलब्ध छः माह के दौरान प्रचलित औसत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) निधियों की उपांतिक लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) (एक वर्ष अवधि) + 300 बेसिस पॉइंट माना जायेगा।

(3) परियोजना विशिष्ट टैरिफ के संगणन के उद्देश्य से मानकीय ब्याज दर को, वित्तीय संस्थानों को देय वास्तविक ब्याज से नीचे अथवा याचिका की तिथि से उपलब्ध छः माह के दौरान प्रचलित औसत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) निधियों की उपांतिक लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) (एक वर्ष अवधि) + 300 बेसिस पॉइंट माना जायेगा।

(4) उत्पादक कंपनी द्वारा उपयोग किसी अधिस्थगन काल का इस्तेमाल किये जाने पर भी ऋण की चुकौती परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से मानी जा रही है और यह अनुमन्य वार्षिक अवक्षय के बराबर होगी।

(5) ऋण चुकौती की मानकीय अवधि 15 वर्ष के रूप में ली जाएगी।

18. अवक्षय

(1) टैरिफ के उद्देश्य से अवक्षय की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, यथा:

(क) अवक्षय के उद्देश्य से मूल्य आधार, नीचे उप-विनियम (2) के अनुसार आयोग द्वारा स्वीकृत रूप में परियोजना की पूंजीगत लागत होगा।

(ख) परिसंपति का रक्षित संपत्ति मूल्य 10% माना जायेगा और अवक्षय परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90% तक अनुमन्य होगा।

(ग) टैरिफ अवधि के प्रथम 15 वर्ष हेतु अवक्षय दर 4.67 प्रति वर्ष होगी और शेष अवक्षय परियोजना लागत के 10% के रूप में परियोजना का रक्षित संपत्ति मूल्य मानते हुए, 16वें वर्ष से आगे परियोजना के उपयोगी जीवन में विस्तृत होगा।

(घ) अवक्षय वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित होगा।

(2) उत्पादक द्वारा प्राप्त पूंजीगत सहायिकी का 75% अवक्षय के प्रयोजन से पूंजीगत लागत से घटा दिया जायेगा।

19. इक्विटी पर प्रतिफल

(1) इक्विटी के लिए मूल्य आधार विनियम 16(2) के अधीन अवधारित किया जायेगा।

(2) इक्विटी पर मानकीय प्रतिफल (कर पश्चात) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 16% होगा. कर पूर्व इक्विटी पर प्रतिफल ज्ञात करने के लिए इक्विटी पर मानकीय प्रतिफल को, टैरिफ अवधि के प्रथम 15 वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) दर और शेष टैरिफ के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित निगमित कर द्वारा सकलित किया जायेगा।

20. कार्यकारी पूँजी पर ब्याज

(1) पवन ऊर्जा परियोजनाओं, लघु जल विद्युत्, सौर पीवी, कैनाल बैंक और कैनाल टॉप सौर पीवी, सौर ताप और सौर जीआरपीवी/जीएसपीवी ऊर्जा परियोजनाओं के सम्बन्ध में पूंजीगत आवश्यकताओं की संगणना निम्निखित के अनुसार की जाएगी:

(क) एक माह हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;

(ख) मानकीय सीयूएफ पर परिकलित विद्युत् के विक्रय हेतु ऊर्जा प्रभारों के दिनों के समकक्ष प्राप्य खाते।

परन्तु परियोजना विशिष्ट टैरिफ के अवधारण हेतु विद्युत् का विक्रय अनुमोदित डीपीआर में परिकल्पित सीयूएफ या अध्याय 5 के अधीन सुसंगत प्रौद्योगिकी हेतु विनिर्दिष्ट मानकीय सीयूएफ, दोनों में जो अधिक हो, के आधार पर परिकलित किया जायेगा।

(ग) अनुरक्षण स्पेयर, प्रचालन और अनुरक्षण व्ययों के 15% की दर पर।

(2) बायोमास परियोजनाओं, नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाओं, उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन

परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्यकारी पूँजी आवश्यकता का संगणन निम्नलिखित के अनुसार किया जायेगा:

(क) चार माह हेतु ईंधन लागत मानकीय सीयूएफ़;

(ख) एक माह हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण;

(ग) मानकीय सीयूएफ़ पर परिकलित विद्युत् के विक्रय हेतु स्थिर और परिवर्ती प्रभारों के 45 दिनों के के प्राप्य खातों के समकक्ष;

परन्तु परियोजना विशिष्ट टैरिफ के अवधारण हेतु सीयूएफ़ को अनुमोदित डीपीआर में परिकल्पित सीयूएफ़ या अध्याय 5 के अधीन सुसंगत प्रौद्योगिकी हेतु विनिर्दिष्ट मानकीय सीयूएफ़, दोनों में जो अधिक हो, के रूप में लिया जायेगा;

(घ) अनुरक्षण स्पेयर, प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के 15% की दर पर;

(3) कार्यकारी पूँजी पर ब्याज पिछले उपलब्ध छः माह के दौरान प्रचलित औसत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) निधियों की उपांतिक लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) (एक वर्ष अवधि) से 350 पॉइंट अधिक की मानकीय दर के समकक्ष होगा।

21. प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) व्यय

(1) कमीशनिंग के वर्ष हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय नियंत्रण वर्ष, अर्थात 2023-24 के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु अध्याय-5 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानकीय ओएंडएम दरों पर अवधारित किये जायेंगे. ये व्यय आगामी वर्षों के लिए ओएंडएम ज्ञात करने के लिए 5.72% प्रति वर्ष की दर पर बढ़ाये जायेंगे।

(2) कमीशनिंग के वर्ष के लिए अनुज्ञात मानकीय ओएंडएम व्यय टैरिफ अवधि के विभिन्न वर्षों के लिए ओएंडएम व्यय अवधारित करने के लिए 5.72% की दर से बढ़ाये जायेंगे।

22. सीडीएम लाभ

(1) अनुमोदित सीडीएम परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट की प्राप्तियों को उत्पादक कंपनी और सम्बंधित लाभार्थियों के मध्य निम्नलिखित तरीके से बांटा जायेगा, यथा:

(क) सीडीएम लाभों के कारण सकल प्राप्तियों का 100%, उत्पादन केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन या कमीशनिंग की तिथि के पश्चात प्रथम वर्ष में परियोजना विकासकर्ता द्वारा रखा जायेगा।

(ख) द्वितीय वर्ष में, लाभार्थियों का हिस्सा 10% होगा. जिसे धीरे-धीरे प्रति वर्ष 10% बढाया जायेगा जब तक कि यह 50% तक न पहुँच जाये. उसके पश्चात प्राप्तियों को उत्पादक कंपनी और लाभार्थियों के मध्य बराबर अनुपात में बांटा जायेगा।

(ग) सीडीएम लाभों को स्तरीकृत या वार्षिक टैरिफ के अवधारण हेतु विचार में नहीं लिया जायेगा तथा प्राप्तियों की कुल राशि, इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञापी के पास सीधे जमा करायी जाएगी, इसके साथ ही उपरोक्त उपबंधों के अनुसार संपरीक्षक का प्रमाणपत्र भी जमा किया जायेगा।

23. छूट

नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर साख-पत्र अथवा किसी अन्य माध्यम से उत्पादक कंपनी के बिलों के भुगतान हेतु वितरण अनुज्ञापी को निम्नानुसार छूट की अनुमति होगी:

बिल की प्रस्तुति की तिथि से दिनों की संख्या जिन के भीतर उत्पादक कंपनी के खाते में भुगतान क्रेडिट किया गया	लागू छूट (%)
7 दिन के भीतर	1.65
8वें दिन से 15वें दिन तक	1.50
16वें दिन से 23वें दिन तक	1.35
24वें दिन से 30वें दिन तक	1.25

स्पष्टीकरण: दिनों की संख्या की गणना, किसी छुट्टी का विचार किये बिना, क्रमिक रूप से की जाएगी, लेकिन यदि अंतिम दिन कोई राजकीय अवकाश है तो छूट के प्रयोजन से ठीक अगले कार्य दिवस को अंतिम दिन माना जायेगा।

24. विलम्ब भुगतान अधिभार

यदि बिलों के भुगतान में बिलिंग की तिथि से 45 दिन की अवधि से अधिक का विलम्ब हो जाता है तो उत्पादक कंपनी द्वारा 1.25% प्रति माह या उसके भाग की दर से विलम्ब अधिभार उद्ग्रहित किया जायेगा।

परन्तु वर्तमान ऊर्जा क्रय करारों को इन विनियमों के उप-विनियम 23 और 24 के साथ पुष्टि हेतु संशोधित रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

25. केंद्र / राज्य सरकार द्वारा सहायिकी या प्रोत्साहन

आयोग, इन विनियमों के अधीन टैरिफ का अवधारण करते समय नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रदान किसी प्रोत्साहन अथवा सहायिकी, जिसमें उत्पादक कंपनी द्वारा प्राप्त किये जा रहे त्वरित अवक्षयण कोई लाभ सम्मिलित हैं, का भी ध्यान रखेगा।

परन्तु टैरिफ अवधारण हेतु एमएनआरई की लागू योजना के अनुसार कमीशनिंग के वित्त वर्ष हेतु पूंजीगत सहायिकी के केवल 75% पर ही विचार किया जायेगा।

परन्तु टैरिफ अवधारण के प्रयोजन से, यदि कोई लाभ प्राप्त किया है, तो त्वरित अवक्षयण पर आय कर लाभ निर्धारण हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार किया जायेगा:

(क) लाभ का निर्धारण स्वीकृत पूंजीगत लागत, आयकर अधिनियम के अधीन सुसंगत उपबंधों के अनुसार त्वरित अवक्षयण और निगम आयकर दर पर आधारित होगा।

(ख) राजकोषीय वर्ष के उत्तरार्ध में आरई परियोजनाओं का पूंजीकरण. प्रति यूनिट लाभ, पूँजी की कर पश्चात भारित औसत लागत के समकक्ष छूट कारक पर स्तरीकृत आधार पर ज्ञात किया जायेगा।

(ग) यह माना जायेगा कि उत्पादक कंपनी, त्वरित अवक्षयण का लाभ लेगी और वितरण अनुज्ञापी की संतुष्टि तक उसको यह समझाने, कि वह इस लाभ का हकदार नहीं है, की जिम्मेदारी उस उत्पादक कंपनी की होगी. इस सम्बन्ध में संपरीक्षक का प्रमाणपत्र इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त माना जायेगा।

परन्तु आगे यह कि जहाँ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के किसी विशिष्ट प्रकार हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की हुई है वहां ऐसी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन केंद्र ऐसी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे माने जायेंगे तथा उनके टैरिफ स्वतः ही जीबीआइ प्रति यूनिट की राशि द्वारा कम किये गए माने जायेंगे।

26. कर और इयूटीज

इन विनियमों के अधीन अवधारित टैरिफ में आय पर प्रत्यक्ष कर सम्मिलित होंगे किन्तु उपयुक्त सरकार द्वारा उद्ग्रहित किये जाने वाले अन्य कर और इयूटीज सम्मिलित नहीं होंगे।

परन्तु प्रत्यक्ष करों से अन्यथा, उपयुक्त सरकार द्वारा उद्ग्रहित कर इयूटीज और उपकर वास्तव में उपगत आधार पर पास थ्रू के रूप में अनुमन्य होंगे।

27. टैरिफ की अनुप्रयोज्यता

(1) टैरिफ निम्नलिखित तरीके से वसूल किये जाने की अनुमति होगी:

क. सामान्य टैरिफ के विकल्प के इच्छुक लघु जल-विद्युत् ऊर्जा संयंत्रों के लिए:

(क) जब तक वास्तविक सीयूएफ़ 40% के वार्षिक सीयूएफ़ से कम अथवा उसके समकक्ष है, टैरिफ 40% के मानकीय सीयूएफ़ के आधार पर ज्ञात, विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत सामान्य दरों पर देय होगा।

(ख) 40% के वार्षिक सीयूएफ़ से अधिक उत्पादन हेतु निम्नलिखित लागू होगा:

(i). 40% के वार्षिक सीयूएफ़ से अधिक किन्तु 45% के वार्षिक सीयूएफ़ तक उत्पादन के लिए टैरिफ रु.1.50/kwh होगा।

(ii). 45% के वार्षिक सीयूएफ़ से अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहन रु. 0.75/kwh घटत कर 45% के सीयूएफ़ पर विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत सामान्य दरों के समकक्ष होगा। यह 0.75/kwh की घटत केवल आगे के मासिक बिलों में

से की जाएगी जब तक कि वास्तविक वार्षिक सीयूएफ़ 55% तक न पहुँच जाये।

(iii). 55% के वास्तविक वार्षिक सीयूएफ़ से आगे उत्पादन हेतु प्रोत्साहन 45% सीयूएफ़ पर विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत सामान्य दरों के बराबर होगा।

ख. परियोजना विशिष्ट टैरिफ के विकल्प के इच्छुक उत्पादकों के लिए, लागू सीयूएफ़ (अर्थात अनुमोदित डीपीआर में परिकल्पित सीयूएफ़ या अध्याय 5 के अधीन सुसंगत प्रौद्योगिकी हेतु विनिर्दिष्ट मानकीय सीयूएफ़, दोनों में से जो अधिक हो) से आगे उत्पादन हेतु टैरिफ, आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजना विशिष्ट टैरिफ पर वसूली हेतु अनुमन्य होगा।

ग. बहाली कार्य के लिए आयोग द्वारा अनुमन्य अतितिक्त पूंजीकरण हेतु, उत्पादन केंद्र पर लागू सीयूएफ़ से अधिक उत्पादन हेतु टैरिफ, ऐसे बहाली कार्य हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजना विशिष्ट टैरिफ पर वसूली के लिए अनुमन्य होगा।

वार्षिक सीयूएफ़ की गणना इन विनियमों के विनियम 3(1)(viii) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।

28. आरई स्रोतों के लिए योग्यता क्रम की अनुप्रयोज्यता

आरई स्रोतों के प्रकृति की अनियमितता पर निर्भर होने व कम क्षमता होने के कारण योग्यता क्रम प्रेषण/क्रय का सिद्धांत ऐसे स्रोतों से वितरण अनुज्ञापी या राज्य के भीतर स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को उर्जा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगा, अर्थात उन्हें 'मस्ट रन' केंद्र नहीं माना जायेगा।

अध्याय 5

प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड

29. लघु जल-विद्युत् उत्पादन संयंत्र

(1) 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाले लघु जल-विद्युत् उत्पादन केन्द्रों के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नलिखित के अनुसार होंगे:

परियोजना आकार	पूंजीगत लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओएंडएम व्यय	क्षमता उपयोग कारक*	सहायक उपभोग
	(रु.लाख/मेगावाट)	(रु.लाख/मेगावाट)	(%)	(%)
5 मेगावाट तक	1150	59.43	सामान्य टैरिफ-40% परियोजना विशिष्ट-45%	1%
> 5 मेगावाट और 15 मेगावाट तक	1125	53.33		
<15 मेगावाट और 25 मेगावाट तक	1100	47.54		

*वार्षिक स्थिर प्रभारों की वसूली हेतु

नोट: इस विनियम के प्रयोजन से मानकीय सीयूएफ़, अंत:संयोजन बिंदु पर निर्गत ऊर्जा पर आधारित है और टैरिफ के प्रयोजनों से, गृह राज्य को नि:शुल्क ऊर्जा, यदि कोई है जिस के लिए विकासकर्ता प्रतिबद्ध है, तो वह भी एक कारक होगा। सामान्य टैरिफ अवधारण हेतु, गृह राज्य का हिस्सा 16वें वर्ष से आगे 18% लिया गया है।

(2) इन विनियमों के अधीन, नियंत्रण अवधि, अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के प्रारंभ में अनुमन्य मानकीय ओ एंड एम व्यय टैरिफ अवधि हेतु इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर बढ़ाये जायेंगे।

30. रैंकाईन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास ऊर्जा परियोजनाएं

(1) 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली रैंकाईन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं के सामान्य टैरिफ अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड नीचे लिखे अनुसार होंगे:

(क) **पूंजीगत लागत:**

बायोमास रैंकाईन चक्र परियोजनाएं	परियोजना की कमीशनिंग के वर्ष हेतु पूंजीगत लागत (रु. लाख/मेगावाट)
वाटर कूल्ड कंडेंसर के साथ परियोजनाएं [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं से अन्यथा]	559
एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ परियोजनाएं [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं से अन्यथा]	600
वाटर कूल्ड कंडेंसर के साथ राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए	611
एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए	652

(ख) **प्रचालन और अनुरक्षण व्यय**

नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु मानकीय ओ एंड एम व्यय रु. 55.85 लाख/ मेगावाट होंगे. कमीशनिंग के वर्ष हेतु अनुमन्य मानकीय ओ एंड एम व्यय आगे के वर्षों के लिए 5.72% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाये जायेंगे।

(ग) **स्टेशन ताप दर**

बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं की स्टेशन ताप दर निम्नलिखित होगी:

(i) ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर्स का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए: 4200 kCal/kwh,

(ii) एएफबीसी बॉयलर्स का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए: 4125 kCal/kwh,

(घ) **संयंत्र भार कारक**

(1) टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन से, संयंत्र भार कारक 80% माना जायेगा।

(ङ) **सहायक उपभोग**

मानकीय सहायक उपभोग निम्नानुसार होगा:

(i) वाटर कूल्ड कंडेंसर का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए: 10%

(ii) एयर कूल्ड कंडेंसर का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए: 12%

(च) **जीवाश्म ईंधन का उपयोग और जीवाश्म ईंधन के उपयोग हेतु अनुवीक्षण तंत्र**

(1) जीवाश्म ईंधन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

परन्तु 31.03.2023 पर या उससे पहले कमीशंड बायोमास ऊर्जा संयंत्रों के लिए वार्षिक आधार पर कैलरी मान के सन्दर्भ में 15% की सीमा तक जीवाश्म ईंधन के उपयोग की अनुमति कमीशनिंग की तिथि से टैरिफ अवधि के लिए होगी।

(2) परियोजना विकासकर्ता, मासिक ऊर्जा बिल के साथ प्रत्येक माह हेतु लाभार्थी के पास (जीवाश्म और गैर जीवाश्म ईंधन उपयोग की मॉनिटरिंग के प्रयोजन से आयोग द्वारा नियुक्त उपयुक्त एजेंसी को एक प्रति के साथ) चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित एक मासिक ईंधन उपयोग विवरण और मासिक ईंधन अधिप्राप्ति विवरण जमा करेगा।

(3) किसी वित्त वर्ष के दौरान परियोजना विकासकर्ता द्वारा जीवाश्म ईंधन उपयोग की शर्तों का अनानुपालन होने पर ऐसी बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजना हेतु इन विनियमों के अनुसार टैरिफ अनुप्रयोज्यता वापस हो जाएगी. लेकिन व्यतिक्रमी बायोमास ऊर्जा परियोजना वितरण अनुज्ञापी को ऊर्जा का विक्रय जारी रखेगी और उस वित्त वर्ष जिस में व्यतिक्रम हुआ है, के दौरान दर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट लागू परिवर्ती टैरिफ से रु.1.50/kwh कम होगी।

(छ) **कैलरी मान**

टैरिफ के अवधारण के उद्देश्य से इस्तेमाल किये गए बायोमास ईंधन का कैलरी मान 3100 kCal/kg होगा।

(ज) **ईंधन लागत**

नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बायोमास ईंधन मूल्य, जब तक कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से समीक्षा न की जाये, रु.3005/एमटी लिया जायेगा। टैरिफ अवधि के प्रत्येक अगले वर्ष के लिए, टैरिफ अवधि के विभिन्न वर्षों के लिए ईंधन लागत का अवधारण करने हेतु पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5% का मानकीय वृद्धि कारक लागू होगा।

31. गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजनाएं

(1) कोई परियोजना गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजना के रूप में तभी अर्ह होगी जब वह इन विनियमों के विनियम 4(2)(ई) के अधीन विनिर्दिष्ट योग्यता मापदंड के अनुसार हो।

(2) 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजना के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार होंगे:

लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओ एंड एम व्यय	स्टेशन ताप दर	ईंधन का कैलरी मान	सहायक उपभोग	संयंत्र भार कारक
(रु. लाख/ मेगावाट)	(रु. लाख /मेगावाट)	(kCal/kWh)	(kCal/kg)		
492	29.52	3600	2250	8.5%	45%

(3) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम वर्ष हेतु ईंधन लागत (पी), जब तक कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से समीक्षा न की जाये, रु.2493/एमटी ली जाएगी। टैरिफ अवधि के प्रत्येक अगले वर्ष के लिए, टैरिफ अवधि के विभिन्न वर्षों के लिए ईंधन लागत का अवधारण करने हेतु पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5% का मानकीय वृद्धि कारक लागू होगा।

(4) सह-उत्पादन परियोजनाओं में खोई से अन्यथा बायोमास के उपयोग हेतु बायोमास मूल्य विनियम 30(1)(एच) के अधीन विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार लागू होंगे।

32. बायोमास गैसिफायर ऊर्जा परियोजनाएं

(1) 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली बायोमास गैसिफायर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार होंगे:

परियोजना का प्रकार	पूंजीगत लागत (रु.लाख/ मेगावाट)	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओएंडएम व्यय (रु.लाख/ मेगावाट)	विशिष्ट ईंधन उपभोग Kg/kwh	सहायक उपभोग	क्षमता उपयोगिता कारक
पाईन लीव्स आधारित बायोमास गैसिफायर परियोजनाएं	625.00	132.00	1.50	10%	85%
अन्य बायोमास गैसिफायर परियोजनाएं	592.00	73.76	1.25		

(2) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम वर्ष हेतु ईंधन लागत (पी), जब तक कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से समीक्षा न की जाये, सभी प्रकार के बायोमास गैसिफायर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रु.3005/एमटी ली जाएगी। टैरिफ अवधि के प्रत्येक अगले वर्ष के लिए, टैरिफ अवधि के विभिन्न वर्षों के लिए ईंधन लागत का अवधारण करने हेतु पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5% का मानकीय वृद्धि कारक लागू होगा।

(3) **ईंधन मिश्र**

(क) बायोमास गैसिफायर आधारित ऊर्जा संयंत्र को इस प्रकार डिजाईन किया जायेगा कि यह बायोमास ऊर्जा परियोजना के आस-पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के गैर जीवाश्म ईंधन, जैसे फसलों के अवशेष, कृषि-औद्योगिक अवशिष्ट और वनों के अवशिष्ट इत्यादि और एमएनआरई द्वारा अनुमोदित अन्य बायोमास ईंधन का उपयोग कर सके।

(ख) बायोमास गैसिफायर आधारित ऊर्जा उत्पादन कम्पनियाँ सम्बंधित परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईंधन प्रबंधन योजना बनायेंगी।

33. बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजनाएं

(1) यहाँ नीचे दिए गए टैरिफ अवधारण के मानक ग्रिड से जुड़े उन बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हैं जो कृषि अवशेष, खाद और एमएनआरई द्वारा अनुमोदित अन्य जैविक अवशिष्ट के सह-पाचन हेतु बायोगैस प्रौद्योगिकी के साथ 100% बायोगैस फायर्ड इंजन का इस्तेमाल करती हैं। 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार होंगे:

पूंजीगत लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओएंडएम व्यय	विशिष्ट ईंधन उपभोग	सहायक उपभोग	क्षमता उपयोगिता कारक
(रु.लाख/मेगावाट)	(रु.लाख/मेगावाट)	Kg/kwh		
1185	71.00	3.00	12%	90%

(2) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम वर्ष हेतु फीड स्टॉक मूल्य (पी), जब तक कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से समीक्षा न की जाये, रु.1693 /एमटी (पाचक प्रवाह से किसी लागत वसूली का नेट) लिया जायेगा। टैरिफ अवधि के प्रत्येक अगले वर्ष के लिए, टैरिफ अवधि के विभिन्न वर्षों के लिए ईंधन लागत का अवधारण करने हेतु पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5% का मानकीय वृद्धि कारक लागू होगा।

34. सौर पीवी ऊर्जा परियोजना

इन विनियमों के अधीन सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) ऊर्जा परियोजना के लिए मानक ग्रिड से जुड़े उन पीवी सिस्टम्स पर लागू होंगे जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत् में परिवर्तित करते हैं और जो समस्त विद्युत् वितरण अनुज्ञापी को विक्रय करने के उद्देश्य से विशेष रूप से संस्थापित किये गए हैं तथा एमएनआरई द्वारा अनुमोदित क्रिस्टलाईन सिलिकॉन या थिन फिल्म इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं. 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली सौर पीवी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार होंगे:

पूंजीगत लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओएंडएम व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक
रु.लाख/ मेगावाट	रु.लाख/ मेगावाट	
345.11	16.24	19%

35. कैनाल बैंक सौर पीवी संयंत्र और कैनाल टॉप सौर पीवी संयंत्र

इन विनियमों के अधीन कैनाल बैंक सौर पीवी संयंत्रों और कैनाल टॉप सौर पीवी संयंत्रों के लिए मानक ग्रिड से जुड़े उन पीवी सिस्टम्स पर लागू होंगे जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत् में परिवर्तित करते हैं और जो 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली ऐसी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार होंगे:

सौर पीवी संयंत्र का प्रकार	पूंजीगत लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओएंडएम व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक
	रु.लाख/मेगावाट	रु.लाख/मेगावाट	
कैनाल बैंक सौर पीवी संयंत्र	400.00	16.24	19%
कैनाल टॉप सौर पीवी संयंत्र	425.00		

36. सौर ताप ऊर्जा परियोजना

इन विनियमों के अधीन सौर ताप ऊर्जा हेतु मानक, संकेंद्रित सौर ऊर्जा (सीएसपी) प्रौद्योगिकियां, यथा लाईन फ़ोकसिंग या पॉइंट फ़ोकसिंग जो एमएनआरई द्वारा अनुमोदित हैं, के लिए लागू होंगे, जो सीधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर उच्च ऊर्जा घनत्व प्राप्त कर, उच्च तापमान तक पहुँचती हैं, इसे कई गुना सकेंद्रित करती हैं, जिससे उत्पादित ऊष्मा का उपयोग विद्युत् उत्पादन हेतु परंपरागत ऊर्जा चक्र के प्रचालन हेतु किया जाता है। 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात

कमीशंड होने वाली सौर ताप ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार होंगे:

पूंजीगत लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओएंडएम व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक	सहायक उपभोग
रु.लाख/ मेगावाट	रु.लाख/ मेगावाट		
1200	22.14	23%	10%

37. बिड इंटरेक्टिव रूफ-टॉप सौर पीवी संयंत्र (जीआरपीवी)/बिड इंटरेक्टिव लघु सौर पीवी संयंत्र (जीएसपीवी)

(1) 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली जीआरपीवी / जीएसपीवीके लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार होंगे:

परियोजना आकार	पूंजीगत लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओएंडएम व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक
	रु.लाख / किलोवाट	रु.लाख / किलोवाट	
10 kW तक	47691	2149	19%
>10 kW और 100 kW तक	43753	1912	
>100 kW और 500 kW तक	41276	1735	
>500 kW और 1 MW तक	40074	1624	

(2) किसी योग्य उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में ऊर्जा अंत:क्षेपित करने के लिए जीआरपीवी / जीएसपीवी संस्थापित किया जा सकता है।

परन्तु किसी योग्य उपभोक्ता के परिसर पर अधिकतम जीआरपीवी / जीएसपीवी संस्थापित क्षमता उपभोक्ता के स्वीकृत भार/संविदा मांग के अधिकतम 100% तक होगी।

परन्तु घरेलू उपभोक्ता के मामले में जीआरपीवी / जीएसपीवी की ऐसी संस्थापित क्षमता उपभोक्ता के स्वीकृत भार/संविदा मांग की अपेक्षा किये बिना होगी।

परन्तु आगे यह भी कि किसी योग्य उपभोक्ता के परिसर पर अधिकतम जीआरपीवी / जीएसपीवी संस्थापित क्षमता 1 एम डब्ल्यू से अधिक नहीं होगी।

(3) योग्य उपभोक्ता अथवा तृतीय पक्ष के स्वामित्व वाले जीआरपीवी / जीएसपीवी से अंत:क्षेपण प्रत्येक बिलिंग अवधि के अंत में शुद्ध ऊर्जा आधार पर तय किया जायेगा।

(4) वितरण अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत् की आपूर्ति के सम्बन्ध में, आयोग द्वारा टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ एक बिलिंग अवधि में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई शुद्ध ऊर्जा के लिए लागू होगा, यदि अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा उपभोक्ता अथवा तृतीय पक्ष के जीआरपीवी / जीएसपीवी द्वारा अंत:क्षेपित ऊर्जा से अधिक है:

परन्तु ऐसे योग्य उपभोक्ताओं को परिसर पर संस्थापित जीआरपीवी / जीएसपीवी की क्षमता के बराबर मासिक न्यूनतम प्रभार/मासिक न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार, यदि कोई हैं, की अदायगी पर छूट प्राप्त होगी।

परन्तु आगे यह भी कि ऐसे योग्य उपभोक्ताओं पर ऊर्जा के कैप्टिव उपयोग हेतु उन्मुक्त अभिगमन प्रभार सहित कोई अधिभार उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा।

(5) यदि किसी बिलिंग अवधि में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा, उपरोक्त उप-विनियम (3) के अधीन उपभोक्ता/प्रोस्युमर या तृतीय पक्ष के जीआरपीवी/जीएसपीवी द्वारा अंतःक्षेपित ऊर्जा से कम है तो ऐसे प्रोस्युमर को अनुज्ञापी ऐसी शुद्ध ऊर्जा की आपूर्ती हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सामान्य टैरिफ या टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात दर, दोनों में जो कम हो, पर भुगतान करेगा।

(6) जीआरपीवी/जीएसपीवी पर, मानित उत्पादन के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(7) जीआरपीवी/जीएसपीवी की संचयी क्षमता जिसे एक सिंगल ट्रांसफार्मर से जोड़ा जा सकता हो, ऐसे ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक नहीं होगी।

(8) यदि जीआरपीवी/जीएसपीवी के संयोजन के उद्देश्य से किसी आवर्धन की आवश्यकता होती है तो वितरण अनुज्ञापी समीपस्थ उप-केंद्र से अंतःसंयोजन के बिंदु तक ऐसे प्रणाली सुदृढ़िकरण/आवर्धन पर हुए पूंजीगत व्यय की व्यवस्था करेगा और उसे वहन करेगा।

(9) घरेलू श्रेणी के अधीन उपभोक्ताओं, सरकारी कार्यालयों/स्थानीय प्राधिकारियों के लिए वर्चुअल नेट मीटरिंग संरचना लागू होगी।

38. पवन ऊर्जा परियोजना

(1) 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली पवन परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड नीचे लिखे अनुसार होंगे:

पूंजीगत लागत (रु.लाख/ मेगावाट)	ओ एंड एम् व्यय (रु.लाख/ मेगावाट)	वार्षिक मीन पवन ऊर्जा घनत्व (W/m^2)	क्षमता उपयोगिता कारक
515	12.55	220 तक	22%
		221-275	24%
		276-330	28%
		331-440	33%
		>440	35%

नोट:

(क) टैरिफ की अनुप्रयोज्यता हेतु उत्पादक कंपनी वार्षिक मीन पवन ऊर्जा घनत्व पर उचित रूप से विधिमान्य जानकारी उपलब्ध कराएगी. ऊपर विनिर्दिष्ट वार्षिक मीन पवन ऊर्जा घनत्व की माप 100 मीटर हब-हाईट पर की जाएगी।

(ख) पवन ऊर्जा परियोजना को विशिष्ट पवन जोन श्रेणी में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से पवन के मापन के लिए नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की मार्गदर्शिका के अनुसार या तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) द्वारा लगाये गए पवन मास्ट या एनआईडब्ल्यूई द्वारा विधिवत प्रमाणित किसी निजी विकासकर्ता द्वारा लगाये गए पवन मास्ट से सामान्य भू-भाग से सभी दिशाओं में सामान्यतया 10 किलोमीटर तक और जटिल भू-भाग के लिए निर्माण-स्थल की जटिलता के अनुसार उपयुक्त दूरी तक फैलाया जाता है एनआईडब्ल्यूई के इस प्रमाणीकरण के आधार पर राज्य नोडल एजेंसी को प्रस्तावित पवन फ़ार्म काम्प्लेक्स की जोनिंग को प्रमाणित करना होगा।

39. नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित परियोजनाएं

(1) टैरिफ के अवधारण के लिए नीचे दिए गए मानक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हैं जो नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम्एसडब्ल्यू) तथा उच्छिष्ट से निर्मित होने वाले ईंधन (आरडीएफ) का उपयोग करती हैं और रैनकाईन चक्र प्रौद्योगिकी, दहन या भस्मीकरण, बायो-मेथानेशन, पायरोलिऔरसिस और हाई एंड गैसीफायर प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं. पूंजीगत लागत, संयंत्र भार कारक, सहायक उपभोग इत्यादि से सम्बंधित मानक उन परियोजनाओं के लिए होंगे जो 01.04.2023 पर कमीशंड हुई हैं या उसके पश्चात कमीशंड होने वाली हैं।

परियोजना	पूंजीगत लागत (रु.लाख/ मेगावाट)	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओ एंड एम् व्यय (रु.लाख/ मेगावाट)	संयंत्र भार कारक	सहायक उपभोग	स्टेशन ऊष्मा दर Kcal/kwh	कैलरी मान Kcal/kg
एम्एसडब्ल्यू	1500	प्रथम वर्ष हेतु परियोजना लागत का 6% और आगे 5.72% की दर से प्रति वर्ष बढाया जायेगा	स्थिरीकरण और प्रथम वर्ष के दौरान 65% द्वितीय वर्ष से आगे 75%	15%	4200	--
आरडीएफ	900	प्रथम वर्ष हेतु परियोजना लागत का 6% और आगे 5.72% की दर से प्रति वर्ष बढाया जायेगा	स्थिरीकरण और प्रथम वर्ष के दौरान 65% द्वितीय वर्ष से आगे 80%	15%	4200	2500

नोट:

(क) नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग करने वाली ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु किसी ईंधन लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात प्रथम वर्ष हेतु आरडीएफ ईंधन मूल्य (पी), जब तक कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से पुनरीक्षित न किया गया हो, रु.2297/एमटी लिया जायेगा. टैरिफ अवधि के प्रत्येक अगले वर्ष के लिए, टैरिफ अवधि के विभिन्न वर्षों के लिए ईंधन लागत का अवधारण करने हेतु पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5% का मानकीय वृद्धि कारक लागू होगा।

40. सामान्य टैरिफ

ऊपर उल्लिखित प्रौद्योगिकियों के लिए सामान्य टैरिफ संलग्नक-I में दिए गए हैं।

अध्याय 6

विविध

41. वर्चुअल शुद्ध मीटरिंग और समूह शुद्ध मीटरिंग

(1) किसी उपभोक्ता(ओं) द्वारा संस्थापित किये जाने वाले समूह शुद्ध मीटरिंग के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 5 kw से कम और 75kw से अधिक नहीं होगी।

(2) समूह शुद्ध मीटरिंग के अधीन विद्युत् संयोजन/संयोजनों की बिलिंग और ऊर्जा लेखाकरण हेतु प्रक्रिया इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार होगी।

(क) समूह शुद्ध मीटरिंग के अधीन बिलिंग और ऊर्जा लेखाकरण हेतु प्रक्रिया

(3) जहाँ किसी बिलिंग अवधि के दौरान यूनिट्स का निर्गम सौर ऊर्जा संयंत्र की अवस्थिति पर स्थित संयोजन की यूनिट्स के निर्गम से अधिक होता है, वहां ग्रिड पर अंत:क्षेपित ऐसी अधिशेष यूनिट्स को उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध करायी गई प्राथमिकता सूची में इंगित क्रम में सेवा संयोजन/नों के मासिक बिल में उपभोग की गई ऊर्जा के सम्मुख समायोजित किया जायेगा. समायोजन हेतु प्राथमिकता का क्रम उस सेवा संयोजन के साथ विद्यमान माना जायेगा जहाँ सौर संयंत्र अवस्थित है।

(4) अन्य विद्युत् संयोजन(नों) के सम्मुख बाकी अधिशेष ऊर्जा के समायोजन हेतु प्राथमिकता सूची को दो माह के अग्रिम नोटिस के साथ प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार उपभोक्ता द्वारा पुनरीक्षित किया जायेगा।

(5) किसी समय खंड (अर्थात पीक आवर्स, नॉन-पीक आवर्स इत्यादि) में उपभोक्ता के विद्युत् उपभोग की प्रतिपूर्ति पहले उसी समय खंड, उसी बिलिंग चक्र में विद्युत् उत्पादन के साथ की जाएगी जहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र अवस्थित है और अंत:क्षेपित की गई कोई अधिशेष यूनिट्स का समायोजन, उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई प्राथमिकता सूची में इंगित क्रम में सेवा संयोजन(नों) के मासिक बिल में उपभोग की गई ऊर्जा के सम्मुख किया जायेगा, जैसे कि नॉन पीक समय खंड के दौरान टाइम ऑफ़ डे (टीओडी) उपभोक्ताओं के लिए और नॉन-टीओडी उपभोक्ताओं के लिए सामान्य समय खंड के दौरान अधिशेष उत्पादन/ऊर्जा क्रेडिट हुआ हो।

(6) जहाँ किसी बिलिंग अवधि के दौरान यूनिट्स का निर्गम नॉन-टीओडी टैरिफ या टीओडी टैरिफ में विद्युत् सेवा संयोजन(नों) की यूनिट्स के आगम से अधिक होता है वहां उपभोक्ता द्वारा अंत:क्षेपित ऐसी अधिशेष यूनिट्स को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सामान्य टैरिफ पर या टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात दर, दोनों में से जो कम हो, पर अनुज्ञापी को बिल किया जायेगा।

(ख) वर्चुअल शुद्ध मीटरिंग संरचना के अधीन बिलिंग और ऊर्जा लेखाकरण हेतु प्रक्रिया

(1) सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा को उपभोक्ता(ओं) द्वारा किये गए करार/एमओयू के अधीन इंगित सौर ऊर्जा संयंत्र से अधिप्राप्ति के अनुपात के अनुसार प्रत्येक भागीदार उपभोक्ता(ओं) के मासिक विद्युत् बिल में क्रेडिट किया जायेगा।

(2) उपभोक्ता(ओं) के पास, दो माह के अग्रिम सलाह नोटिस के साथ वित्त वर्ष में एक बार उपभोक्ता(ओं) द्वारा किये गए करार/एमओयू के अधीन इंगित सौर ऊर्जा संयंत्र से अधिप्राप्ति के अनुपात के अधीन सौर ऊर्जा संयंत्र से विद्युत् के क्रेडिट के हिस्से को परिवर्तित करने का विकल्प होगा।

(3) जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कारण से एक भागीदार उपभोक्ता का सेवा संयोजन काट दिया जाता है वहां उपभोक्ता की असमायोजित यूनिट्स/अवशेष क्रेडिट्स का वित्त वर्ष के अंत में वितरण अनुज्ञापी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(4) किसी समय खंड (अर्थात पीक आवर्स, नॉन-पीक आवर्स इत्यादि) में भागीदार उपभोक्ता के विद्युत् उपभोग की प्रतिपूर्ति पहले उसी समय खंड, उसी बिलिंग चक्र में विद्युत् उत्पादन के साथ की जाएगी। एक बिलिंग चक्र में किसी समय खंड में उपभोग से अधिक अधिशेष उत्पादन को इस प्रकार लेखाकृत किया जायेगा जैसे कि अधिशेष उत्पादन/ऊर्जा क्रेडिट्स नॉन-पीक समय खंड के दौरान हुआ हो।

(5) जहाँ किसी भागीदार उपभोक्ता की किसी बिलिंग अवधि के दौरान क्रेडिट की गई यूनिट्स, उस उपभोक्ता द्वारा यूनिट्स की आगत से अधिक हो जाएँ वहां ऐसे अधिशेष हेतु अनुज्ञापी को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सामान्य टैरिफ या बोली प्रक्रिया पर आधारित माध्यम से ज्ञात दर, दोनों में से जो कम हो, पर बिलिंग की जाएगी।

42. पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार और हानियाँ

(1) पारेषण प्रभार: उपयोग के गंतव्य तक आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों या सह-उत्पादन केन्द्रों द्वारा उत्पादित विद्युत् को ले जाने के लिए राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली की भेदभाव रहित 'खुली पहुँच' हेतु, यथास्थिति, आरई उत्पादक अथवा उपभोक्ता को राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु पारेषण प्रभारों और व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करने होगा, जिसका परिकलन, समय-समय पर संशोधनों के साथ पठित उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर किया जायेगा।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी या राज्य के भीतर स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विद्युत् के विक्रय हेतु कोई पारेषण प्रभार और व्हीलिंग प्रभार देय नहीं होंगे;

परन्तु आगे यह कि जहाँ कोई उत्पादक कंपनी राज्य के बाहर विद्युत् की आपूर्ति करना चाहती है वहां उस उत्पादक कंपनी को ऊपर विनिर्दिष्ट पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त, केवल ऐसी ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु उपयोग किये गए पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की डेडिकेटेड लाईन्स और उप-केंद्र हेतु प्रत्येक मामले में अलग-अलग आधार पर आयोग द्वारा अवधारित पारेषण/व्हीलिंग प्रभार वहन करने होंगे।

परन्तु आगे यह कि जहाँ एक से अधिक उत्पादक कंपनी अपनी ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की साझा डेडिकेटेड पारेषण/वितरण प्रणाली के ऊपर राज्य के

बाहर विद्युत् की आपूर्ति करना चाहती है वहां ऐसी उत्पादक कंपनियों को ऊपर विनिर्दिष्ट पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त, संस्थापित क्षमता के यथानुपात आधार पर केवल ऐसी ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु उपयोग किये गए पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की ऐसी डेडिकेटेड लाईनों और उप-केन्द्र के लिए प्रत्येक मामले में अलग-अलग आधार पर आयोग द्वारा अवधारित पूर्ण पारेषण/व्हीलिंग प्रभार वहन करने होंगे।

(2) पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त, राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली और डेडिकेटेड लाईनों व उप-केन्द्रों में हानियाँ, यदि उपरोक्त अनुसार लागू हों, तो उन्हें समय-समय पर संशोधनों के साथ पठित उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर प्रकार में समायोजित किया जायेगा।

परन्तु आगे यह कि राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञापी को या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विद्युत् के विक्रय हेतु किन्हीं हानियों को प्रकार में समायोजित नहीं किया जायेगा।

43. ऊर्जा का निष्क्रमण

(1) वितरण अनुज्ञापी, आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों, जिनकी 25 MW तक क्षमता है और जो इसके समीपस्थ वितरण अनुज्ञापी के उप-केंद्र, प्राथमिक रूप से ऐसे उत्पादन केंद्र की अवस्थिति से 10 किलोमीटर के भीतर की दूरी पर स्थित हों, को संयोजन उपलब्ध कराएगा. वे आगे आपस में, सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट विद्युत् लाईनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजन हेतु तकनीकी साध्यता और तकनीकी मानकों के अधीन उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयोजन उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हो सकते हैं।

परन्तु आगे यह कि जहाँ एक से अधिक 25 MW से कम सकल संस्थापित क्षमता वाले आरई आधारित उत्पादन केंद्र एक क्लस्टर /क्षेत्र में अवस्थित हों और निष्क्रमण के उद्देश्य से ये उत्पादन केंद्र, अपनी स्वयं की लागत से निर्मित किये जाने वाले एक साझा पूलिंग स्विचिंग केंद्र पर उनके उत्पादन को पूल करने के लिए सहमत होते हैं, ऐसे पूलिंग स्विचिंग केंद्र से और आगे वितरण अनुज्ञापी अपने समीपस्थ उप-केंद्र पर संयोजन उपलब्ध कराएगा. वे आगे आपस में, सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट विद्युत् लाईनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजन हेतु तकनीकी साध्यता और तकनीकी मानकों के अधीन उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयोजन उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हो सकते हैं। लेकिन ऐसे उत्पादन केंद्र यदि अपनी स्वयं की लागत पर पूलिंग उप-केंद्र से समीपस्थ उप-केंद्र तक लाईन का निर्माण करते हैं केवल तभी, इन विनियमों के विनियम 16(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त स्तरीकृत टैरिफ हेतु योग्य होंगे।

(2) पारेषण अनुज्ञापी आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों, जिनकी 25 MW से अधिक की संस्थापित क्षमता है और जो इसके समीपस्थ वितरण अनुज्ञापी के उप-केंद्र, प्राथमिक रूप से ऐसे उत्पादन केंद्र की अवस्थिति से 10 किलोमीटर के भीतर की दूरी पर स्थित हों, को संयोजन उपलब्ध कराएगा। वे आगे आपस में, सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट विद्युत् लाईनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजन हेतु तकनीकी साध्यता और तकनीकी मानकों के अधीन उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयोजन उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हो सकते हैं।

परन्तु कोई आरई आधारित उत्पादन केंद्र जिसकी क्षमता 25 MW तक की हो, 132 kV और इससे अधिक की पारेषण प्रणाली के माध्यम से संयोजन और ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु इच्छुक है तो वह पारेषण अनुज्ञापी की सहमति के अधीन ऐसा कर सकता है।

परन्तु आगे यह कि जहाँ एक से अधिक 25 MW से अधिक सकल संस्थापित क्षमता वाले आरई आधारित उत्पादन केंद्र एक क्लस्टर /क्षेत्र में अवस्थित हों और निष्क्रमण के उद्देश्य से ये उत्पादन केंद्र, अपनी स्वयं की लागत से निर्मित किये जाने वाले एक साझा पूलिंग स्विचिंग केंद्र पर उनके उत्पादन को पूल करने के लिए सहमत होते हैं, ऐसे पूलिंग स्विचिंग केंद्र से और आगे पारेषण अनुज्ञापी अपने समीपस्थ उप-केंद्र पर संयोजन उपलब्ध कराएगा. वे आगे आपस में, सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट विद्युत् लाईनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजन हेतु तकनीकी साध्यता और तकनीकी मानकों के अधीन उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयोजन उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हो सकते हैं। लेकिन ऐसे उत्पादन केंद्र यदि अपनी स्वयं की लागत पर पूलिंग उप-केंद्र से समीपस्थ उप-केंद्र तक लाईन का निर्माण करते हैं केवल तभी, इन विनियमों के विनियम 16(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त स्तरीकृत टैरिफ हेतु योग्य होंगे।

(3) यदि आरई आधारित उत्पादन केंद्र निष्क्रमण प्रणाली, जिसमें पारेषण/वितरण अनुज्ञापी के समीपस्थ उप-केंद्र तक लाईन सम्मिलित है, के निर्माण के विकल्प का प्रयोग करते हैं तो आवश्यक बे, टर्मिनल उपकरण, सम्बन्ध सिन्क्रोनाइजेशन उपकरण और उपरोक्त पूलिंग स्विचिंग केंद्र, यदि कोई है, ऐसी निष्क्रमण प्रणाली की लागत उन उत्पादन केन्द्रों द्वारा वहन की जाएगी;

परन्तु ऐसे उत्पादन केन्द्रों को राज्य पारेषण / वितरण अनुज्ञापी द्वारा किये जा रहे ऊर्जा निष्क्रमण प्रणाली के निर्माण का कार्य भी मिलेगा;

परन्तु आगे यह भी कि बे के विस्तार हेतु भूमि, यथास्थिति, पारेषण या वितरण उप-केंद्र के स्वामी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

44. पारेषण लाईनों और उपकरण का अनुरक्षण

(1) उत्पादन केंद्र, उत्पादन स्थल पर टर्मिनल उपकरण और डेडिकेटेड पारेषण लाइनों, जिसमें ऐसे उत्पादन केन्द्रों के स्वामित्व वाले पूलिंग स्विचिंग केंद्र, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं, के अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार होगा. लेकिन, यथास्थिति, पारेषण/वितरण अनुज्ञापी, यदि आपस में सहमत प्रभारों पर उत्पादक कंपनी(यां) इसके लिए इच्छुक हों, डेडिकेटेड पारेषण लाईन, जिसमें पूलिंग स्विचिंग केंद्र, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं, का अनुरक्षण करा सकेगा।

(2) यथास्थिति, वितरण अनुज्ञापी, या पारेषण अनुज्ञापी या राज्य पारेषण यूटिलिटी, सम्बंधित अनुज्ञापी के उप-केंद्र पर टर्मिनल उपकरण के अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार होगा।

45. एसएलडीसी प्रभार

वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी व्यक्ति को या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विक्रय हेतु आईईजीसी के अनुसार अधिकतम अनुसूचीकरण और प्रेषण तथा राज्य ग्रिड कोड योजना के सिद्धांत लागू होंगे और इस उद्देश्य से आरई आधारित उत्पादन केन्द्रों को एसएलडीसी को उतनी फीस का

भुगतान करना होगा जितनी उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निनंधन एवं शर्तें) विनियम 2015 द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो।

46. जीआरपीवी/ जीएसपीवी हेतु संयोजिता और मीटरिंग व्यवस्था

(1) जीआरपीवी/जीएसपीवी को अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में निम्नलिखित वोल्टेज स्तर पर संयोजिता की अनुमति होगी:

(i). 4 kW तक भार: निम्न वोल्टेज सिंगल फेज आपूर्ती।
(ii). भार> 4kW और 75 kW तक: निम्न वोल्टेज थ्री फेज आपूर्ती।
(iii). भार> 75 kW और 1000 kW तक: 11 kV पर।

(2) यदि ग्रिड के साथ ऐसे स्रोतों की संयोजिता के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे मामले को आयोग को संदर्भित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

(3) अनुज्ञापी के स्रोतों से उपभोक्ता(ओं) को और रूफ टॉप स्रोतों से अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली को विद्युत् की आपूर्ति की माप या तो दो पृथक मीटर्स से की जाएगी जिनकी रीडिंग का उपयोग शुद्ध आधार पर सेटलमेंट हेतु प्रत्येक बिलिंग अवधि हेतु किया जायेगा या वैकल्पिक रूप में एक आगत-निर्गत प्रकार के मीटर, जो शुद्ध विनिमय को प्रत्यक्ष मापने के लिए उपयुक्त हो, के द्वारा की जाएगी।

(4) स्विच गियर, मीटरिंग और उत्पादक के स्थल पर संरक्षण व्यवस्था की लागत सौर जेनरेटर्स के स्वामी को वहन करनी होगी। लेकिन मुख्य मीटर के उसी विनिर्देशन के साथ चेक मीटर वितरण अनुज्ञापी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा:
परन्तु चेक मीटर और संबंधित उपकरण ऐसे संयत्र के स्वामी द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं. लेकिन, चेक मीटर की लागत अनुज्ञापी द्वारा ऐसे संयंत्र के स्वामी को लौटाई जाएगी। लौटाई जाने वाली चेक मीटर लागत निम्नलिखित में से जो कम है वह होगी:

(क) मीटर की वास्तविक लागत, या
(ख) 25% बढ़ा कर अनुज्ञापी की प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात उच्चतम दर।

(5) ग्रिड इंटरैक्टिव रूफ टॉप और वितरण अनुज्ञापी के ग्रिड के साथ लघु सौर पीवी संयंत्र के अंत:संयोजन के लिए समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत् आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के सुसंगत उपबंध लागू होंगे।

(6) ग्रिड इंटरैक्टिव रूफ टॉप और लघु सौर पीवी संयंत्र, अंत:संयोजन बिंदु तक अपनी प्रणाली के सुरक्षित प्रचालन, अनुरक्षण और त्रुटियों में सुधार हेतु जिम्मेदार होंगे, जिसके आगे प्रणाली के सुरक्षित प्रचालन, अनुरक्षण और मीटर सहित त्रुटियों में सुधार की जिम्मेदारी वितरण अनुज्ञापी की होगी।

(7) योग्य उपभोक्ता, ग्रिड आपूर्ति के बंद होने पर सौर संयंत्र से बैक फीडिंग होने के कारण होने वाली किसी घटना/मानव अथवा पशु की दुर्घटना (घातक, अघातक, विभागीय, गैर-विभागीय, अनुज्ञापी की सामग्री को क्षति) हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। और ऐसा उपभोक्ता न

केवल अनुज्ञापी की सामग्री की क्षति की लागत को वहन करेगा बल्कि ऐसी घटना/दुर्घटना होने पर मानव/पशु के जीवन हेतु भी क्षतिपूर्ति करेगा। वितरण अनुज्ञापी के पास, दुर्घटना या मानव और सामग्री की क्षति रोकने के लिए ऐसी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

47. मीटरिंग व्यवस्था

(1) वितरण अनुज्ञापी अथवा स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विक्रय हेतु आरई आधारित उत्पादन केंद्र अंत:संयोजन के बिंदु पर सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट मीटरों के संस्थापन पर विनियमों के अनुपालन में इन विनियमों में परिभाषित रूप में मीटर्स उपलब्ध कराएगा।

(2) वितरण अनुज्ञापी अथवा स्थानीय ग्रामीण ग्रिड से अन्यथा किसी व्यक्ति को विक्रय हेतु आरई आधारित उत्पादन केंद्र, सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट मीटरों के संस्थापन पर विनियमों के अनुपालन में अंत:संयोजन के बिंदु पर एबीटी अनुकूल विशेष ऊर्जा मीटर उपलब्ध कराएगा।

48. ऊर्जा लेखाकरण और बिलिंग

राज्य भार प्रेषण केंद्र, उत्पादकों द्वारा भेजी गई ऊर्जा का सूचीकरण और लेखाकरण करेगा और आईईजीसी, राज्य ग्रिड कोड और उन्मुक्त अभिगमन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में एसएलडीसी द्वारा संरचित योजना के अनुसार ग्रिड के साथ परस्पर संवाद कर यूटिलिटीज को इसकी जानकारी प्रदान करेगा।

परन्तु उस क्षेत्र के वितरण अनुज्ञापी को विक्रय के मामले में, ऊर्जा क्रय करार में संयुक्त मीटर रीडिंग हेतु प्रावधान किया जायेगा और ऐसे मामलों में ऊर्जा लेखाकरण और बिलिंग, संबधित वितरण अनुज्ञापी के साथ समन्वय कर उत्पादन केंद्र द्वारा की जाएगी।

49. उत्पादन केंद्र द्वारा स्टार्ट अप सहित विद्युत् का क्रय

(1) कोई भी व्यक्ति, जो एक उत्पादन केंद्र स्थापित करता है, उसका अनुरक्षण एवं प्रचालन करता है और जिसे सामान्यतया पूरे वर्ष अनुज्ञापी से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, किन्तु यदि उसका संयंत्र उसके अपने स्वयं की आवश्यकताओं को पूरी करने या स्टार्ट अप हेतु विद्युत् उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है और अंततः वितरण अनुज्ञापी से ऊर्जा लेने की आवश्यकता होती है तो वह उत्पादक कंपनी अथवा एक वितरण अनुज्ञापी से विद्युत् क्रय कर सकेगा:

परन्तु यदि संयंत्र से उत्पादित विद्युत् अनन्य रूप से राज्य वितरण अनुज्ञापी को बेची जा रही है तो अपने स्वयं के उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने या स्टार्ट अप ऊर्जा हेतु राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादन केंद्र द्वारा अधिप्राप्त विद्युत् (kwh में), माह से माह आधार पर वितरण अनुज्ञापी को बेची गई विद्युत् से समायोजित की जाएगी। वितरण अनुज्ञापी, उत्पादक कंपनी द्वारा उस को बेची गई शुद्ध ऊर्जा अर्थात उत्पादक कंपनी द्वारा ग्रिड में अंत:क्षेपित कुल ऊर्जा और ग्रिड से निकाली गई ऊर्जा के अंतर हेतु भुगतान करेगा।

यदि वितरण अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा उत्पादक कंपनी द्वारा इंजेक्ट की गई ऊर्जा से अधिक है तो उसकी शुद्ध ऊर्जा (kwh में) उस माह हेतु अनुबंधित मांग के रूप में माह के दौरान अधिकतम मांग मानते हुए औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त "टैरिफ की दर अनुसूची" के अधीन अस्थायी आपूर्ति हेतु आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ के अनुसार प्रभारित की जाएगी. उस माह हेतु स्थिर/मांग प्रभार उतने दिनों के लिए देय होंगे जितने दिनों के लिए ऐसी आपूर्ति की गई है।

परन्तु यदि संयंत्र से उत्पादित विद्युत् वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी तृतीय पक्ष को बेची जाती है तो वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत् के ऐसे क्रय को उस माह हेतु अनुबंधित मांग के रूप में माह के दौरान अधिकतम मांग मानते हुए औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त "टैरिफ की दर अनुसूची" के अधीन अस्थायी आपूर्ति हेतु आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ के अनुसार प्रभारित किया जायेगा। उस माह हेतु स्थिर/मांग प्रभार उतने दिनों के लिए देय होंगे जितने दिनों के लिए ऐसी आपूर्ति की गई है।

50. ऊर्जा की बैंकिंग (केवल कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों वाले उत्पादन संयंत्रों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन केन्द्रों के मामले में लागू)

(1) उत्पादन केन्द्रों को नीचे दी गई शर्तों के अधीन, आपात स्थिति अथवा संयंत्र की बंदी या अनुरक्षण के समय बैंक की गई ऊर्जा की निकासी के उद्देश्य से एक कैलेंडर माह की अवधि के भीतर ऊर्जा बैंक करना अनुमन्य होगा:

(क) संयंत्र और वितरण अनुज्ञापी के मध्य सहमत होने पर 100% तक ऊर्जा की बैंकिंग, अपने टैरिफ आदेश में समय-समय पर पीक आवर्स के रूप में आयोग द्वारा घोषित अवधि के दौरान अनुमन्य होगी।

(ख) ऊर्जा की निकासी अपने टैरिफ आदेश में समय-समय पर पीक आवर्स के रूप में आयोग द्वारा घोषित अवधि से अन्यथा अवधि के दौरान ही अनुमन्य होगी।

(ग) संयंत्र, एबीटी अनुकूल विशेष ऊर्जा मीटर उपलब्ध कराएँगे और ऊर्जा के विक्रय का मासिक निपटान एसईएम मीटर रीडिंग के अनुसार पीक आवर्स के दौरान आपूर्ति की गई ऊर्जा के आधार पर किया जायेगा इसे बैंक की गई ऊर्जा माना जायेगा।

(घ) राज्य में राज्यान्तर्गत एबीटी के आरम्भ हो जाने पर बैंकिंग और साथ ही बैंक की गई ऊर्जा की निकासी अगले दिन के अनुसूचीकरण के अधीन की जाएगी।

(ङ) एसईएम रीडिंग्स द्वारा सुनिश्चित, संयंत्र द्वारा निकासी की गई ऊर्जा, जिसे बैंक की गई ऊर्जा नहीं माना जा सकता, उसे संयंत्र द्वारा क्रय की गई ऊर्जा माना जायेगा।

(च) खंड (ङ) के अधीन अथवा अन्यथा इन संयंत्रों द्वारा ऊर्जा का क्रय उपरोक्त विनियम 49 के उपबंधों के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

(छ) एक उत्पादन केंद्र को एक वित्त वर्ष विशेष के दौरान उसी वर्ष बैंक की गई ऊर्जा की निकासी हेतु अनुमति होगी।

(ज) वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपयोग न हुई बैंक की गई शेष ऊर्जा को विक्रय माना जायेगा और वित्तीय निपटान, उस वर्ष, जिस वर्ष के दौरान ऊर्जा बैंक की गई थी, के लिए अपने टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर, अथवा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन केन्द्रों के मामले में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सामान्य टैरिफ पर किया जायेगा। ऐसी उपयोग न हुई बैंक की गई ऊर्जा से किन्ही प्रभारों की कटौती नहीं की जाएगी।

(झ) बैंक प्रभार, बैंक की गई ऊर्जा के 8% की दर से प्रकार में समायोजित किये जायेंगे.

(ञ) गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन केन्द्रों, जो कैप्टिव उत्पादन संयंत्र नहीं हैं, के मामले में बैंकिंग की सुविधा केवल तभी लागू होगी यदि राज्य में वितरण अनुज्ञापी के साथ इनका ऊर्जा क्रय करार है।

(ट) नॉन-पीक आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) के दौरान बैंक की गई ऊर्जा की केवल बैंकिंग प्रभार का भुगतान करने पर नॉन-पीक आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) के दौरान निकासी की अनुमति होगी और नॉन-पीक आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) से पीक आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) की अनुमति, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट उपरोक्त बैंकिंग प्रभारों के अतिरिक्त, बैंक की गई ऊर्जा पीक आवर्स ऊर्जा प्रभार दर और सामान्य घंटों की ऊर्जा प्रभार दर (आयोग द्वारा जारी सम्बंधित टैरिफ आदेश में परिभाषित) के मध्य अंतर के % के समकक्ष प्रकार में प्रभारों का भुगतान करने पर होगी।

51. मानित उत्पादन

(शुद्ध मीटरिंग व्यवस्था के अधीन संस्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों को छोड़ कर, केवल लघु जल विद्युत् उत्पादन संयंत्र एवं सौर पीवी संयंत्र व सौर ताप परियोजनाओं के मामले में लागू)

(1) परियोजना की सीओडी के पश्चात, निम्नलिखित कारणों से अथवा निम्नलिखित में से किसी एक कारण से केंद्र में हानि को मानित उत्पादन में गिना जायेगा:

-- अंत:संयोजन के बिंदु से आगे निष्क्रमण प्रणाली की अनुपलब्धता; और

-- एसएलडीसी से छोड़ दिए जाने के अनुदेशों की प्राप्ति।

परन्तु निम्न लिखित को मानित उत्पादन में नहीं गिना जायेगा:

(i). उपरोक्त कारक(कों) के कारण केंद्र पर उत्पादन की हानि किन्तु जो अपरिहार्य घटना(एँ) के कारण हों।;

(ii). ऐसी अवधि जिसमें उपरोक्त के अधीन वर्जित से अन्यथा ऐसे आउटेज/व्यवधानों की कुल अवधि के दौरान उपरोक्त कारक(कों) के कारण आउटेज/व्यवधानों के फलस्वरूप केंद्र पर उत्पादन की हानि, निम्नलिखित सीमा के भीतर है:

- लघु जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में एक माह में 48 घंटे, और

- सौर पीवी और सौर ताप परियोजनाओं के मामले में एक माह में 12 घंटे।
- परन्तु सौर पीवी और सौर ताप परियोजनाओं हेतु एक माह में 12 घंटे की सीमा ज्ञात करने के लिए 18.00 बजे सायं से प्रातः 6.00 बजे तक के दौरान होने वाले व्यवधानों/आउटेजेज को नहीं गिना जायेगा;

वितरण अनुज्ञापी को घोषित वोल्टेज के सन्दर्भ में यहाँ नीचे अनुबंधित सीमाओं के भीतर परियोजना के साथ अंतःसंयोजन बिंदु पर वोल्टेज बनाये रखनी होगी:

- 11 kV वोल्टेज स्तर के मामले में, +6% और -9%; और
- 33 kV और इससे अधिक वोल्टेज स्तर के मामले में, राज्य ग्रिड कोड के अनुसार।

ऊपर विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक वोल्टेज में परिवर्तन के कारण उत्पादन में किसी हानि को मानित उत्पादन के रूप में लिया जायेगा, बशर्ते कि उत्पादन में ऐसी हानि के फलस्वरूप क्षमता उत्पाद के 25% से अधिक की कमी होती है।

(2) ऊपर उप-विनियम 1 व 2 में विनिर्दिष्ट ऐसे कारकों के कारण आउटेज/व्यवधान की अवधि का मिलान मासिक आधार पर किया जायेगा तथा ऊपर उप-विनियम (i) व (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट घटनाओं को हिसाब में रखने के पश्चात केंद्र पर मानित उत्पादन की हानि निम्नलिखित प्रतिफलों पर संगणित की जाएगी:

i. उपरोक्त के कारण वसूली तभी स्वीकार्य होगी जब वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा, लघु जल-विद्युत् परियोजना और सौर पीवी व सौर ताप परियोजनाओं (सामान्य टैरिफ हेतु विकल्प की इच्छुक परियोजना के मामले में) हेतु विनियम में विनिर्दिष्ट मानकीय सीयूएफ या लघु जल-विद्युत् परियोजना और सौर पीवी व सौर ताप परियोजनाओं हेतु स्थिर प्रभारों (यदि परियोजना विशिष्ट टैरिफ लागू है) की वसूली हेतु विचारित सीयूएफ से कम है. यदि वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा और मानित उत्पादन का योग उस सीयूएफ से अधिक होता है जिस पर स्थिर प्रभारों की वसूली परिकल्पित की गई है तो उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के साथ मानित उत्पादन, केवल विचारित सीयूएफ तक अनुमन्य होगा।

ii. माह के दौरान, उपरोक्त उप-विनियम (i) के अनुरूप मानित उत्पादन में उत्पादन हानि, यदि कोई है, तो माह के दौरान प्राप्त वास्तविक औसत उत्पादन पर आधारित गंवाए गए घंटों की संख्या पर यथानुपात आधार पर, माह के दौरान उपलब्ध घंटों की कुल संख्या से विभाजित कर उस में से प्रणाली में हुए आउटेज/व्यवधान के घंटो की कटौती कर विचार किया जायेगा।

iii. उपरोक्त विनियम (ii) के अनुरूप मानित उत्पादन (MWh में) में माह के दौरान उत्पादन हानि, यदि कोई है, तो इसे विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक वोल्टेज में रहे परिवर्तन

के घंटों की संख्या के उत्पाद और विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक वोल्टेज में परिवर्तन के कारण उत्पादन हानि (मेगा वाट में) का योग माना जायेगा। उत्पादन हानि (मेगा वाट में) निम्नलिखित के मध्य का अंतर होगी:

(क) वोल्टेज में हुए परिवर्तन से पहले उत्पादन के न्यूनतम (मेगा वाट में) और विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर बहाल हुई वोल्टेज में परिवर्तन के तुरंत पश्चात 90 मिनट्स के बाद प्राप्त उत्पादन (मेगा वाट में) को वोल्टेज में परिवर्तन के समय की अवधि के दौरान "वास्तविक उत्पादन" माना जायेगा:

परन्तु यदि वोल्टेज में ऐसा परिवर्तन सम्पूर्ण माह हेतु जारी रहता है तो वोल्टेज में हुए ऐसे परिवर्तन से पहले उत्पादन (मेगा वाट में) को "वास्तविक उत्पादन" माना जायेगा।

(ख) वोल्टेज में हुए परिवर्तन की अवधि के दौरान प्राप्त उत्पादन।

(3) वितरण अनुज्ञापी लघु जल-विद्युत् परियोजनाओं और सौर पीवी व सौर ताप परियोजनाओं के किये वार्षिक आधार पर क्रय-योग्य मानित उत्पादन हेतु भुगतान करेगा, जिसे लागू नवीकरणीय ऊर्जा विनियमों के अनुरूप लागू सामान्य/परियोजना विशिष्ट टैरिफ पर उपरोक्त लाईन्स पर नामित उत्पादन के आधार पर ज्ञात किया जायेगा। मानित उत्पादन प्रभारों के भुगतान का निपटान वित्त वर्ष के पूर्ण होने पर तीन माह के भीतर किया जायेगा।

परन्तु मानित उत्पादन के वितरण अनुज्ञापी द्वारा किये गए भुगतान के किन्ही प्रभारों को टैरिफ में पास थ्रू किये जाना वाले व्यय के रूप में लेना अनुमन्य नहीं होगा, वितरण अनुज्ञापी को इन प्रभारों को वहन करना होगा।

परन्तु आगे यह कि ऊपर अनुबंधित मानित उत्पादन शर्तें केवल उन्हीं लघु-जल विद्युत् परियोजनाओं और सौर पीवी व सौर ताप परियोजनाओं पर लागू होंगी जिन्होंने वितरण अनुज्ञापी के साथ दीर्घावधि ऊर्जा क्रय करार किया हुआ है।

परन्तु यह भी कि मानित उत्पादन शर्तें केवल ऐसी लघु जल-विद्युत् परियोजनाओं और सौर पीवी व सौर ताप परियोजनाओं पर लागू होंगी जहाँ निष्क्रमण लाईन 11kV या इससे उच्च वोल्टेज ग्रिड उप-केंद्र से जुड़ी हुई है।

52. व्यवृत्तियां

(1) न्याय का उद्देश्य पूरा करने की दृष्टि से ऐसे आवश्यक आदेश बनाने की आयोग की शक्ति को इन विनियमों में कहीं सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

(2) यदि किसी मामले अथवा मामलों की श्रेणी की विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत किसी मामले या मामलों की श्रेणी का विनिश्चय करने के लिए न्यायसंगत और समीचीन समझे तो अधिनियम के किन्ही उपबंधों की संपुष्टि में ऐसी प्रक्रिया जो इन विनियमों के किसी उपबंध से भिन्न है, को अपनाने में इन विनियमों में आयोग के लिए कुछ भी बाधक नहीं होगा।

(3) जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाये गए हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या अन्तर्निहित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

या

53. कठिनाइयाँ दूर करने हेतु शक्ति

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा, आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से संभवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबंध निर्मित कर सकता है जो इन विनयमों से असंगत न हों।

54. शिथिलीकरण की शक्ति

आयोग, कारण अभिलिखित कर स्वप्रेरणा से अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किये गए आवेदन पर इन विनियमों के उपबंधों में परिवर्तन कर सकता है।

55. संशोधन की शक्ति

आयोग, किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में अभिवर्धन, परिवर्तन, उपांतरण या संशोधन कर सकता है।

आयोग के आदेश से,
नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग।

संलग्नक -1

(1) 01.04.2023 पर या उसके पश्चात कमीशंड SHPs (25 मेगा वाट तक) के लिए रु./kWh में स्थिर प्रभारों (आरएफसी) एवं परिवर्ती प्रभारों की स्तरीकृत दर

विवरण	5 मेगा वाट तक	5 मेगा वाट से अधिक और 15 मेगा वाट तक	15 मेगा वाट से अधिक और 25 मेगा वाट तक
सकल टैरिफ (सीयूएफ 40% की दर पर)	7.96	7. 54	7. 14
सकल टैरिफ (सीयूएफ 45% की दर पर)	7.07	6.70	6.35

(2) नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रु./kWh में स्थिर प्रभारों (आरएफसी) एवं परिवर्ती प्रभारों की स्तरीकृत दर

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	6.67
घटा कर: Acc Dep. लाभ	0.24
शुद्ध टैरिफ	6.43

(3) उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रु./kWh में स्थिर प्रभारों (आरएफसी) एवं परिवर्ती प्रभारों की स्तरीकृत दर

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	4.05
घटा कर: Acc Dep. लाभ	0.13
शुद्ध टैरिफ	3.91

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रत्येक वर्ष के मध्य में लिए गये 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	4.36	4.77	5.01	5.35	5.58	5.78	6.09	6.39	6.71	7.04	7.40	7.75	8.15	4.56	8.99	9.44	9.91	10.40	10.91	11.47	12.05	12.65	13.28	13.94	14.64

(4) गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए रु./kWh में स्थिर प्रभारों (आरएफसी) एवं परिवर्ती प्रभारों की स्तरीकृत दर

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	3.17
घटा कर: Acc Dep. लाभ	0.10
शुद्ध टैरिफ	3.07

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रत्येक वर्ष के मध्य में लिए गये 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	4.36	4.58	4.81	5.03	5.30	5.58	5.84	6.12	6.44	6.78	7.08	7.46	7.83	8.22	8.63	9.06	9.52	9.99	10.49	11.02	11.57	12.14	12.75	13.38	14.06

(5) बायोमास गैसीफायर परियोजनाओं के लिए रु./kwh में स्थिर प्रभारों (आरएफसी) एवं परिवर्ती प्रभारों की स्तरीकृत दर

(क) पाईन लीव्स आधारित बायोमास गैसीफायर परियोजनाओं के लिए

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	4.72
घटा कर: Acc Dep. लाभ	0.08
शुद्ध टैरिफ	4.63

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रथम वर्ष के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	4.17	4.38	4.60	4.83	5.07	5.33	5.59	5.87	6.17	6.47	6.80	7.14	7.50

वर्ष	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रथम वर्ष के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	7.87	8.26	8.68	9.11	9.57	10.04	10.53	11.07	11.63	12.21	12.82	13.46

(ख) अन्य बायोमास गैसिफायर परियोजनाएं

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	3.06
घटा कर: Acc Dep. लाभ	0.08
शुद्ध टैरिफ	2.98

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रथम वर्ष के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	4.17	4.38	4.60	4.83	5.07	5.33	5.59	5.87	6.17	6.47	6.80	7.14	7.50

वर्ष	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रथम वर्ष के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	7.87	8.26	8.68	9.11	9.57	10.04	10.53	11.07	11.63	12.21	12.82	13.46

(6) बायोगैस परियोजनाओं के लिए रु./kWh में स्थिर प्रभारों (आरएफसी) एवं परिवर्ती प्रभारों की स्तरीकृत दर

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	4.22
घटा कर: Acc Dep. लाभ	0.15
शुद्ध टैरिफ	4.07

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रथम वर्ष के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	5.77	6.06	6.36	6.68	7.02	7.37	7.73	8.12	8.53	8.95	9.40	9.87	10.36

वर्ष	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रथम वर्ष के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	10.88	11.43	12.00	12.60	13.23	13.89	14.58	15.31	16.08	16.88	17.73	18.61

(7) कैनाल बैंक सौर पीवी और कैनाल टॉप सौर पीवी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रु./kWh में स्थिर प्रभारों (आरएफसी) की स्तरीकृत दर:

विवरण	कैनाल बैंक सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र	कैनाल टॉप सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र
	रु./kWh	
सकल टैरिफ	5.13	5.36
घटा कर: Acc Dep. लाभ	0.21	0.22
शुद्ध टैरिफ	4.92	5.13

(8) सौर पीवी और सौर ताप ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रु./kWh में स्थिर प्रभारों (आरएफसी) की स्तरीकृत दर

विवरण	सौर पीवी परियोजनाएं	सौर ताप परियोजनाएं
	रु./kWh	
सकल टैरिफ	4.64	14.34
घटा कर: Acc Dep. लाभ	0.18	0.63
शुद्ध टैरिफ	4.46	13.70

(9) जीएसपीवी/जीआरपीवी के लिए स्थिर प्रभारों (आरएफसी) की स्तरीकृत दर

विवरण	10 kW तक अनुमोदित	10 kW से अधिक और 100 kW तक अनुमोदित	100 kW से अधिक और 500 kW तक अनुमोदित	500 kW से अधिक और 1 MW से कम अनुमोदित
शून्य सहायिकी ध्यान में रखते हुए स्तरीकृत टैरिफ				
सकल टैरिफ	6.29	5.71	5.33	5.11
घटा कर: Acc Dep लाभ	0.25	0.23	0.22	0.21
शुद्ध टैरिफ	6.04	5.49	5.11	4.90
20% सहायिकी ध्यान में रखते हुए स्तरीकृत टैरिफ				
सकल टैरिफ	5.77	5.24	4.88	4.68
घटा कर: Acc Dep लाभ	0.22	0.20	0.19	0.19
शुद्ध टैरिफ	5.55	5.03	4.69	4.49
30% सहायिकी ध्यान में रखते हुए स्तरीकृत टैरिफ				
सकल टैरिफ	5.51	5.00	4.65	4.46
घटा कर: Acc Dep लाभ	0.21	0.19	0.18	0.17
शुद्ध टैरिफ	5.30	4.81	4.47	4.29
40% सहायिकी ध्यान में रखते हुए स्तरीकृत टैरिफ				
सकल टैरिफ	5.25	4.76	4.43	4.24
घटा कर: Acc Dep लाभ	0.19	0.18	0.17	0.16
शुद्ध टैरिफ	5.05	4.58	4.26	4.08
70% सहायिकी ध्यान में रखते हुए स्तरीकृत टैरिफ				
सकल टैरिफ	4.47	4.05	3.76	3.59
घटा कर: Acc Dep लाभ	0.14	0.13	0.13	0.12
शुद्ध टैरिफ	4.33	3.92	3.63	3.47
80% सहायिकी ध्यान में रखते हुए स्तरीकृत टैरिफ				
सकल टैरिफ	4.23	3.83	3.55	3.39
घटा कर: Acc Dep लाभ	0.13	0.12	0.11	0.11
शुद्ध टैरिफ	4.11	3.71	3.44	3.29
90% सहायिकी ध्यान में रखते हुए स्तरीकृत टैरिफ				
सकल टैरिफ	4.04	3.65	3.38	3.23
घटा कर: Acc Dep लाभ	0.10	0.10	0.09	0.09
शुद्ध टैरिफ	3.93	3.56	3.29	3.14

(10) पवन ऊर्जा आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्थिर प्रभारों (आरएफसी) की स्तरीकृत दर

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)				
	जोन 1	जोन 2	जोन 3	जोन 4	जोन 5
सकल टैरिफ	5.20	4.47	4.09	3.47	3.27
घटा कर: Acc. Dep. लाभ	0.36	0.33	0.28	0.24	0.22
शुद्ध टैरिफ	4.85	4.44	3.81	3.23	3.05

(11) बायोमास रैन्काईन चक्र आधारित ऊर्जा परियोजना के लिए रु./kWh में स्थिर प्रभारों (आरएफसी) की स्तरीकृत दर

(क) ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर्स पर आधारित वाटर कूल्ड कंडेंसर के साथ परियोजनाएं (पुआल और ज्युलिफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं से अन्यथा)

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	2.97
घटा कर: Acc. Dep. लाभ	0.08
शुद्ध टैरिफ	2.90

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रथम वर्ष के रूप में लिए वर्ष 2023-24 के परिवर्ती लागत (रु./kWh)	4.44	4.67	4.90	5.14	5.40	5.67	5.95	6.25	6.56	6.89	7.24	7.60	7.98	8.38	8.80	9.24	9.70	10.18	10.69	11.23	11.79	12.38	13.00	13.65	14.33

(ख) एएफबीसी बॉयलर्स पर आधारित वाटर कूल्ड कंडेंसर के साथ परियोजनाएं (पुआल और ज्युलिफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं से अन्यथा)

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	2.97
घटा कर: Acc. Dep. लाभ	0.08
शुद्ध टैरिफ	2.89

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रथम वर्ष के रूप में लिए वर्ष 2023-24 के परिवर्ती लागत (रु./kWh)	4.44	4.67	4.90	5.14	5.40	5.67	5.95	6.25	6.56	6.89	7.24	7.60	7.98	8.38	8.80	9.24	9.70	10.18	10.69	11.23	11.79	12.38	13.00	13.65	14.33

(ग) ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर्स पर आधारित एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ परियोजनाएं (पुआल और ज्युलिफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं से अन्यथा)

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	3.14
घटा कर: Acc. Dep. लाभ	0.09
शुद्ध टैरिफ	3.06

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रथम वर्ष के रूप में लिए वर्ष 2023-24 के परिवर्ती लागत (रु./kWh)	4.62	4.86	5.10	5.36	5.62	5.90	6.20	6.51	6.84	7.18	7.54	7.91	8.31	8.72	9.16	9.62	10.10	10.60	11.13	11.69	12.28	12.89	13.53	14.21	14.92

(घ) एएफबीसी बॉयलर्स पर आधारित एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ परियोजनाएं (पुआल और ज्युलिफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं से अन्यथा)

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	3.14
घटा करः Acc. Dep. लाभ	0.09
शुद्ध टैरिफ	3.05

(ङ) ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर्स पर आधारित वाटर कूल्ड कंडेंसर के साथ पुआल और ज्युलिफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रथम वर्ष के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	4.56	4.77	5.01	5.26	5.52	5.80	6.09	6.39	6.71	7.05	7.40	7.77	8.16	8.57	9.00	9.45	9.92	10.41	10.94	11.49	12.06	12.66	13.29	13.96	14.65

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kwh)
सकल टैरिफ	3.10
घटा करः Acc. Dep. लाभ	0.08
शुद्ध टैरिफ	3.01

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रथम वर्ष के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	4.52	4.73	4.96	5.21	5.50	5.77	6.06	6.37	6.68	7.03	7.37	7.74	8.12	8.53	8.96	9.40	9.87	10.37	10.89	11.43	12.00	12.60	13.23	13.89	14.59

(च) एएफबीसी बॉयलर्स पर आधारित वाटर कूल्ड कंडेंसर के साथ पुआल और ज्युलिफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	3.09
घटा करः Acc. Dep. लाभ	0.08
शुद्ध टैरिफ	3.01

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रथम वर्ष के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	4.52	4.73	4.96	5.21	5.50	5.77	6.06	6.37	6.68	7.03	7.37	7.74	8.12	8.53	8.96	9.40	9.87	10.37	10.89	11.43	12.00	12.60	13.23	13.89	14.59

(छ) ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर्स पर आधारित एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ पुआल और ज्युलिफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	3.27

घटा करः Acc. Dep. लाभ	0.09
शुद्ध टैरिफ	3.17

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रचालन वर्ष के रूप में चिह्न वर्ष 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	4.54	4.77	5.01	5.26	5.52	5.80	6.09	6.39	6.71	7.05	7.40	7.77	8.16	8.57	9.00	9.45	9.92	10.41	10.94	11.48	12.06	12.66	13.29	13.96	14.65

(ज) एएफबीसी बॉयलर्स पर आधारित एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ पुआल और ज्युलिफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर (रु./kWh)
सकल टैरिफ	3.26
घटा करः Acc. Dep. लाभ	0.09
शुद्ध टैरिफ	3.17

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रचालन वर्ष के रूप में चिह्न वर्ष 2023-24 के परिवर्ती प्रभार (रु./kWh)	4.54	4.77	5.01	5.26	5.52	5.80	6.09	6.39	6.71	7.05	7.40	7.77	8.16	8.57	9.00	9.45	9.92	10.41	10.94	11.48	12.06	12.66	13.29	13.96	14.65

प्रपत्र -1.1: (पवन ऊर्जा या लघु जल-विद्युत् परियोजना या सौर पीवी ताप) के लिए प्रपत्र का खाका

क्रम सं.	परिकल्पना शीर्षक	उप-शीर्षक	उप-शीर्षक (2)	यूनिट	मूल्य
1	ऊर्जा उत्पादन	क्षमता	संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता क्षमता उपयोगिता कारक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि उपयोगी जीवन	मेगा वाट % MM/YYYY वर्ष	
2	परियोजना लागत	पूंजीगत लागत/मेगा वाट	मानकीय पूंजीगत लागत पूँजीगत लागत पूंजीगत सहायिकी, यदि कोई है शुद्ध पूंजीगत लागत	रु. लाख/मेगा वाट रु./लाख रु./लाख रु./लाख	
3	वित्तीय परिकल्पना	ऋण: इक्विटी	टैरिफ अवधि	वर्ष	
			ऋण इक्विटी कुल ऋण राशि कुल इक्विटी राशि	% % रु/लाख रु/लाख	
		ऋण घटक	ऋण राशि अधिस्थगन काल चुकौती अवधि (इनसिड अधिस्थगन) ब्याज दर	रु/लाख वर्ष वर्ष %	
		इक्विटी घटक	इक्विटी राशि प्रथम 10 वर्षों के लिए इक्विटी पर प्रतिफल 11वें वर्ष से आगे इक्विटी पर प्रतिफल छूट दर	रु/लाख % प्रति वर्ष % प्रति वर्ष %	
		अवक्षय	प्रथम 12 वर्षों के लिए अवक्षय दर 13वें वर्ष से आगे अवक्षय दर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, यदि कोई है	% % रु.लाख प्रति वर्ष	
		प्रोत्साहन	जीबीआई हेतु अवधि	वर्ष	
4	प्रचालन एवं अनुरक्षण	मानकीय ओएंडएम व्यय ओएंडएम व्यय प्रति वर्ष ओएंडएम व्ययों के लिए वृद्धि कारक		रु/लाख/मेगा वाट रु/लाख %	
5	पूंजीगत लागत	ओएंडएम व्यय रखरखाव स्पेयर प्राप्ति लेखे कार्यकारी पूँजी पर ब्याज	ओएंडएम व्ययों का %	माह % माह % प्रति वर्ष	

प्रपत्र -2.1: (बायोमास ऊर्जा, नगरीय ठोस अपशिष्ट, उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन या गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन) मापदंड परियोजनाओं के लिए प्रपत्र का खाका

क्रम सं.	परिकल्पना शीर्षक	उप-शीर्षक	उप-शीर्षक (2)	यूनिट	मूल्य
1	ऊर्जा उत्पादन	क्षमता	संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता	मेगा वाट	
			सहायक उपभोग कारक	%	
			पीएलएफ (6 माह तक स्थिरता के दौरान)	%	
			पीएलएफ (स्थिरता के पश्चात प्रथम वर्ष के दौरान)	%	
			पीएलएफ (द्वितीय वर्ष से आगे)	%	
			वाणिज्यिक प्रचालन तिथि	MM/YYYY	
			उपयोगी जीवन	वर्ष	
2	परियोजना लागत	पूंजीगत लागत/मेगा वाट	मानकीय पूंजीगत लागत	रु. लाख/मेगा वाट	
			पूँजीगत लागत	रु./लाख	
			पूंजीगत सहायिकी, यदि कोई है	रु./लाख	
			शुद्ध पूंजीगत लागत	रु./लाख	
3	वित्तीय परिकल्पना	ऋण: इक्विटी	टैरिफ अवधि	वर्ष	
			ऋण	%	
			इक्विटी	%	
			कुल ऋण राशि	रु/लाख	
			कुल इक्विटी राशि	रु/लाख	
		ऋण घटक	ऋण राशि	रु/लाख	
			अधिस्थगन काल	वर्ष	
			चुकौती अवधि (इनसिड अधिस्थगन)	वर्ष	
			ब्याज दर	%	
		इक्विटी घटक	इक्विटी राशि	रु/लाख	
			प्रथम 10 वर्षों के लिए इक्विटी पर प्रतिफल	% प्रति वर्ष	
			11वें वर्ष से आगे इक्विटी पर प्रतिफल	% प्रति वर्ष	
			छूट दर	%	
		अवक्षय	प्रथम 12 वर्षों के लिए अवक्षय दर	%	
			13वें वर्ष से आगे अवक्षय दर	%	
		प्रोत्साहन	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, यदि कोई हैं	रु.लाख प्रति वर्ष	
			जीबीआई हेतु अवधि	वर्ष	
4	प्रचालन एवं अनुरक्षण	मानकीय ओएंडएम व्यय		रु/लाख/मेगा वाट	
		ओएंडएम व्यय प्रति वर्ष		रु/लाख	
		ओएंडएम व्ययों के लिए वृद्धि कारक		%	
5	पूंजीगत लागत	ओएंडएम व्यय	ओएंडएम व्ययों का %	माह	
		रखरखाव स्पेयर		%	
		प्राप्ति लेखे		माह	
		बायोमास स्टॉक		माह	
		कार्यकारी पूँजी पर ब्याज		% प्रति वर्ष	

6	ईंधन सम्बंधित परिकल्पनाएं	स्टेशन ऊष्मा दर	स्थिरता के दौरान	Kcal/kWh	
			स्थिरता के पश्चात	Kcal/kWh	
		ईंधन प्रकार और मिश्र	बायोमास ईंधन प्रकार -1	%	
			बायोमास ईंधन प्रकार -2	%	
			नगरीय ठोस अपशिष्ट ईंधन	%	
			उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन	%	
			जीवाश्म ईंधन (कोयला)	%	
			बायोमास ईंधन प्रकार -1 का जीवीसी	Kcal/kg	
			बायोमास ईंधन प्रकार -1 का जीवीसी	Kcal/kg	
			जीवाश्म ईंधन (कोयला) का जीवीसी	Kcal/kg	
			बायोमास मूल्य (ईंधन प्रकार-1): वर्ष-1	रु/एमटी	
			बायोमास मूल्य (ईंधन प्रकार-2): वर्ष-1	रु/एमटी	
			जीवाश्म ईंधन मूल्य (कोयला): वर्ष-1	रु/एमटी	
			ईंधन मूल्य वृद्धि कारक	% प्रति वर्ष	

प्रपत्र 1.2 (बायोमास ऊर्जा, नगरीय ठोस अपशिष्ट, उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन या गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन) मापदंड के लिए प्रपत्र का खाका: टैरिफ घटकों का अवधारण

		वर्ष																																						
यूनिट उत्पादन	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
संस्थापित क्षमता	मेगावाट																																								
शुद्ध उत्पादन	एमयू																																								

		वर्ष																																							
यूनिट उत्पादन	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ओएंडएम व्यय	रु/लाख																																								
अवक्षय	रु/लाख																																								
आवधिक ऋण पर ब्याज	रु/लाख																																								
कार्यकारी पूँजी पर ब्याज	रु/लाख																																								
इक्विटी पर प्रतिफल	रु/लाख																																								
कुल स्थिर लागत	रु/लाख																																								

		वर्ष																																							
प्रति यूनिट टैरिफ घटक	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
पीयू ओएंडएम व्यय	रु/kWh																																								
पीयू अवक्षय	रु/ kWh																																								
पीयू आवधिक ऋण पर ब्याज	रु/ kWh																																								
पीयू कार्यकारी पूँजी पर ब्याज	रु/ kWh																																								
पीयू इक्विटी पर प्रतिफल	रु/ kWh																																								
कुल स्थिर पीयू घटक	रु/ kWh																																								

		वर्ष																																							
स्तरीकृत टैरिफ	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
एट क्वथक																																									
एट टैरिफ घटक	रु/ kWh																																								
स्तरीकृत टैरिफ	रु/ kWh																																								

प्रपत्र 2.2 (बायोमास ऊर्जा या गैर जीवाश्म आधारित सह-उत्पादन) के लिए प्रपत्र का खाका: टैरिफ घटकों का अवधारण

		वर्ष																																						
यूनिट उत्पादन	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
संस्थापित क्षमता	एमडब्ल्यू																																								
शुद्ध उत्पादन	एमयू																																								

		वर्ष																																						
टैरिफ घटक (स्थिर प्रभार)	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ओ0एंडएम व्यय	रु/लाख																																								
अवक्षय	रु/लाख																																								
अवधिक ऋणों पर ब्याज	रु/लाख																																								
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	रु/लाख																																								
इक्विटी पर प्रतिफल	रु/लाख																																								
कुल स्थिर लागत	रु/लाख																																								

		वर्ष																																						
टैरिफ घटक (परिवर्ती प्रभार)	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
बायोमास ईंधन प्रकार-1	रु/लाख																																								
बायोमास ईंधन प्रकार-2	रु/लाख																																								
नगरीय ठोस अपशिष्ट	रु/लाख																																								
अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन	रु/लाख																																								
जीवाश्म ईंधन (कोयला)	रु/लाख																																								
उप-योग (ईंधन लागत)	रु/लाख																																								
ऊर्जा की निवारणीय ईंधन लागत	%																																								
कुल ईंधन लागत	रु/लाख																																								

		वर्ष																																					
प्रति यूनिट टैरिफ घटक	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
पीपू एवं ओएंडएम व्यय	रु/kwh																																								
पीपू अवक्षय	रु/kwh																																								
पीपू आवधिक कर्ज पर ब्याज	रु/kwh																																								
पीपू कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	रु/kwh																																								
पीपू इक्विटी पर प्रतिफल	रु/kwh																																								
पीपू कुल स्थिर घटक (स्थिर)	रु/kwh																																								
पीपू कुल स्थिर घटक (परिवर्ती)	रु/kwh																																								
पीपू कुल स्थिर घटक (योग)	रु/kwh																																								

		वर्ष																																					
स्तरीकृत टैरिफ	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
छूट घटक	रु/kwh																																								
छूट घटक घटक (स्थिर)	रु/kwh																																								
छूट टैरिफ घटक (परिवर्ती)	रु/kwh																																								
छूट टैरिफ घटक (योग)	रु/kwh																																								
स्तरीकृत टैरिफ (स्थिर)	रु/kwh																																								
स्तरीकृत टैरिफ (परिवर्ती)	रु/kwh																																								
स्तरीकृत टैरिफ (स्थिर)(योग)	रु/kwh																																								

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रुद्रप्रयाग

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2023 ई0

संख्या 434/प्रवर्तन/स0सु0/गति सीमा/2023–

पत्रांक–9247/गति सीमा निर्धारण/2023– केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा–(2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा–116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 20211 (यथा संशोधित) के नियम 180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतः मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबन्ध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहाँ वे लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा–(2) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम–180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रुद्रप्रयाग जनद से होकर निकलन/चलने वाले ऐसे मार्गों या मार्गों की अंश पर, जो नगर पालिका या नगर पंचायत की अधिकारिता से बाहर हो, संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गतिसीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है।

क्र0सं0	मार्ग का नाम	वाँहनों की निर्धारित अधिकतम गति सीमा (Km/hr)		
		भारी वाहन	हल्के वाहन	दुपहिया वाहन
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	30	40	40
2	राज्य मार्ग	25	35	35
3	ग्रामीण मार्ग	20	25	25
4	अन्य जनपदीय मार्ग	20	25	25
5	नगरीय/घनी आबादी/स्कूल/अस्पताल क्षेत्र	20	20	20

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके। रात्रि में उक्त साइन बोर्ड प्रदर्शित हो इसके लिये रिट्रो–रिफलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
- उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1980 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–
  (1) अग्निशमन वाहन
  (2) एम्बुलेंस।
  (3) पुलिस वाहन।
  (4) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाहन।
  (5) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

उपरोक्त तालिका के कॉलम–4 पर उल्लेखित मार्गों/स्थानों एवं जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्र के मार्गों के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर केन्द्रीय मोटरयार अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 1377 दिनाँक 06.04.2018 समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा यथावत् लागू रहेगी।

निखिलेश कुमार ओझा,
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2023 ई0

पत्रांक 1357/म0नि0नि0/2023–24–महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 69 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 175040/2023/XXVII(9)/स्टाम्प–06/2009 दिनांक 14, दिसम्बर, 2023 एवं 157253/2023/XXVII(9)/स्टाम्प/08/2023 दिनांक 26, सितम्बर, 2023 की पूर्व अनुमति से, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन आवश्यक है, दस्तावेजों के वर्चुअल रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड वर्चुअल रजिस्ट्रेशन एवं ई–फाइलिंग नियमावली, 2023

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

(i) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वर्चुअल रजिस्ट्रेशन नियमावली, 2023 है।

(ii) यह नियमावली सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर लागू होगी।

(iii) यह नियमावली के प्राविधानों को प्रवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने हेतु महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड को शक्ति प्राप्त होगी।

(iv) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें:–

(I) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(i) 'अधिनियम' से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) अभिप्रेत है;

(ii) 'विवाह अधिनियम' से उत्तराखंड विवाह का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2010 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 सन् 2010) अभिप्रेत है;

(iii) 'महानिरीक्षक, निबंधन' से अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त महानिरीक्षक, निबंधन अभिप्रेत है;

(iv) 'उप निबंधक' से अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त उप निबंधक/पंजीकरण अधिकारी अभिप्रेत है;

(v) 'जिला' और 'उप–जिला' से अधिनियम के तहत गठित एक जिला और उप–जिला अभिप्रेत है;

(vi) 'वर्चुअल रजिस्ट्रेशन' से दस्तावेजों और विवाहों का वर्चुअल रजिस्ट्रेशन अभिप्रेत है;

(vii) 'वर्चुअल पंजीकरण मॉड्यूल' का तात्पर्य समय–समय पर इन नियमों के तहत दस्तावेजों और विवाहों के पंजीकरण के लिए महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखंड के कार्यालय द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से है;

(viii) 'लाइव लिंक' का अर्थ एक लाइव टेलीविजन लिंक, ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन या अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसके माध्यम से पक्षकारों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके

दूरस्थ संचार द्वारा उप–रजिस्ट्रार कार्यालय पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गयी है;

(ix) 'ई–फाइलिंग' का अर्थ ई–फाइलिंग मॉड्यूल के माध्यम से उक्त अधिनियम/विवाह अधिनियम की विभिन्न धाराओं में निर्दिष्ट लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र से है;

(x) 'ई–फाइलिंग मॉड्यूल' का अर्थ महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड के कार्यालय द्वारा ई–फाइलिंग मॉड्यूल के माध्यम से अधिनियम और विवाह अधिनियम की विभिन्न धाराओं में निर्दिष्ट लेखपत्रों और विवाह प्रार्थना पत्रों को दाखिल करने के लिए विकसित एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से है;

(xi) 'डिजिटल हस्ताक्षर' का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहक द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण, जैसे DSC, e-sign, etc. है।

(II) यहां इस्तेमाल किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो नियमावली में यथा परिभाषित अधिनियम/विवाह अधिनियम, आधार अधिनियम, 2016 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया है।

3. <u>इन नियमों के तहत वर्चुअल पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए:–</u>

(i) सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के माध्यम से प्रमाणन करने वाले पक्षकारों के डिजिटल हस्ताक्षर और डिजिटल फोटो और बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान लेना आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से विभाग में नामांकित आधार प्रमाणीकरण एजेंसी (ए0यू0ए0) के माध्यम से आवश्यक होगा, जहां भी कानून द्वारा आवश्यक हो।

(ii) प्रत्येक निष्पादनकर्ता एवं गवाह के द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या (AADHAR Number) की प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। पैन कार्ड नंबर या कोई अन्य पहचान या दस्तावेज नंबर उप–निबंधक/पंजीकरण प्राधिकारी के अनुरोध पर निष्पादन पक्ष और गवाह द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) पक्षकारों एवं गवाह को पत्राचार और सूचनाओं के लिए अपनी ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) पक्षकारों एवं गवाह को लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र के मुख्य भाग में कोई बाहरी फाइल अपलोड करने की अनुमति नहीं होगी। डेटा प्रविष्टि पूरी होने पर, बनाया गया दस्तावेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यदि आवश्यक हो तो पक्ष प्रस्तुतीकरण के ई–चरण पर दस्तावेज को संपादित कर सकते हैं। पक्षकारों एवं गवाह द्वारा प्रस्तुतिकरण किए जाने के बाद सुधार के बाद कोई संपादन संभव नहीं होगा

(v) पक्षकारों एवं गवाह का AADHAR नम्बर वर्चुअल पंजीकरण की प्रक्रिया हेतु अनिवार्य होगा।

(vi) ऑनलाइन आवेदन 24X7 घंटे किया जा सकता है, लेकिन पंजीकरण हेतु समयावधि का आगणन कार्यालय अवधि से ही होगा।

(vii) पक्षकारों एवं गवाह की पहचान के सत्यापन के लिए परस्पर जिम्मेदार होगें। यह हमेशा माना जाएगा कि, हस्ताक्षर करने वाले पक्ष एक–दूसरे को जानते हैं और उन्होंने स्वयं पुष्टि की है कि, प्रत्येक पक्ष के पास दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का वैध अधिकार है।

(viii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, यह हमेशा माना जाएगा कि, लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर करने का अर्थ लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र को निष्पादित करना और स्वीकार करना होगा।

4. प्रक्रिया:–

(i) वर्चुअल पंजीकरण के माध्यम से अधिनियम/विवाह अधिनियम की विभिन्न धाराओं में निर्दिष्ट लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया पक्षकारों एवं गवाह द्वारा लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से न्यूनतम 03 कार्यालय दिवस के कार्य समय के भीतर पूरी की जाएगी।

(ii) संबंधित पक्ष आधार ई–के0वाई0सी0 के माध्यम से विभागीय पोर्टल में सार्वजनिक डेटा प्रविष्टि (पी0डी0ई0) फॉर्म भरेंगे।

(iii) पंजीकरण के लिए लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय उप–निबंधक यह सुनिश्चित करेगा:–

(a) लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र अधिनियम, नियमों और उसके तहत बनाए गए आदेशों के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है;

(b) स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क और अन्य शुल्कों का विधिवत भुगतान किया गया है;

(c) लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र का पंजीकरण किसी भी मौजूदा कानून, न्यायालय के आदेश या किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निषिद्ध नहीं है;

(iv) पक्षकारों एवं गवाह द्वारा PDE फॉर्म Submit किये जाने के 24 घण्टे के अन्दर लेखपत्र और विवाह प्रार्थना पत्र के निबंधन हेतु सर्किल दर के अनुसार आवश्यक स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (QR Code/UPI/IMPS/RTGS/NEFT/Online Banking/Credit Card/Debit Card/CBDC आदि) के माध्यम से किया जायेगा तथा उक्त स्टाम्प शुल्क के भुगतान का सत्यापन SHCIL (Stock Holding Corporation of India Ltd.) द्वारा तथा निबंधन शुल्क के भुगतान का सत्यापन उप निबंधक द्वारा किया जायेगा। उक्त स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन लिंक के माध्यम से किया जायेगा।

(v) पक्षकारों एवं गवाह द्वारा प्रस्तुत पीडीई फॉर्म की जांच करने के बाद, यदि पी0डी0ई0 फॉर्म में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है, तो पी0डी0इ0 फॉर्म उक्त त्रुटि के सुधार के लिए पार्टी को वापस कर दिया जाएगा।

(vi) यदि पक्षकारों और गवाह द्वारा 24 घंटे के भीतर त्रुटि को सुधार लिया जाता है, तो पक्षकारों और गवाह द्वारा उप निबंधक को प्रस्तुत करने के लिए पी0डी0ई0 फॉर्म खोला जाएगा। उप निबंधक पी0डी0ई0 फॉर्म को लॉक कर देंगे और वर्चुअल माध्यम से डीड के पंजीकरण के लिए उचित परिश्रम और संतुष्टि के बाद अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे। अपॉईंटमेन्ट पी0डी0ई0 फॉर्म लॉक करने के दिन से न्यूनतम 03 कार्यालय दिवस कार्य घंटों के भीतर प्रदान की जाएगी। अपॉईंटमेन्ट की सूचना पक्षकारों एवं गवाहों को संदेश/ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। यदि पक्षकारों और गवाह द्वारा 24 घंटे के अन्दर त्रुटि सुधार नहीं किया जाता है तो पक्षकारों और गवाह को वर्चुअल माध्यम से विलेख पंजीकृत कराने हेतु अपॉईंटमेंट लेने हेतु पुनः प्रक्रिया अपनानी होगी।

(vii) पक्षकार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये लिंक में उल्लिखित दिनांक/समय में लेखपत्र और विवाह के निबंधन हेतु Virtual माध्यम से जुड़ेगा।

(viii) उप निबंधक द्वारा Virtual माध्यम से पक्षकारों/गवाहों के बयान लिये जायेंगे तथा उक्त से संतुष्ट होकर उप निबंधक लेखपत्र और विवाह के निबंधन का कार्य पूर्ण करेगा।

(ix) Virtual माध्यम से उक्त निबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की Video Recording की जायेगी तथा विभागीय डाटाबेस में सुरक्षित की जायेगी।

(x) लेखपत्र और विवाह की जांच के बाद, इसे पंजीकृत किया जाएगा और पंजीकृत, लेखपत्र/विवाह प्रार्थना पत्र डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन लिंक होगा।

5. पंजीकरण अधिकारी के कर्तव्यः–

(i) कार्यालय समयावधि के अंत में सब–रजिस्ट्रार पंजीकृत लेखपत्र और विवाह, पंजीकरण शुल्क का एक सार तैयार करेगा, और उसकी स्वीकृति हेतु डिजिटिली हस्ताक्षरित करेगा।

(ii) फीस, स्टांप शुल्क या अन्य शुल्कों के भुगतान के संबंध में यदि कोई विसंगति है, तो वह हमेशा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा वसूली के अधीन होगी।

(iii) उत्तराखंड राज्य द्वारा अपनाए गए और संशोधित अधिनियम और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के सभी प्रावधान, इन नियमों के तहत पंजीकृत दस्तावेजों पर भी लागू होंगे।

(iv) वर्चुअल रजिस्ट्रेशन या ई–फाइलिंग के लिए स्टांप शुल्क या पंजीकरण शुल्क वही होगा, जो उत्तराखंड राज्य द्वारा अपनाए और संशोधित भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत प्रदान किया गया है।

डॉ0 अहमद इकबाल,
महानिरीक्षक, निबंधन,
उत्तराखण्ड।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.1357/म0नि0नि0/2023-24, dated December 21, 2023 for general information.

NOTIFICATION

December 21, 2023

No. 1357/म0नि0नि0/2023-24– The Inspector General of Registration, Uttarakhand, in exercise of the powers conferred under clause (j) of sub-section (1) of Section 69 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), as amended and adapted in the State of Uttarakhand, with the prior approval of the State Government vide notification No.175040/2023/XXVII(9)/Stamp-06/2009 dated 14 December, 2023 read with notification No. 157253/2023/XXVII(9)/Stamp/08/2023 dated 26 September, 2023, as required under sub section (2) of section 69 of the said Act, makes the following rules :–

UTTARAKHAND VIRTUAL REGISTRATION AND E-FILING RULES, 2023

1. Short title and commencement: -

a. These rules may be called as "Uttarakhand Virtual Registration and e-Filing Rules, 2013".

b. It extends to the whole State of Uttarakhand.

c. The Inspector General, Registration, Uttarakhand will have the power to issue instructions regarding the implementation of the provisions of these rules.

d. They shall come into force from the day of publication in the Gazette.

2. Definitions:-

(*I*) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

a. "Act" means the Registration Act, 1908 (Act no. XVI of 1908);
b. "Marriage Act" means Compulsory Registration of Marriage Act, 2010;
c. "Inspector General of Registration" means the Inspector General of Registration appointed under section 3 of the Act;
d. "Sub Registrar" means the Sub Registrar/registering authority appointed under the section of 6 of the Act;
e. "District" and "sub-district" respectively mean a district and sub-district formed under this Act;
f. "Virtual Registration" means virtual registration of documents/marriages;
g. "Virtual Registration Module" means a software module developed by the office of Inspector General of Registration, Uttarakhand for registration of documents and marriages virtually, under these rules, from time to time;
h. "Live Link" means and includes a live television link, audio-video electronic means or other arrangements whereby a witness, whereby a required person or any other person permitted to remain present, while physically absent from the sub-registrar office by remote communication using technology to present documents and marriages for registration.
i. "e-Filing" means online or electronic filing of document and memorandum of marriages specified in various section of the Act/Marriage Act filed through e-Filing module;
j. "e-Filing Module" means a software module developed by the Inspector General of Registration for filing of document and memorandum of marriages specified in various section of the Act and Marriage Act filed through e-Filing module, under these rules;
k. "Digital signature" means authentication of any electronic record by a subscriber by means of an electronic method (DSC, e-sign, etc.) or procedure in accordance with the provisions of section 3 of the Information Technology Act, 2000.

(*II*) The words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the Act, the Marriage Act mentioned in the rules, the AADHAR Act, 2016 and the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

3. For the purposes of Virtual Registration under these rules: -

a. Appending of electronic signature and capture of digital photo of the attesting parties and witnesses through the software module via AADHAR Authentication through department enrolled AADHAR Authentication Agency (AUA) shall be necessary, wherever required by law;
b. Unique Identification Number (AADHAR number) regarding each executing party and witness shall be mandatory to prove his identity. PAN Card Number or any other identification or document number shall be furnished by the executing party and witness at the request of the Sub-Registrar/registering authority.
c. The parties and witnesses must submit their e-mail ids and mobile numbers for correspondence and notifications.

d. The parties and witnesses will not be allowed to attach any external file in the body of the documents/marriages. On completion of the data entry, the documents and marriages so created will be displayed on the screen. The parties if require may edit the documents and marriages, at e-stage of submission. No editing shall be possible post rectification after submission by the parties and witnesses.

e. The input of mandatory information, AADHAR number, by parties and witnesses is essential for the registration of the specific documents and marriages, in a virtual manner.

f. The online submission can be made 24X7 hours, but the time for registration shall begin from the forthcoming office working hours.

g. Every party and witness shall be responsible for cross verification of the identity of the other party and witness. It shall always be presumed that, the party and witness appending the signatures are known to each other and have themselves confirmed that, each party and witness has valid authority and right to sign the documents and marriages.

h. For the purpose of these rules, it shall always be construed that, appending digital signature to the documents and marriages shall mean executing, accepting and admitting the documents and marriages.

4. Procedure:-

a. The entire process of registration of document and memorandum of marriages specified in various section of the Act/Marriage Act through virtual registration will be completed within the working time of 03 office days from the date of production of documents and marriages by the party.

b. The concerned party(s) shall fill the Public Data Entry (PDE) form in the departmental portal through Aadhaar e-KYC.

c. While accepting the documents and marriages for registration the Sub-Registrar shall ascertain that,

(i) the documents and marriages fulfil the conditions, specified under the Act, rules and orders framed there under;

(ii) the stamp duty and Registration fees and other charges are duly paid;

(iii) the registration of the documents and marriages is not prohibited by any existing law, order of the Court or order of any Competent Authority.

d. After filing of the PDE form by the parties on the registration portal, the party(s) shall pay through online means (QR Code/UPI/IMPS/RTGS/NEFT/online banking/debit card/credit card/CBDC etc.), the stamp duty and registration fees according to the circle rate prevalent in the concerned region within 24 hours of the production of the PDE form by the party. The verification of Stamp Duty paid by the party(s) for the concerned documents and marriages shall be done by Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) and the verification of Registration fees for the same shall be done by the sub registrar who is accepting the presentation virtually.

e. After checking the PDE form submitted by the party, if any error is reflected in the PDE form, then the PDE form will be returned to the party for rectification of the said error.

f. If the error is rectified by the party and witness within 24 hours, then the PDE form will be opened for submission by the party and witness to the Sub Registrar. The Sub Registrar will lock the PDE form and provide an appointment after due diligence and

satisfaction for registration of the deed through virtual medium. The appointment will be provided within a minimum space of 03 office days working hours from the day of locking of PDE form. The information of the appointment will be made available to the parties and witness through message/e-mail. If the error is not rectified by the party within 24 hours, then the party and witness will have to follow the process again for taking an appointment to register the deed through virtual medium.

g. The party and witness will connect through virtual medium for registration of the documents and marriages of account on the date/time mentioned in the link provided by the department.

h. The statements of the parties and witnesses will be taken by the Sub Registrar through virtual medium and after being satisfied with the above, the Sub Registrar will complete the registration of the documents and marriages.

i. Video recording of the entire process of registration will be done through virtual medium and will be saved in the departmental database.

j. After scrutiny of registered documents and marriages, it shall be registered and made available through an online link for downloading.

5. Duties of Registering officer:-

a. The Sub-Registrar at the end of the day shall create an abstract of the documents and marriages registered, the registration fees and put his digital signature on it, in token of acknowledgment of the same.

b. Discrepancies, if any, regarding payment of fees, stamp duty or other charges shall always be subject to recovery by the appropriate authority.

c. All the provisions of the Act, and of the Indian Stamp Act, 1899 as adopted and amended by the State of Uttarakhand, shall apply to the documents and marriages registered under these rules also.

d. The stamp duty or Registration fees for virtual registration or e-filing shall be the same as, provided under the Indian Stamp Act, 1899 as adopted and amended by the State of Uttarakhand.

DR. AHMED IQBAL,
Inspector General of Registration,
Uttarakhand.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/497–भाग 1–क–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 ई0 (पौष 02, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

I P. No. 131871H, MCERA-II Vishal Kanojia Indian Navy C/o 81, Sharda Niwas Shiv Vihar,Tunwala, Dehradun declares that in my Navy records my mother name is wrongly mentioned as Sharda Kanojia whereas her correct name is Mrs. Sharda Devi.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Vishal Kanojia
C/o 81, Sharda Niwas Shiv Vihar,
Tunwala, Dehradun

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/497–भाग 8–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।